छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष '2011–12'

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़
का
आर्थिक सर्वेक्षण

2011–2012

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2011–12'' नामक प्रस्तुत प्रकाशन में राज्य की आर्थिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रकाशन का यह बारहवॉ अंक है।

इस प्रकाशन के दो भाग है। प्रथम भाग में शासन की नीतियों के संदर्भ में प्रदेश की सामाजार्थिक एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास की गतिविधियों का विवेचनात्मक अध्ययन है। भाग–2 में संबधित सांख्यिकी तालिकाऍ प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकाशन हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है, इसके लिए हम उनके आभारी है। संचालनालय के वे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होने इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं।

आशा है, प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान सामाजार्थिक स्थिति एवं विकास की गतिविधियों/उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा। प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु सुझावों का सहर्ष स्वागत है।

रायपुर,
दिनांक : मार्च, 2012

(पी. सी. मिश्रा)
आयुक्त, सह–संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

भाग–एक

आर्थिक विवेचना

–:: विषय सूची ::–

भाग–एक (आर्थिक विवेचना)

क्र.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आर्थिक स्थिति –एक समीक्षा	1–4
2	राज्यीय आय	5–8
3	कृषि	9–21
4	भाव स्थिति	22–25
5.	पशुपालन एवं डेयरी विकास	26–29
6.	मत्स्य विकास	30–32
7.	वानिकी	33–38
8.	जल संसाधन	39–45
9.	विद्युत उर्जा	46–57
10.	उद्योग	58–73
11.	खनिज	74–76
12	परिवहन सुविधायें	77–79
13.	श्रम एवं रोजगार	80–85
14	सामाजिक सेवायें	86–113
15.	सहकारिता	114
16.	बचत एवं विनियोजन	115–120
17.	संस्कृति एवं पर्यटन	121–127
18.	नगरीय निकाय	128–133
19.	पंचवर्षीय योजना	134–139

अध्याय–1

आर्थिक स्थिति–एक समीक्षा

वर्ष 2009–2010 में प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 9926196 लाख रू. था जिसमें 18.44 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2010–11 में 11756674 लाख रू. अनुमानित है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें, खनिज (प्राथमिक) क्षेत्र में वृद्धि दर 2009–10 की तुलना में वर्ष 2010–11 में 25.49 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में 14.66 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 16.14 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

इसी प्रकार स्थिर (2004–05) भावों पर वर्ष 2009–10 में सकल घरेलू उत्पाद 7122119 लाख रू. था जो 11.16 वृद्धि के साथ वर्ष 2010–11 में 7916609 लाख रू. अनुमानित है। इस तरह क्षेत्रवार वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में 14.02 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में 8.79 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 11.12 प्रतिशत है।

बाक्स नं–1.1

प्रगति की संभावनायें

- कृषि क्षेत्र में प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2010–11 में 2438039 लाख रूपये की तुलना में वर्ष 2011–12 में 2687031 लाख रूपये संभावित है।
- यह अनुमान किया गया है कि उद्योग क्षेत्र के प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष 2010–11 के 5068449 लाख रूपये से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 5896646 लाख रूपये होने की संभावना है।
- अनुमान किया गया है कि वर्ष 2010–11 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर लगभग 15.28 प्रतिशत की वृद्धि होकर वर्ष 2011–12 में 13553634 लाख रूपये होने की संभावना है तथा स्थिर भावों (वर्ष 2004–05) पर 10.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2010–11 के 7916609 लाख रू. की तुलना में 8772317 लाख रूपये संभावित हैं। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति (निवल राज्य घरेलू उत्पाद) 2010–11 में रू. 41167 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में रू. 46573 होने की संभावना है।

2. वर्ष 2010-11 में 7,003.11 हजार मी.टन खरीफ एवं 1,729.45 हजार मी.टन का उत्पादन रबी में हुआ जो गत वर्ष से 23 प्रतिशत खरीफ में एवं 28 प्रतिशत रबी में वृद्धि परिलक्षित करता है।

3. वर्ष 2010-11 में प्रान्तीय कर के संग्रहण लक्ष्य 3,940.00 करोड़ रू. के विरूद्ध मार्च 2011 तक 4,047.58 करोड़ रू प्राप्त हुआ। जो कि बजट लक्ष्य का 102.73 प्रतिशत है, जिसका मुख्य कारण डीजल, पेट्रोल, सीमेंट, चार पहिया/दो पहिया वाहन, दवाई, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से प्राप्त राजस्व में वृद्धि है। वर्ष 2011-12 में प्रान्तीय कर के अंतर्गत 4,827.28 करोड़ रू. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरूद्ध माह सितंबर 2011 तक 2,164.74 करोड़ रू. राजस्व प्राप्तियॉ हो चुकी हैं। वर्ष 2010-11 केन्द्रीय विक्रय कर में बजट लक्ष्य 620.00 करोड़ रू. के विरूद्ध 745.84 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि बजट लक्ष्य का 120.30 प्रतिशत है। जिसका कारण अंतर्राज्यीय बिक्री बढ़ने से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2011-12 में केन्द्रीय विक्रय कर हेतु 700.00 करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध माह सितंबर 2011 तक 344.86 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्तियॉ हो चुकी हैं। वर्ष 2010-11 में प्रवेश कर के 616.00 करोड़ रू. लक्ष्य के विरूद्ध 679.84 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि लक्ष्य का 110.36 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 में प्रवेश कर अंतर्गत 700.00 करोड़ रू. लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर 2011 तक 331.62 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्तियॉ हो चुकी हैं। वर्ष 2010-11 में वृत्तिकर के अंतर्गत बजट लक्ष्य 8.00 करोड़ रू. के विरूद्ध 5.95 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि लक्ष्य का - 74.38 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 में वृत्ति कर अंतर्गत लक्ष्य 10.00 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2011 तक 4.15 करोड़ की राजस्व प्राप्तियॉ हो चुकी हैं। वर्ष 2010-11 में होटल कर अंतर्गत बजट लक्ष्य 1.90 करोड़ रू. के विरूद्ध 1.94 करोड़ रू. राजस्व प्राप्त हुआ जो कि निर्धारित लक्ष्य का 102.11 % है। वर्ष 2011-12 में होटल कर अंतर्गत बजट लक्ष्य 2.60 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2011तक 1.06 करोड़ रू. राजस्व वसूली हो चुकी है।

4. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में कुल उपलब्ध राशि रू. 2,233.09 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 1,633.97 करोड़ व्यय कर 1,110.17 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर 24.85 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया। वर्ष 2011-12 में माह सितंबर 2011 तक योजना में कुल उपलब्ध राशि

रू. 1,645.94 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 1079.33 करोड़ व्यय कर 697.88 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर 21.89 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया।

5 . दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र द्वारा वर्ष 2010-2011 में 5.71 मिलियन टन हाट मेटल, 5.33 मिलियन टन क्रूड स्टील, 4.57 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया जो कि, पिछले वर्ष के उत्पादन से क्रमशः 6.3, 4.3 एवं 4.5 प्रतिशत अधिक है। संयत्र ने वर्ष 2010-2011 में रू. 3,491.33 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्ष 2010-2011 में भारत एल्युमीनियम कम्पनी, कोरबा द्वारा 27927 मी. टन इग्नाईट एवं 160665 मी. टन प्रॉपजी राड्स तथा 66706 मी. टन रोल्ड उत्पादन किया गया। वर्ष 2011–12 में दिसम्बर 2011 तक 5877 मी. टन इग्नाईट, 123915 मी. टन प्रॉपजी रॉड तथा 53972 मी. टन. रोल्ड उत्पादन किया गया।

6. वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल 14057.698 मिलियन यूनिट (तापीय 13875.825 मिलियन यूनिट, जलीय 173.226 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 8.648 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ एवं ताप विद्युत संयंत्रों का वार्षिक PUF 88.99% रहा जो सर्वकालिक अधिकतम है। जो कि गत वर्ष के कुल विद्युत उत्पादन से 511.912 मिलियन यूनिट अधिक है अर्थात 3.78% की विद्युत उत्पादन में वृद्वि हुई। गत वर्ष कुल विद्युत उत्पादन 13545.786 मिलियन यूनिट हुआ था। मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1360 मेगावाट थी, जो विगत 10 वर्ष में अर्थात नवम्बर, 2011 के अंत में बढ़कर 1924.70 मेगावाट हो गई हैं। इसमें 1780 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पादन) की स्थापित क्षमता है।

7. वर्ष 2010-11 के अंत की स्थिति में 19177 ग्राम विद्युतीकृत हैं। वर्ष 2010-11 में कुल 33 ग्रामों का विद्युतीकरण परंपरागत तरीके से मंडल द्वारा एवं 02 ग्रामों का विद्युतीकरण वितरण कंपनी द्वारा तथा 33 ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा किया गया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान राज्य में 68 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 97.13 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 24645 पंपों के लिए लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 22069 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया।

8. प्रदेश में न्यादर्श पंजीयन प्रणाली अनुसार वर्ष 2010 में जन्म दर 25.3 और मृत्यु दर 8.0 तथा शिशु मृत्यु दर 51 प्रति हजार आंकी गई है। न्यादर्श पंजीयन प्रणाली के वर्ष 2009 को आधार माने तो राज्य में वर्ष 2010 में प्रावधिक रूप से जन्म पंजीयन का स्तर 62.17 %

एवं मृत्यु पंजीयन का स्तर 72.12 तथा शिशु मृत्यु का स्तर 12.60 % निर्धारित होता है। स्थानीय स्तर पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस थाना के स्थान पर पंचायत प्रणाली 1 जनवरी, 2008 से कर रही है। नगरीय क्षेत्र में यह कार्य नगरीय निकायों द्वारा पूर्ववत जारी है।

9. वर्ष 2010-11 में प्राथ. शाला 319, माध्य. शाला 85, हाई स्कूल 218, उच्च. मा. शाला 95 इस प्रकार कुल 717 शालाएं प्रारंभ की गई हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 172 शासकीय, 226 अशासकीय अनुदान रहित एवं 16 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं। शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 109748 छात्र छात्रायें अध्ययनरत हैं जिसमें लगभग 20095 सामान्य छात्र, 15813 अनुसूचित जाति तथा 24030 छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं एवं लगभग 49810 अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।

10. राज्य में वर्ष 2011-12 की स्थिति में 50 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिसकी प्रवेश क्षमता 19590 है। राज्य में 23 पालिटेक्निक संस्थायें हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 3820 है। इसके साथ 24 एम.बी.ए, 01 आर्किटेक्चर एवं 10 एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित हैं।

11. माह मार्च, 2010 तक सभी 72775 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य में अब तक 215730 हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2011-12 में निर्धारित लक्ष्य 7832 के विरूद्ध अब तक 3335 बसाहटों में सफल नलकूप खनित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2011-12 में 3570 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अब तक 682 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा चुकी है।

अध्याय– 2

राज्यीय आय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष 2009–10 में 9926196 लाख़ रू. अनुमानित है, जिसमें 18.44 % की वृद्धि होकर वर्ष 2010–11 के त्वरित अनुमान 11756674 लाख रू. आंकलित किये गये। क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार हैः–

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10 (प्रा.)	2010–11 (त्व.)	गत वर्ष सें 2010–11 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	2658477	2935858	2965660	3721519	25.49
2	द्वितीयक क्षेत्र	2764879	3563811	3300917	3784969	14.66
3	तृतीयक क्षेत्र	2602155	3197549	3659619	4250186	16.14
	सकल रा.घ.उ.	**8025511**	**9697218**	**9926196**	**11756674**	**18.44**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	34006	40237	40515	47027	16.07

स्थिर (2004–2005) भावों के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2009–10 में 7122119 लाख रू. अनुमानित किया गया हैं। जिसमें 11.16 % की वृद्धि होकर वर्ष 2010–11 में यह 7916609 लाख रू. आंकलित किया गया हैं।

स्थिर (2004–2005) भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10 (प्रा.)	2010–11 (त्व.)	गत वर्ष सें 2010–11 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1980108	1918721	2051314	2339000	14.02
2	द्वितीयक क्षेत्र	2237650	2581614	2441788	2656367	8.79
3	तृतीयक क्षेत्र	2146618	2397876	2629017	2921242	11.12
	सकल रा.घ.उ.	**6364377**	**6898211**	**7122119**	**7916609**	**11.16**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	26968	28623	29070	31666	8.93

छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान का प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2010–11 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में **प्रतिशत वितरण** क्रमशः 31.65, 32.19 एवं 36.16 रहा जबकि इसी अवधि में स्थिर (2004–2005) भावों के आधार पर उपरोक्त क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण क्रमशः 29.55, 33.55 तथा 36.90 अनुमानित प्रतिवेदित हुआ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2009–10 (प्रा.)		2010–11(त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	29.88	28.80	31.65	29.55
द्वितीयक क्षेत्र	33.25	34.28	32.19	33.55
तृतीयक क्षेत्र	36.87	36.92	36.16	36.90
सकल रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान.

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष 2009–10 में 8604537 लाख रू. अनुमानित है, जिसमें 19.61% की वृद्धि होकर वर्ष 2010–11 के त्वरित अनुमान 10291765 लाख रू. आंकलित किये गये । प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) वर्ष 2009–10 में 35121 रू. एवं वर्ष 2010–11 में 41167 रू. अनुमानित हैं । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रचलित भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10 (प्रा.)	2010–11 (त्व.)	गत वर्ष से 2010–11 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	2364871	2565638	2632978	3356921	27.50
2	द्वितीयक क्षेत्र	2155496	2739679	2566130	2976164	15.98
3	तृतीयक क्षेत्र	2414418	2975555	3405429	3958680	16.25
	शुद्ध रा.घ.उ.	**6934785**	**8280872**	**8604537**	**10291765**	**19.61**
	प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद रू.में)	29385	34360	35121	41167	17.22

स्थिर (2004–2005) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 2009–10 में 6048980 लाख रू. अनुमानित किया गया जिसमें 12.23 % की वृद्धि होकर वर्ष 2010–11 में यह 6788889 लाख रू. अनुमानित किया गया है। क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

स्थिर (2004–2005) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख़ रू. में)

क्र	क्षेत्र	2007–08	2008–09	2009–10 (प्रा.)	2010–11 (त्व.)	गत वर्ष सें 2010–11 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1726093	1635977	1781995	2051121	15.10
2	द्वितीयक क्षेत्र	1699719	1909990	1831376	2027409	10.70
3	तृतीयक क्षेत्र	1985402	2220207	2435609	2710359	11.28
	शुद्ध रा.घ.उ.	**5411215**	**5766174**	**6048980**	**6788889**	**12.23**
	प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	22929	23926	24690	27156	9.99

छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान का स्थिर भावों के आधार पर वर्ष 2010–11 में प्रतिशत वितरण प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः 30.21, 29.86 एवं 39.92 रहा जबकि इसी वर्ष में प्रचलित भावों के आधार पर यह प्रतिशत क्रमशः 32.62, 28.92 तथा 38.46 है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2009–10 (प्रा.)		2010–11(त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	30.60	29.46	32.62	30.21
द्वितीयक क्षेत्र	29.82	30.28	28.92	29.87
तृतीयक क्षेत्र	39.58	40.26	38.46	39.92
शुद्ध रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

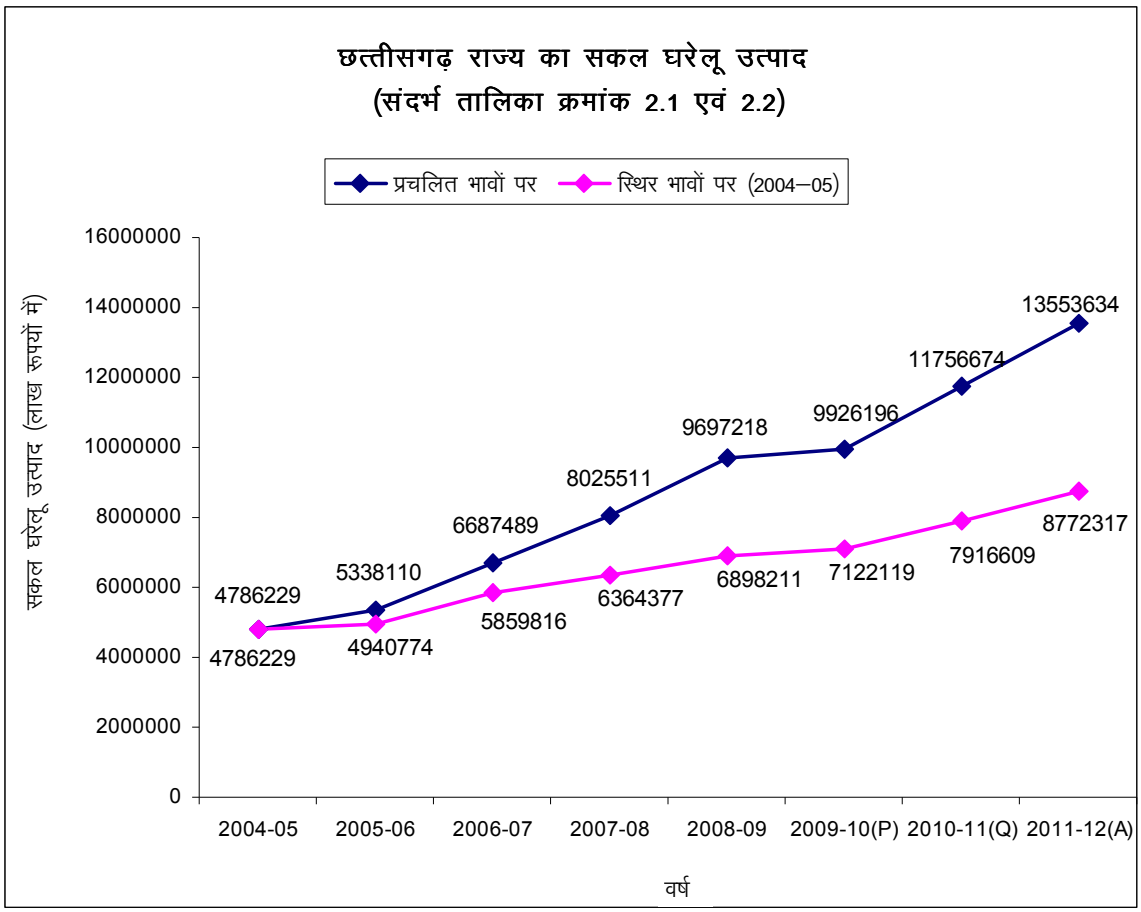

छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद
(संदर्भ तालिका क्रमांक 2.1 एवं 2.2)
प्रचलित भावों पर
स्थिर भावों पर (2004–05)
सकल घरेलू उत्पाद (लाख रूपयों में)
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
4786229
5338110
6687489
8025511
9697218
9926196
11756674
13553634
4786229
4940774
5859816
6364377
6898211
7122119
7916609
8772317
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10(P)
2010-11(Q)
2011-12(A)
वर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय
(संदर्भ तालिका क्रमांक 2.3 एवं 2.4)
प्रचलित भावों पर
स्थिर भावों पर(2004–05)
प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (रूपयों में)
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
18559
20117
24800
29385
34360
35121
41167
46573
18559
18530
21580
22929
23926
24690
27156
29635
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10(P)
2010-11(Q)
2011-12(A)
वर्ष

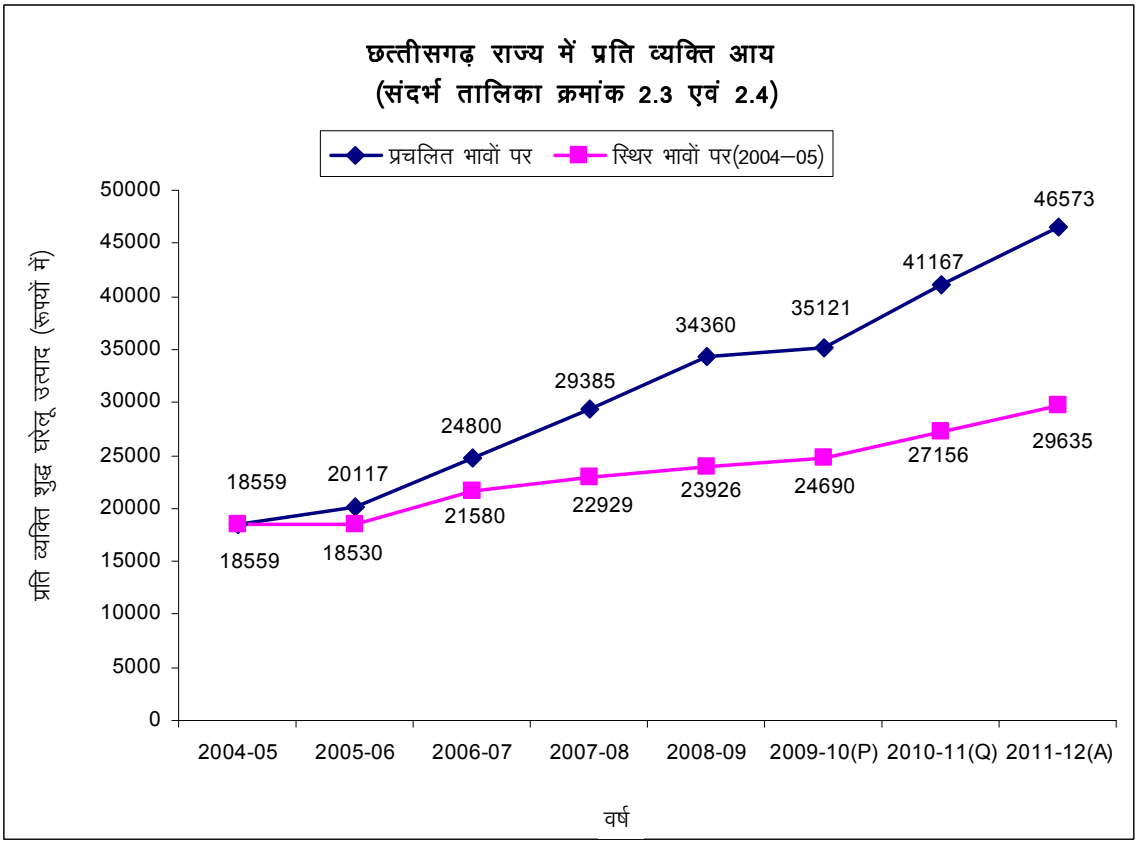

अध्याय–3
कृषि

छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 80% जनसंख्या का जीवन–यापन कृषि पर आश्रित है। प्रदेश के 32.55 लाख कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं, वर्तमान में प्रदेश में सभी स्त्रोतों से लगभग 28% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। उपलब्ध सिंचाई में से सर्वाधिक 66% क्षेत्र सिंचाई जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है। प्रदेश की लगभग 55% कास्तभूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं होता।

राज्य गठन के पश्चात कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में बढ़ोत्तरी हुई है तथा राज्य शासन द्वारा कृषकों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। फलस्वरूप वर्ष 2010–11 में सर्वाधिक धान उत्पादन हेतु राज्य को ''कृषि कर्मण'' पुरूस्कार प्राप्त हुआ। विगत दो वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है :–

फसल उत्पादन (खरीफ)

(इकाई – हजार मे. टन)

क्र.	फसल	2009–10	2010–11	वृद्धि %	2011–12 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1	धान	4955.27	6159.21	24	6265.60
2	मक्का	246.38	324.65	32	326.12
3	अरहर	85.17	85.74	1	97.50
4	मूँग	11.99	9.67	-19	12.94
5	उड़द	74.41	73.51	-1	79.64
6	मूँगफली	67.59	79.09	17	85.99
7	सोयाबीन	148.17	174.35	18	180.00
8	रामतिल	24.07	28.09	17	29.00
	महायोग खरीफ	5674.66	7003.11	23	7148.75

फसल उत्पादन (रबी)

(इकाई – हजार मे. टन)

क्र.	फसल	2009–10	2010–11	वृद्धि %	2011–12 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1	गेहूँ	232.34	215.91	-7	264.70
2	मक्का	24.16	34.29	42	35.67
3	धान	310.21	640.52	106	627.40
4	चना	331.40	341.26	3	375.54
5	मटर	22.87	25.30	11	28.05
6	तिवड़ा	211.72	231.19	9	253.90
7	राई सरसों	84.00	81.96	-2	102.92
8	अलसी	33.01	33.35	1	43.52
	महायोग रबी	1349.41	1729.45	28	1908.77

प्रमुख फसलों का उत्पादन
(हजार मीट्रिक टन)

(संदर्भ तालिका 3.2)

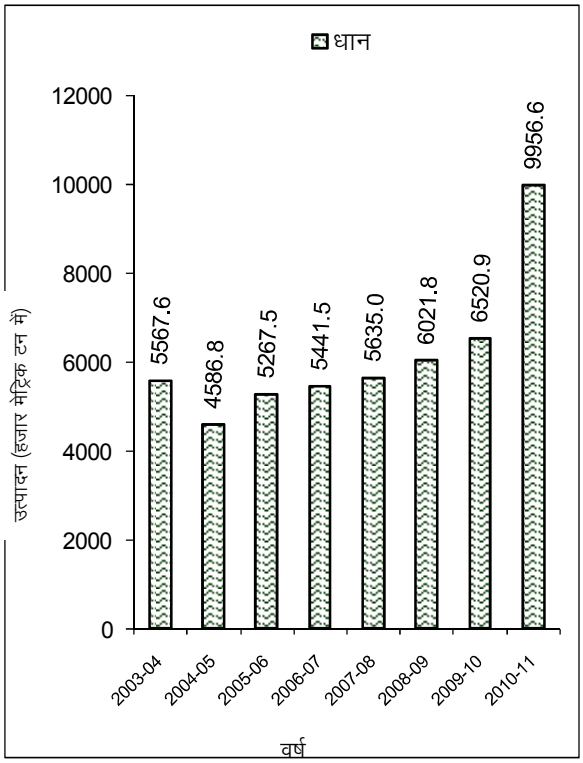

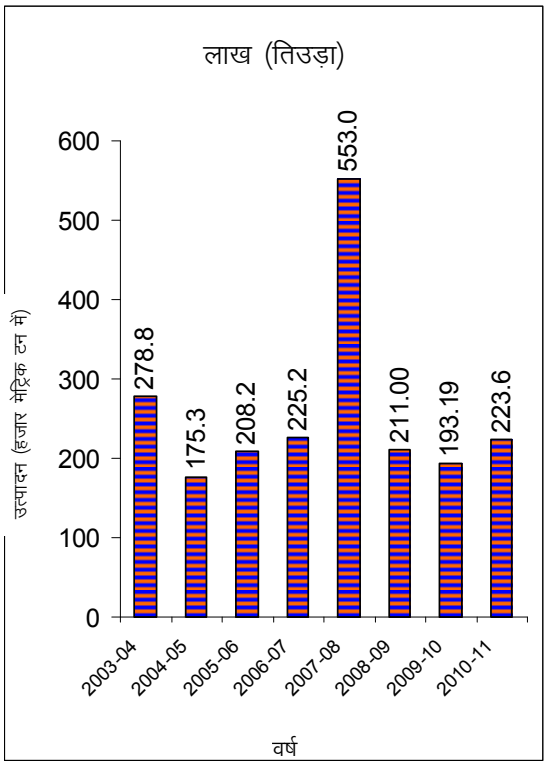

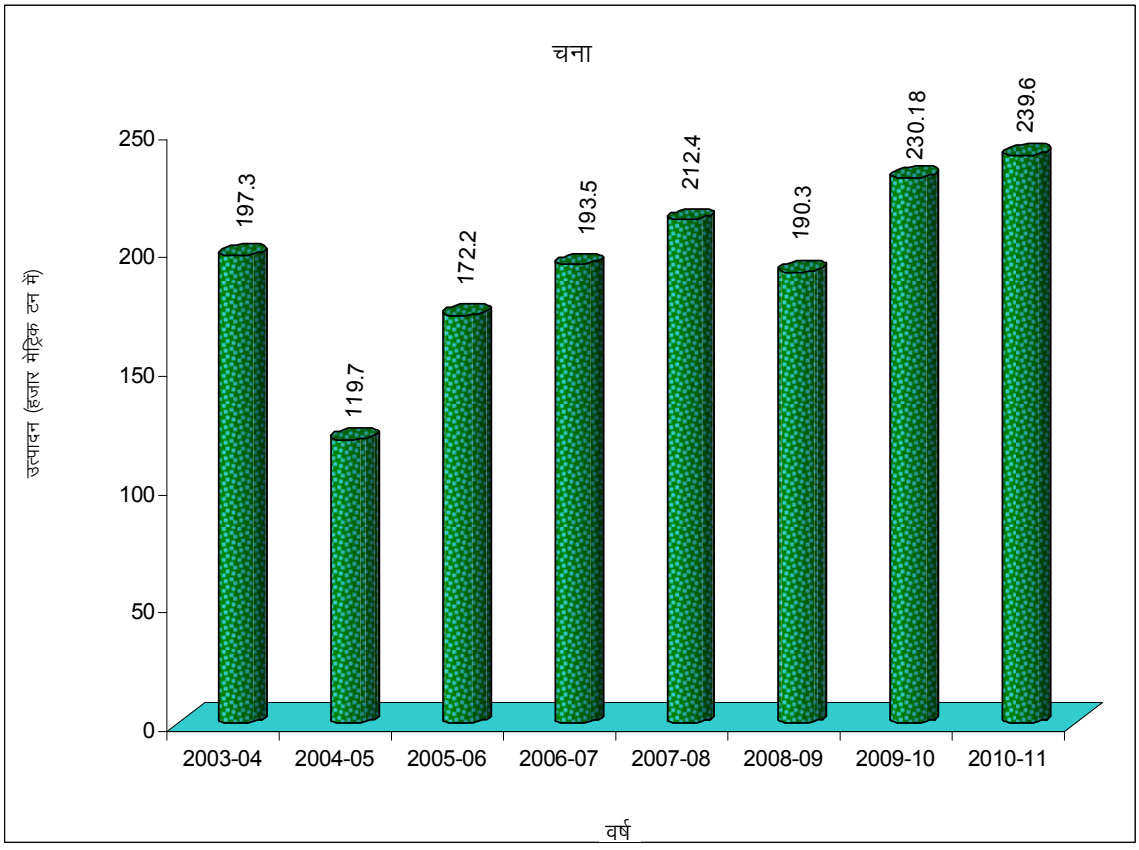

आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण

फसलों के उत्पादन में उच्च गुणवत्तायुक्त बीज एक महत्वपूर्ण कृषि आदान है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ाने के लिए राज्य पोषित अक्तीबीज संवर्धन योजना, केन्द्र प्रवर्तित मेक्रो मैनेजमेंट वर्कप्लान अंतर्गत एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम धान एवं गेहूँ, आइसोपाम योजनांतर्गत तिलहन एवं मक्का विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन क्रियान्वित की जा रही है। जिसके फलस्वरूप बीज घटक में निम्नानुसार प्रगति हुई है।

क्र.	विवरण	इकाई	2009–10	2010–11	वृद्धि %	2011–12 खरीफ की पूर्ति एवं रबी का कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7
1	बीज उत्पादन कार्यक्रम					
	खरीफ	हे.	27987	35471	27	36206
	रबी	हे.	8892	13558	52	12268
	योग (खरीफ + रबी)		**36879**	**49029**	**33**	**48474**
2	प्रमाणित बीज उत्पादन					
	खरीफ	क्वि.	362300	438850	21	450000
	रबी	क्वि.	71000	92950	31	100000
	योग (खरीफ + रबी)		**433300**	**531800**	**23**	**550000**
3	प्रमाणित बीज वितरण					
	खरीफ	क्वि.	364293	488988	34	590291
	रबी	क्वि.	83478	95176	14	103338
	योग (खरीफ + रबी)		**447771**	**584164**	**30**	**693629**

सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार

कृषि विकास में सिंचाई साधन का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु शाकम्भरी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। योजनाओं की वर्षवार प्रगति निम्नानुसार है :–

योजना का नाम	इकाई	2009-10	2010-11	2011–12	
				लक्ष्य	पूर्ति (अक्टू.)
शाकम्भरी					
कूप	संख्या	739	428	800	162
पंप	संख्या	13900	12244	15000	9110
लघु सिंचाई नलकूप	संख्या	4702	4178	5500	1585
किसान समृद्धि नलकूप	संख्या	2619	1796	3300	632
लघुत्तम सिंचाई तालाब	संख्या	163	216	100	88
सूक्ष्म सिंचाई योजना (गैर उद्यानिकी) स्प्रिंकलर	हे.	13355	12918	9577	9693

उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण

कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरता क्षमता हेतु आदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत दो वर्षों में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (मे. टन)				प्रति हे. उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
2009-10								
खरीफ	259355	136562	45069	440986	56	29	10	95
रबी	33251	18212	9067	60530	52	28	12	92
योग	292606	154774	54136	501516				
2010-11								
खरीफ	247273	132841	57267	437381	52	28	12	92
रबी	74719	38345	11720	124784	43	22	7	72
योग	321992	171186	68987	562165				
2011-12								
खरीफपूर्ति	276090	149240	59970	485300	58	31	13	102
रबी लक्ष्य	89395	53305	24235	166935	49	29	13	92
योग	365485	202545	84205	652235				
वर्ष	कल्चर वितरण (खरीफ)				कल्चर वितरण (रबी)			
	राइजोबियम	पी.एस.बी.	एजेक्टोवेक्टर	योग	राइजोबियम	पी.एस.बी.	एजेक्टोवेक्टर	योग
2009-10	129297	422119	91000	642416	177149	307504	54495	539148
2010-11	225560	723430	97600	1046590	195850	391855	62605	650310
2011-12 खरीफ पूर्ति एवं रबीलक्ष्य	904545	136510	414290	1455345	463500	245500	91000	800000

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
(वर्ष 2008–09 से अद्यतन प्रगति)

- 127 शहीद वीर नारायण सिंह विकासखण्ड स्तरीय बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु राशि रू. 6985.00 लाख स्वीकृत, 22 निर्मित, शेष निर्माणाधीन हैं।
- 467 कृषक सूचना सलाह केन्द्र की स्थापना हेतु राशि रू. 3687 लाख स्वीकृत 55 निर्मित, शेष निर्माणाधीन है।
- 9500 शैलोटयूबवेल की स्थापना हेतु रू. 1900 लाख स्वीकृत, 7000 निर्मित।
- टिश्युकल्चर प्रयोगशाला निर्माण हेतु राशि रू. 372 लाख का अतिरिक्त अनुदान सहायता।
- हरित क्रांति योजना में भी शाकम्भरी योजना की तरह सिंचाई पम्प के वितरण हेतु वर्ष 2010–11 में रू. 7.00 करोड़ व्यय।
- हरित क्रांति योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में रू. 479.00 लाख से 59 चेक डेम एवं रू. 500.00 लाख से 25 तालाब निर्माणाधीन।

कृषि अभियांत्रिकी

कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2011–12 में सितंबर अंत तक की भौतिक/वित्तीय प्रगति

क्र.	गतिविधियॉ	इकाई	वर्ष 2011–12 (सितंबर 2011)			
			भौतिक		वित्तीय (लाख रू.में)	
			लक्ष्य	पूर्ति (सितंबर 11 तक)	आबंटन	व्यय (सितंबर 11 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1	शाकम्भरी					
	(क) कूप निर्माण	संख्या	800	162	2500.00	1513.96
	(ख) डीजल/विद्युत पंप	संख्या	15000	9110		
2	मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना					
	डोजिंग कार्य	घंटे	16400	4897	70.00	-
	कल्टीवेशन कार्य	घंटे	19000**	7034		
	यील्ड टेस्ट	संख्या	-	8		
3	कृषि यंत्र गुणवत्ता निरीक्षण	संख्या	100%	66	-	-
4	लो–लिफ्ट पंप	संख्या	250	-	5.00	-
5	कृषि यंत्रों का प्रदर्शन	संख्या	2076	189	-	-
6	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना					
	हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का वितरण	संख्या	22697	22570	1306.99	343.15
	ट्रैक्टर वितरण	संख्या	510	222		
	पावर टिलर का वितरण	संख्या	1225	256		
	शक्ति चलित यंत्र	संख्या	13406	721		

रिमार्क :– (*) शासन द्वारा बाध्यता समाप्त करने के कारण।

(**) 7 ट्रैक्टर अकार्यशील होने के कारण लक्ष्य कम किए गए।

शाकम्भरी योजना : राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005-06 से लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के स्वयं सिंचाई संसाधन विकास हेतु ''शाकम्भरी'' योजना चलायी जा रही है, जिसमें कृषकों के 5 एच.पी. तक के विद्युत/डीजल चलित/केरोसीन पंप पर 75% अनुदान तथा कूप निर्माण पर 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

केन्द्र प्रवर्तित मैक्रोमैनेजमेन्ट योजना : इस योजनांतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने की योजना के तहत 40 पी.टी.ओ. हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर, 8 बी.एच.पी. एवं अधिक के पावर ट्रिलर, शक्ति चलित/बैल चलित/हस्त चलित कृषि यंत्रों को 25% से 40% अनुदान पर वितरित करने की योजना भी संचालनालय द्वारा कियान्वित की जा रही है। वर्ष 2007-08 से राज्य शासन द्वारा ट्रैक्टर को छोड़कर शेष मशीनों/यंत्रों पर 10% से 25% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार कृषि यंत्रों पर 50% तथा पावर ट्रिलर पर 60% तक का अनुदान दिया जा रहा है।

पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेन्ट योजना : केन्द्र सरकार की इस योजनांतर्गत थ्रेशिंग, क्लीनिंग, मिलिंग तथा प्रोसेसिंग आदि हेतु उपयोगी यंत्रों का क्रय किया गया है। इन यंत्रों का जीवंत प्रदर्शन कर कृषकों के मध्य उनका प्रचार–प्रसार किया जावेगा, जिससे कृषक अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने तथा फसल के प्रोसेसिंग से प्राप्त सह–उत्पाद का भी विक्रय कर उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

कृषि विपणन

कृषि उपज मंडियॉ : कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 73 कृषि उपज मण्डियां एवं 112 उप मण्डियॉ कार्यरत हैं। मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मंडियों में आवक : राज्य की मंडियों में वर्ष 2009–2010 में 67,78,734 टन की आवक हुई, जबकि वर्ष 2010–11 में 73,68,595 टन की आवक हुई जो कि गत वर्ष की तुलना में 5,89,861 टन अर्थात 8.10 प्रतिशत अधिक है।

मंडियों की आय : छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों में वर्ष 2009–2010 में 9512.76 लाख रू. की आय हुई जबकि वर्ष 2010–11 में 16413.46 लाख रू. की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 6900.7 लाख रू. अधिक है।

बोर्ड शुल्क : प्रदेश की मंडियों से प्राप्त मंडी शुल्क ही बोर्ड की आय का प्रमुख स्त्रोत है, जो मंडियों द्वारा बोर्ड को बोर्ड–शुल्क के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2010-11 में 16,69,71,190 रूपये बोर्ड शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ।

छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड द्वारा कृषकों को दी जा रही अन्य कल्याणकारी सुविधाएं :

1. किसानों के उपज का सही तौल हेतु मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा मशीन की स्थापना की गई है।
2. देश की अन्य मंडियों के भाव का प्रसारण हेतु मंडियों में प्राईस टिकर बोर्ड की स्थापना की गई है।
3. कृषकों को निःशुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्रदान की गई है।
4. प्रदेश की मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी एगमार्क नेट के पोर्टल पर प्रसारित किया जा रहा है।
5. प्रदेश के कृषि उपज मंडियों में कृषकों के हितार्थ ग्रेडींग मशीन की स्थापना की गई है।
6. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के कृषि उपज मंडियों में पुल–पुलिया, गोदाम, कव्हर्ड ऑक्सन प्लेटफॉर्म, कृषक विश्राम गृह आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन
(कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर)
संदर्भ तालिका 3.3

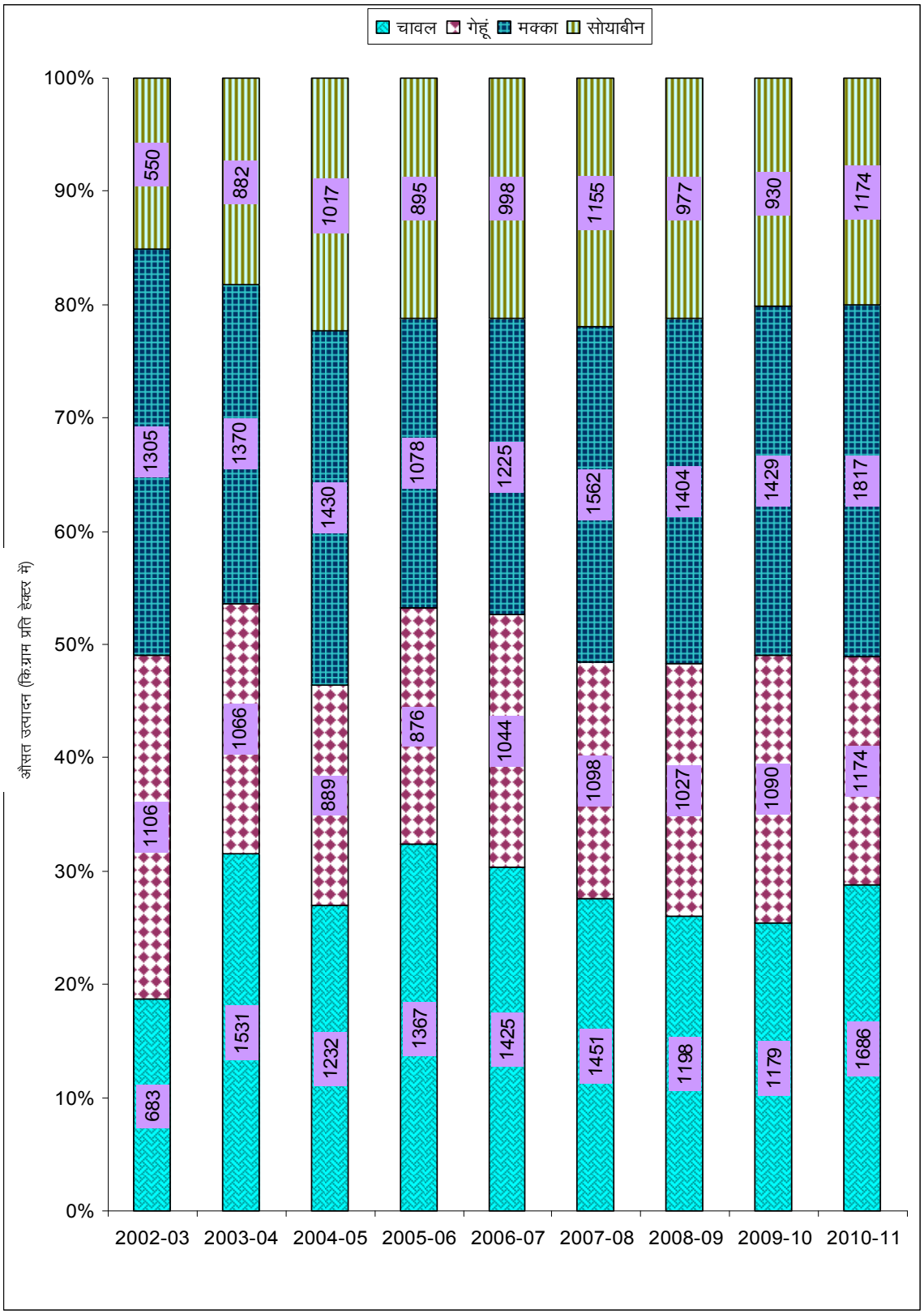

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। विभाग के अन्तर्गत 111 उद्यान रोपणी तथा एक सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुणन प्रक्षेत्र है।

वर्ष 2010-11 में विभिन्न उद्यानिकी फसलों अन्तर्गत फलोद्यान का रकबा 1.67 लाख हेक्टेयर एवं उत्पादन 14.09 लाख मीट्रिक टन, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल 3.35 लाख हैक्टेयर एवं उत्पादन 41.49 लाख मीट्रिक टन, मसाला फसलों का क्षेत्रफल 0.77 लाख हैक्टेयर एवं उत्पादन 4.86 लाख मीट्रिक टन, औषधि एवं सुगंधित फसलों का क्षेत्रफल 0.12 लाख हैक्टेयर एवं उत्पादन 0.84 लाख मीट्रिक टन तथा पुष्प फसलों का क्षेत्रफल 0.07 लाख हैक्टेयर एवं उत्पादन 0.26 लाख मीट्रिक टन था।

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :–

(अ) राज्य पोषित योजनायें

1. **फल विकास कार्यक्रम** : इस योजना में कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदण्ड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नही लेना चाहतें हैं, उन्हें विभागीय फलोंद्यान योजना के अन्तर्गत, केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान, नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है। वर्ष 2010-11 में 2281 हैक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। जिस पर रू. 204.04 लाख व्यय हुए एवं वर्ष 2011–12 में माह दिसंबर, 2011 तक 2520 हेक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। इसके साथ ही योजना में देशी वृक्षों की ग्राफ्टिंग कर उन्नतशील किस्मों में अद्यतन बदलने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में 98694 एवं वर्ष 2011-12 में अद्यतन 66420 पौधों को ग्राफ्टिंग उपरांत उन्नत किस्मों में परिवर्तित किया गया है।
2. **केला विकास योजना** : योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में 3283 प्रदर्शन आयोजित किए गए जिस पर रू. 74.87 लाख व्यय हुए तथा वर्ष 2011-12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 3212 केला प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं।
3. **समन्वित सब्जी विकास** : योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में 4654 हेक्टेयर में सब्जी विकास का कार्य किया गया जिस पर रू. 74.91 लाख व्यय हुए तथा वर्ष 2011-12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 4957 हैक्टेयर क्षेत्र में संकर सब्जी बीज का उपयोग कर सब्जी

उत्पादन कार्यक्रम हेतु रू. 68.96 लाख व्यय किए गए हैं। इस योजनांतर्गत प्रति हैक्टेयर 1500 रू. का अनुदान दिया जाता है।

4. **आलू विकास योजना** : योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में 27800 प्रदर्शन आयोजित किए गए जिस पर रू. 138.34 लाख व्यय हुए तथा वर्ष 2011-12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 33000 आलू प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं।
5. **मसाला विकास योजना** : योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में 109998 मिनिकिट वितरण किए गए जिस पर रू. 110.00 लाख व्यय हुए तथा वर्ष 2011-12 में माह दिसम्बर, 2011 तक विभिन्न मसाला फसलों के 132000 मिनिकिट्स वितरित किए गए हैं।
6. **पुष्प विकास योजना** : योजनांतर्गत 1/25 हैक्टेयर क्षेत्र में 75 प्रतिशत अनुदान पर पुष्प प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2010-11 में 666 प्रदर्शन पर रू. 19.65 लाख व्यय हुए एवं वर्ष 2011-12 में दिसंबर, 2011 तक 733 प्रदर्शन आयोजित किए गए।
7. **औषधि एवं सुगंधित फसल विकास** : योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में 6870 मिनिकिट वितरण किए गए जिस पर रू. 6.99 लाख व्यय हुए तथा वर्ष 2011-12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 7610 मिनिकिट्स का वितरण किया गया है।
8. **घरेलू बागवानी की आदर्श योजना** : योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 368000 मिनिकिट्स का वितरण किया गया है।

(ब) केन्द प्रवर्तित योजनाएँ

(1) सूक्ष्म सिंचाई योजना

1. **ड्रिप सिंचाई योजना** :– वर्ष 2011-12 में ड्रिप संयत्र स्थापना हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को कुल लागत का 90 प्रति ात तक अनुदान देय है, वहीं अन्य कृषकों को 50 प्रति ात अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में दिसम्बर, 2011 तक 844 हितग्राहियों को 1213.86 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापित कर लाभान्वित किया गया है।
2. **स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति** :– लघु एवं सीमांत कृषकों को संयत्र लागत का 80 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 50 प्रति ात अनुदान देय है। वर्ष 2011-12 में दिसम्बर 2011 तक 4726 हितग्राहियों के 6273 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर संयंत्र प्रदाय कर लाभान्वित किया गया है।

(2) राष्ट्रीय बागवानी मि ान योजना :–

1. **मॉडल नर्सरी** :– 4 हेक्टेयर वाली मॉडल रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत 25.00 लाख रू. प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में मॉडल रोपणी की स्थापना पर भात–प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2011-12 में 10 नर्सरियों के विरूद्ध 6 नर्सरी स्थापित की गई है। लघु नर्सरी जो लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में होगी जिसकी लागत 6.25

लाख रू. प्रति यूनिट है। लघु नर्सरी की स्थापना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में भात–प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रों की इकाईयों हेतु अधिकतम अनुदान सीमा 50 प्रतिशत या 3.125 लाख रू. प्रति हैक्टेयर है।

2. **फलोद्यान विकास :–** योजनांतर्गत आम, लीची, नीबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान वर्ष 2010-11 में 4890 हैक्टेयर में स्थापित किए गए, जिस पर अद्यतन रू. 518.98 लाख एवं वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक 2072 हेक्टेयर में स्थापित किए गए जिस पर अद्यतन रू. 219.36 लाख व्यय हुआ है।
3. **पुष्प विकास योजना :–** पुष्प क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में 3473 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्प विस्तार का कार्य किया गया, जिस पर रू. 1218.78 लाख व्यय हुए एवं वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर 2011 तक 5389 हेक्टेयर में स्थापित किए गए जिस पर अद्यतन रू. 1900.47 लाख अद्यतन व्यय हुआ है।
4. **मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल :–** योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में 11129 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार कार्य किया गया जिस पर 1391.60 लाख रू. व्यय हुए हैं। वर्ष 2011-12 में 14282 हेक्टेयर क्षेत्र में मसाला औषधि एवं सुगंधित फसल योजनान्तर्गत विस्तार कार्य किया गया है। जिस पर रू. 1785.05 लाख व्यय हुए हैं।
5. **काजू क्षेत्र विकास :–** योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में 2485.80 हेक्टेयर क्षेत्र में रू. 158.83 लाख व्यय कर विस्तार कार्य किया गया एवं वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर 2011 तक 1148 हेक्टेयर क्षेत्र में 34.54 लाख रू. व्यय कर विस्तार कार्य किया गया।
5. **सामुदायिक जल संसाधन स्त्रोतों का विकास :–** सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में 412 सामुदायिक नलकूप खनित किए गए जिस पर 594.00 लाख राशि व्यय हुई एवं वर्ष 2011–12 में माह दिसंबर 2011 तक 306 सामुदायिक नलकूप खनित किए गए। योजनांतर्गत 10 हैक्टेयर क्षेत्र में क्षमता विकसित किए जाने हेतु रू. 7.00 लाख का प्रावधान है।

(स) केन्द्रीय क्षेत्र योजना

(1) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

1. **सब्जी फसल क्षेत्र विस्तार :–** वर्ष 2010-11 में 18000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी फसल क्षेत्र विस्तार, 24000 सब्जी प्रदर्शन एवं 12000 सब्जी मिनिकिट वितरण कार्यक्रम लिया गया जिस पर रू. 1197.00 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2011-12 में माह दिसम्बर 2011 तक 8757 सब्जी प्रदर्शन एवं 20000 सब्जी मिनिकिट वितरण किए गए जिस पर रू. 862.67 लाख व्यय हुआ है।

2. **मसाला फसलों का उत्पादन :–** वर्ष 2010-11 में 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में मसाला फसलों के उत्पादन कार्यक्रम पर 1000.00 लाख रू. व्यय हुए। वर्ष 2011-12 में माह नवम्बर 2011 तक 528 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्यक्रम लिया गया जिस पर कुल रू. 84.50 लाख व्यय हुए।
3. **पुष्प विकास योजना :–** वर्ष 2010-11 में 1050 हेक्टेयर क्षेत्र पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम लिया गया जिस पर रू. 259.50 लाख व्यय हुए। वर्ष 2011-12 में माह दिसम्बर 2011 तक 1000 हेक्टेयर में कार्यक्रम लिया गया, जिस पर कुल रू. 337.165 लाख व्यय हुए।
4. **जैविक खेती :–** योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में 2500 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की गई है, जिस पर रू. 750.00 लाख व्यय हुए।
5. **संरक्षित खेती :–** योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 7000 इकाई शेडनेट की स्थापना की गई जिस पर रू. 245.00 लाख व्यय हुए।
6. **कीट व्याधि प्रबंधन :–** योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यक्रम लिया गया जिसमें कुल रू. 80.00 लाख व्यय हुए।

शुद्ध सिंचित क्षेत्र का स्त्रोत अनुसार वर्गीकरण
(संदर्भ तालिका क्रमॉक–3.4)

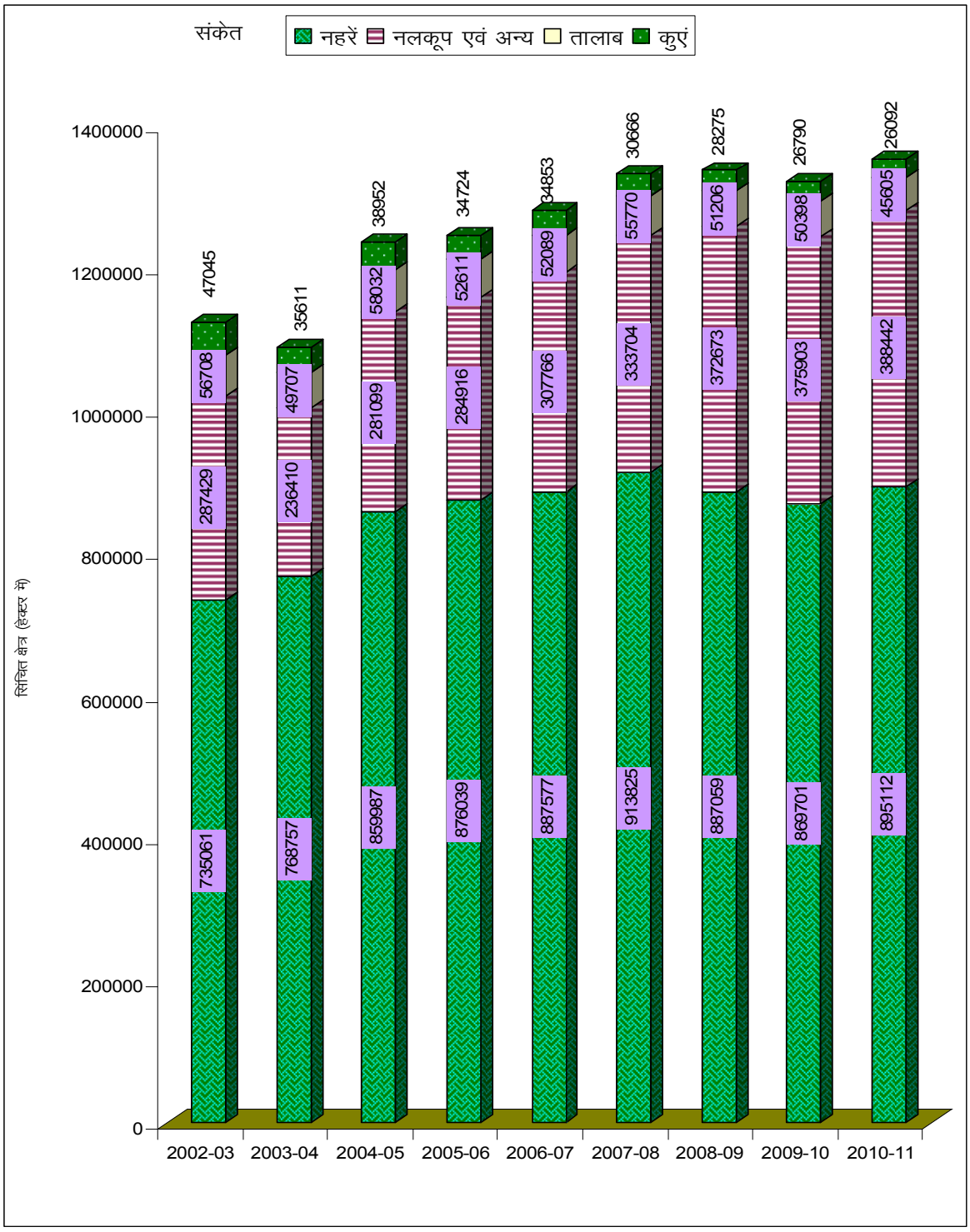

अध्याय–4

भाव स्थिति

समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन

कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान, गेहूँ, तथा मक्का का उपार्जन सीधे कृषकों से किया जा रहा है। लेव्ही चावल का उपार्जन, समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग करने वाले राईस मिलर्स से किया जा रहा है। प्रदेश में अप्रैल, 2002 से विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन योजना लागू है, जिसके अंतर्गत उपार्जित चावल का वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं में किया जा रहा है। प्रदेश में प्रमुख खाद्यान्नों के उपार्जन (भाव व मात्रा) की स्थिति निम्नानुसार है :–

धान :– खरीफ वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य शासन द्वारा सामान्य धान के लिए 1080.00 रू. प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ''ए'' के लिए 1110.00 रू. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार की अधिकृत उपार्जन एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा खरीफ वर्ष 2010-11 के दौरान समर्थन मूल्य पर 51.16 लाख मी.टन धान का उपार्जन किया गया।

मक्का :– खरीफ विपणन मौसम 2010-11 हेतु भारत सरकार द्वारा मक्का का समर्थन मूल्य 840.00 रू. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा विपणन वर्ष 2010-11 में 2610.35 में.टन मक्का उपार्जित किया गया है। खरीफ वर्ष 2011-12 हेतु भारत सरकार द्वारा मक्का का समर्थन मूल्य 980.00 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित है।

चावल उपार्जन : खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के दौरान छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 12.31 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड चावल तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 21.50 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड चावल तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3.17 लाख मीट्रिक टन लेव्ही चावल का उपार्जन किया गया। इस प्रकार खरीफ वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य में कुल 36.98 लाख मीट्रिक टन चावल का उपार्जन किया गया है।

मिट्टी तेल :–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त हितग्राहियों को प्रतिमाह 3-5 लीटर केरोसीन प्रति राशन कार्ड के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु भारत सरकार द्वारा 186964 किलो लीटर मिट्टी तेल का आबंटन किया गया था। जिसके विरूद्ध वितरण 186598 किलो लीटर (99.80 प्रतिशत) रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में माह नवंबर तक आबंटित 123744 किलोलीटर कैरोसिन का वितरण (99.40 प्रतिशत) रहा है।

बाक्स –4.1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नेटवर्क भारतीय खाद्य निगम के 11 प्रदाय केन्द्रो, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के 99 खाद्यान्न प्रदाय केन्द्रों एवं 10847 उचित मूल्य की दूकानों के समन्वय से विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को पात्रतानुसार निर्धारित मूल्य पर नियमित खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन की आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में उचित मूल्य की दूकानों का संचालन निम्नानुसार किया जा रहा है।

- 1690 दुकानें प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा
- 1244 दुकानें सेवा सहकारी समिति
- 4013 दुकानें ग्राम पंचायतों द्वारा
- 2327 दुकानें स्व–सहायता समूह द्वारा
- 1398 दुकानें अन्य सहकारी समितियों द्वारा
- 153 दुकानें वन सुरक्षा समितियों द्वारा
- 19 नगरीय निकाय द्वारा संचालित हैं

सार्वजनिक वितरण के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ निम्नानुसार है :–

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली :– प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 से लागू है। योजनान्तर्गत, गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) एवं ऊपर (ए.पी.एल.) के परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में बी.पी.एल. खाद्यान्न का आबंटन एवं वितरण निम्नानुसार है :–

(मात्रा मीट्रिक टन में)

बी.पी.एल.गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
31320.00	31320.00	454368.00	454368.00

वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह नवंबर 2011 तक बी.पी.एल. खाद्यान्न वितरण की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(मात्रा मीट्रिक टन में)

बी.पी.एल. गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
20880.00	20880.00	302912.00	302912.00

अन्त्योदय अन्न योजना :– प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना जुलाई, 2009 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 1.00 रू. किलो चावल, 35 किलो प्रतिमाह के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में 7.12 लाख हितग्राहियों को अन्त्योदय राशन कार्ड जारी कर उन्हे नियमित रूप से चावल वितरित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु भारत सरकार द्वारा 301944 मी. टन खाद्यान अन्त्योदय योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध खाद्यान का वितरण 289775 मी. टन (95.97%) मी. टन रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में माह नवंबर 2011 तक अन्त्योदय चावल के 201296 मी. टन आबंटन के विरूद्ध 190915.97 मी. टन चावल का वितरण (94.84%) है।

अन्नपूर्णा दाल–भात योजना : राज्य शासन के निर्णयानुसार यह योजना विभाग द्वारा जनवरी, 2004 से समस्त प्रदेश में लागू की गई है, जिसके द्वारा राज्य के निर्धन एवं जरूरत मंद लोगों को 5.00 रू. में भरपेट दाल–भात उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में संचालित 134 अन्नपूर्णा दाल–भात केन्दों से प्रतिदिन 15 से 20 हजार निर्धन हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य शासन द्वारा इन केन्द्रो को बी.पी.एल. दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्नपूर्णा योजना : इस योजना का उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ बेसहारा नागरिको को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नही हो रही है। इस योजना के हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में 19776 हितग्राहियों को राशन कार्ड प्रदाय कर खाद्यान्न का नियमित वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु विभाग द्वारा 3200 में. टन चावल अन्नपूर्णा योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध चावल का वितरण 2393.64 मी. टन (74.80 प्रतिशत) रहा।

छत्तीसगढ़ अमृत (नमक) वितरण योजना :

राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रतिमाह दो किलो आयोडाईज्ड नमक निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। जिसमें 32.83 लाख निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशन कार्ड धारी अनुसूचित विकास खण्डों के परिवारों को इस येाजना का लाभ दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य शासन द्वारा 83412.64 मी. टन नमक वितरण हेतु जिलों को आवंटित किया गया जिसके विरूद्ध नमक का वितरण 80445.37 मी. टन (96.44 प्रतिशत) रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह नवंबर, 2011 तक 51501 मी. टन आवंटन के विरूद्ध 49273 मी. टन नमक का वितरण (95.67 प्रतिशत) किया गया है।

ग्रेन बैंक योजना :–राज्य में भुखमरी एवं कुपोषण की कोई भी संभावना न होने देने हेतु राज्य शासन द्वारा समस्त जिलों में 1904 ग्रेन बैंको की स्थापना की गई है, जिसमें प्रति ग्रेन बैंक 40 क्विंटल के मान से 10480 क्विंटल चावल भंडारित किया गया है। कोई भी जरूरतमंद अधिकतम एक क्विंटल चावल ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना :–

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 18.75 लाख बी.पी.एल. परिवार को छोड़कर शेष अन्य निर्धन एवं जरूरत मंद परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु अप्रैल, 2007 से मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना राज्य में लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत निम्नांकित प्रकार के राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

1. **केसरिया राशन कार्ड** :– वर्ष 1991 अथवा 1997 के बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जिसके नाम 2002 की सूची में नहीं है उन्हे केशरिया रंग का कार्ड जारी किया गया है। कार्ड धारी को 35 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर से राशन प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 5.95 लाख है।

2. **10 किलो केसरिया राशन कार्ड** :– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे हितग्राही, जिन्हे पूर्व में बी.पी.एल. अथवा अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड जारी नहीं हुआ है, प्रतिमाह 10 किलो केसरिया कार्ड जारी किया गया है। इस परिवार को 10 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर पर प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 1.50 लाख है।

3. **स्लेटी राशन कार्ड** :– वर्ष 1991 अथवा 1997 या 2002 के बी.पी.एल सर्वे में सम्मिलित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार, जिसे अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सका है, स्लेटी राशन कार्ड जारी किए गए हैं। परिवार को प्रति माह 35 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 11.58 लाख है।

4. **निःशक्त (हरा) रा ान कार्ड** :– 40 प्रतिशत या इससे अधिक सभी निःशक्तजनों को लाभान्वित करने के लिए हरा राशन कार्ड बनाकर जारी किए गए हैं। जिसकी संख्या 32349 है। उपरोक्त हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है।

राज्य शासन द्वारा जुलाई 2009 से अन्त्योदय राशन कार्ड धारियों को 1 रू. प्रति किलो की दर से तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को 2.00 प्रति किलो की दर से चावल वितरण प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के कियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा 946. 70 करोड़ रू. की राशि प्रावधानित की गई है।

अध्याय–5

पशुधन विकास

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। 15 अक्टूबर, 2007 पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 1.44 करोड़ पशुधन तथा 1.42 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।

गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशु विकासः– पशु संगणना 2007 के अनुसार गौवंशी एवं भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 33.62 लाख है। राज्य में वर्ष 2010-2011 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 22 कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र, 253 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान इकाईयॉ, 210 पशु चिकित्सालय, 755 पशु औषधालय, 10 मु. ग्रा. खण्ड, 100 मु. ग्रा. खण्ड इकाई कार्यरत हैं। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2010-11 में 4.71 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.40 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.24 लाख वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 0.21 लाख वत्सोत्पादन हुआ। तथा 25.27 लाख पशुओं का उपचार, 27.76 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 3.30 लाख पशुओं में बधियाकरण एवं 132.05 लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

वर्ष 2011-12 में माह सितम्बर 2011 तक 1.32 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.17 लाख पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करायी गई। जिससे 0.44 लाख कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन एवं 0.09 लाख प्राकृतिक वत्सोत्पादन हुआ है।

बकरी विकास : प्रदेश में वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार 27.68 लाख बकरे–बकरियॉ हैं, प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है तथा व्यक्ति मूलक योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में नर बकरा हेतु रू. 162.00 लाख आबंटन अंतर्गत लक्षित 6000 नर बकरों के विरूद्ध 176 नर बकरों का प्रदाय किया गया। वर्ष 2011-12 में विभागीय व्यक्तिमूलक योजनांतर्गत राशि रू. 162.00 लाख आबंटन के विरूद्ध 6000 बकरों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। माह सितंबर, 2011 तक राशि रू. 52.54 लाख व्यय कर 429 नर बकरों का वितरण किया गया है। प्रदेश में एक नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना सरोरा जिला रायपुर में की गई है।

सूकर विकास : वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 4.13 लाख़ सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु सूकर पालको को वर्ष 2010-11 में अनुदान पर सूकरत्रयी (2 मादा तथा 1 नर सूकर) हेतु वितरण राशि रू. 80.00 लाख से 735 सूकरत्रयी प्रदाय किया गया, एवं अनुदान पर नर सूकर इकाई वितरण हेतु राशि रू. 22.61 लाख व्यय कर 461 सूकर प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2011-12 में सूकरत्रयी वितरण हेतु राशि 80.00 लाख आवंटन के विरूद्ध 1155 सूकरत्रयी एवं नर सूकर हेतु राशि रू. 22.95 लाख के विरूद्ध 500 नर सूकर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह सितंबर 2011 तक 389 सूकरत्रयी एवं 148 नर सूकरों का वितरण किया गया है। प्रदेश में सकालो, जिला अम्बिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं। जिसमें लार्जव्हाइट यार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सूकरों का प्रजनन किया जा रहा है। एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र कुनकुरी जिला जशपुर में स्थापना प्रगति पर है।

शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय :– प्रदेश में वर्ष 2006-07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतो के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है। योजना प्रारंभ से सितंबर 2011 तक कुल 4130 सांड़ विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रदाय किए गए हैं। वर्ष 2010-11 में रू. 126.00 लाख के परिव्यय से 519 सांड़ों का वितरण किया गया है। वर्ष 2011-12 में राशि रू. 29.81 लाख व्यय कर 71 साड़ों का वितरण किया गया है।

कुक्कुट विकास : प्रदेश में पशु संगणना 2007 के अनुसार प्रदेश में 142.46 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत, आहार एवं औषधि सहित घर पहुॅचा कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2010-11 में राशि रू. 159.54 लाख आबंटन से 11984 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2011-12 हेतु माह सितंबर 2011 तक राशि रू. 86.94 लाख व्यय कर 777 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

केन्द्रीय योजना (एस्काड) : केन्द्र प्रवर्तित योजना एस्काड योजनांतर्गत प्रतिबंधात्मक टीकाकरण पशुरोग अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण प्रचार–प्रसार आदि कार्य किया जाता है। वर्ष 2011-12 में रू. 1434.39 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत है। साथ ही वर्ष 2010-11 की शेष राशि रू. 186.28 लाख का पुर्नवैधिकरण तथा वर्ष 2011-12 में स्वीकृत योजना के विरूद्ध प्रथम किस्त में राशि रू. 500.00 लाख प्राप्त हुआ है।

बॉक्स क्र 5.1

शासन द्वारा पशुपालन हेतु आबंटित राशि

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में 5777.50 लाख रू. की कार्ययोजना स्वीकृत हुई थी जिसके विरूद्ध राशि रू. 4269.25 लाख व्यय की गई।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में राशि रू. 1478.92 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत रू. 1002.36 लाख का बंटन प्राप्त हुआ है।
- दूरस्थ अंचलों में पशु चिकित्सा सेवायें हेतु स्वर्णिम रोजगार योजनान्तर्गत अब तक 5663 बेरोजगारों को गौ सेवक प्रशिक्षण दिया गया है।
- राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रशिक्षित गौ सेवकों, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में कुल 65 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

बॉक्स क्र 5.2

प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए चिकित्सालय

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	210
पशु औषधालय	755
चल चिकित्सालय	16
माता महामारी उन्मूलन योजना	05
पशु जॉच चौकियॉ	07
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	18
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	22
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	253
एम्बुलेट्री क्लीनिक	10
मोटर सायकल यूनिट	20
मुख्य ग्राम खण्ड	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	100

छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरणः– छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय–भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई है। परियोजनांतर्गत मुख्य उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैं :–

1. पशुसंवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन राज्य में सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना।
2. घर पहुॅच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 709 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन।
3. कृत्रिम गर्भाधान पहुॅच विहीन गॉवों में गर्भाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उन्नत किस्मों के साड़ों का प्रदाय।
4. कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
5. गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण।
6. पशु नस्ल आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चरवाहों को प्रशिक्षण।
7. 996 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई क्षेत्र विस्तार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया गया है।
8. प्रशिक्षण केन्द्र महासमुन्द व जगदलपुर में प्रशिक्षण सुविधा हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास।
9. मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैरविभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय गौवंशीय/भैंसवंशीय परियोजना का राज्य में संचालित होने से कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है, परिणाम स्वरूप राज्य में दुग्धउत्पादन में वृद्धि हो रही है।

पशु उत्पाद उपलब्धताः– वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य के 16 जिलों में केन्द्रीय प्रवर्तित न्यादर्श सर्वेक्षण अन्तर्गत 240 ग्रामों का चयन कर दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान किया गया जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 128 ग्राम दूध, प्रतिवर्ष 56 अण्डे प्रतिव्यक्ति तथा वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.237 ग्राम होना पाया गया है।

अध्याय–6

मत्स्य विकास

राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.63 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.515 लाख हे. जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 92.94 प्रतिशत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारन्मुखी साधन है। कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रुप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है।

1. मत्स्य बीज उत्पादन :– वर्ष 2009-10 में समस्त स्त्रोतों से 7628.92 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) तथा वर्ष 2010-11 में 8396.90 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 10.06 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2011-12 में माह सितम्बर 2011 तक 7523.60 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया।

2. मत्स्योत्पादन :– वर्ष 2009-10 में राज्य में समस्त स्त्रोतों से 17426.11 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2010-11 में 228207 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में 9.56 प्रतिशत अधिक है। आलोच्य वर्ष 2011-12 में माह सितम्बर 2011 तक 126145.82 मीट्रिक टन का मत्स्योत्पादन किया गया है।

3. मछुआ सहकारिता :–राज्य में वर्ष 2011-12 में माह सितम्बर 11 तक समितियों की संख्या 945 है। जिनकी सदस्य संख्या 29466 है। इन समितियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए तालाब सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

4. मछुआरों का शिक्षण प्रशिक्षण :– सभी वर्ग के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने एवं जाल बुनने सुधारने, नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण वृत्ति रू. 750, जाल बुनने एवं धागा के लिए रू. 400 तथा अन्य व्यय हेतु रू. 100 इस प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल व्यय रू. 1250 का प्रावधान है। वर्ष 2010-11 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3389 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

बॉक्स क्र 6.1

योजना, बीमा व आवास सुविधा

- मत्स्य पालकों को, दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रू. 50000 तथा स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर 100000 रू. की सहायता दी जाती है। वर्ष 2010-11 में 115677 मछुआरों का बीमा कराया गया इस कार्य में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा।
- वर्ष 2010-11 तक मछुआरों के लिए 388 आवास सुविधा का निर्माण किया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य 50:50 के अनुपात में व्यय भार वहन किया गया।
- सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु. जनजाति महिला कृषकों को स्वयं की भूमि पर एक हेक्टेयर जलक्षेत्र निर्माण पर अधिकतम रू. 5 लाख की सहायता शासन द्वारा दी जाएगी तथा रू. 1 लाख हितग्राही अंशदान इस प्रकार कुल 6 लाख की सहायता। वर्ष 2010-11 में 55 तालाब निर्मित किए गए।

5. मत्स्य पालन प्रसार :–योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु तीन वर्षो में अधिकतम 15000 रू. का प्रावधान है। वर्ष 2010-11 में 855 इकाईयॉ स्थापित की गई है जिसमें 6.01 लाख झींगा बीज संचयन कर 16983 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त किया गया है।

6. **अल्पअवधि बचत–सह–राहत योजना** :– बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वयन की गई है। योजना क्रियान्वयन का 50 प्रतिशत राज्य शासन एवं 50 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा अंशदान से रू. 600 तथा शासन द्वारा अंशदान रू. 1200 इस प्रकार कुल रू. 1800 हितग्राही के नाम से बैंक में जमा किए जाते हैं। जिससे बंद ऋतु के 3 माह में 600 रूपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को दिए जाते है। वर्ष 2010-11 में 1590 मछुआरों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जावेगा।

7. मत्स्यकीय क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग :– केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई है। योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में 10.50 लाख रू. का आबंटन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के छः चयनित जिलों बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, बस्तर, रायगढ़ एवं दुर्ग में ग्रामीण तालाबों में तथा सभी 18 जिलों में सिंचाई जलाशयों के जल क्षेत्र का सर्वेक्षण, मत्स्यपालन संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण कर केन्द्र शासन को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिलों को संचालनालय के साथ नेटवर्किंग करने हेतु 18 जिलों में कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं।

प्रमुख योजनाओं की वर्ष 2011–12 माह सितंबर 11 तक की

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियॉ

क्र.	विवरण	इकाई	भौतिक		वित्तीय (लाख रू. में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1.	मत्स्यबीज उत्पादन					
	स्पान		31040.00	32620.00	214.20	93.91
	स्टेण्डर्ड फ्राई	लाख	8955.00	7523.60	-	-
2.	मत्स्यबीज संचयन	लाख	8554.80	7010.67	-	-
3.	मत्स्योत्पादन	मी. टन	254143.46	126145.82	60.60	10.82
4.	विभागीय आय	लाख रू.	6.00	99.119	-	-
5.	त्रिस्तरीय पंचायतों से आय	लाख रू.	-	148.273	-	-
6.	प्रशिक्षण	संख्या	3920	1325	48.38	26.78
7.	रोजगार सृजन	ला. मा. दि.	110.00	56.64	-	-
	केन्द्र प्रवर्तित योजना					
1	मत्स्य कृषकों को आर्थिक सहायता					
	अ. ऋण	लाख रू.	493.00	121.00	-	-
	ब. अनुदान	लाख रू.	203.00	36.05	-	-
2	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	संख्या	-	23	-	-
		हे.	-	12.31	-	-
3	मत्स्य जीवियों को दुर्घटना बीमा	संख्या	126551	126551	18.35	10.35

अध्याय–7

वानिकी

भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.38% भाग वनाच्छादित है। जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85% है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में तीसरे स्थान पर है। राज्य में आरक्षित वन 25782 वर्ग कि.मी. (43.13%), संरक्षित वन 24036 वर्ग कि.मी. (40.21%), अवर्गीकृत वन 9954 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 32 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। कार्य आयोजना वैज्ञानिक पद्धति से किसी भी वनमंडल के वनों के विदोहन/पातन हेतु भारत शासन द्वारा स्वीकृत योजना है।

वनमंडल की कार्य आयोजना वरिष्ठ वन अधिकारी (उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी) के द्वारा बनायी जाती है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। कार्य आयोजना का पुनरीक्षण, कार्य आयोजना समाप्ति के 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया जाता है, ताकि समयावधि समाप्त होने के पश्चात वनमंडल में नई कार्य आयोजना लागू की जा सके। वर्तमान में 03 वनमंडलों में कार्य आयोजना पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। राज्य के समस्त वन मंडल के वन क्षेत्रों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

बाक्स नं–7.1

- राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है। योजनांतर्गत 2010–11 में रू. 450.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें 65 कि.मी. में रोपण हेतु तैयारी तथा 91 कि.मी. में रोपण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में योजनांतर्गत रू. 530.00 लाख का प्रावधान रखा गया है जिसमें 150 कि.मी. सड़क किनारे वृक्षारोपण तथा 350 कि.मी. रखरखाव का लक्ष्य है। सितम्बर 2011 तक 51.76 लाख का व्यय किया जा चुका है।

- बिगड़े वनों का सुधार कार्य योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में रू. 6600.00 लाख के बजट के विरूद्ध रू. 6509.17 लाख व्यय किया गया तथा वर्ष 2011–12 हेतु इस मद में रू. 7900.00 लाख बजट के विरूद्ध सितम्बर 2011 तक 2269.95 लाख व्यय किया जा चुका है।

लाख विकास योजना :– इस योजनांतर्गत राज्य में लाख की खेती का विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु वर्ष 2010–11 में कुल प्रावधानित राशि रू. 200.00 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2011–12 में 200.00 लाख रू. का प्रावधान है, जिसमें सितम्बर 2011 तक 200.00 लाख रू. का व्यय किया जा चुका है।

वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण :– वनक्षेत्रों से गुजरने वाले 30000 कि.मी. वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण करना जिससे वनग्रामवासी के आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू. 750.00 लाख का प्रावधान किया गया था तथा 232 रपटा/पुलिया निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह सितम्बर 2011 तक रू. 1.28 लाख का व्यय हुआ है।

पौधा प्रदाय योजना : जनता में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रचार–प्रसार हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने हेतु ''पौधा प्रदाय योजना'' राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें 1 रू.प्रति पौधा की दर से अधिकतम एक हजार पौधे एक हितग्राही को दिये जायेंगे। वर्ष 2010–11 में रू. 150.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 145.29 लाख व्यय किए गए हैं एवं विभिन्न प्रजाति के 35.85 लाख पौधे वन विभाग की नर्सरियों में तैयार कर हितग्राहियों को रियायती दर पर प्रदाय किया गया। वर्ष 2011–12 में रू. 150 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें 30 लाख पौधा तैयारी का लक्ष्य रखा गया है। सितम्बर 2011 तक योजनांतर्गत रू. 45.32 लाख व्यय किया गया है।

हरियाली प्रसार योजना : कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाली प्रसार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों को उनकी पड़त भूमि में इच्छित प्रजाति के 250 से अधिकतम 1000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांरित किए जाएंगे, साथ ही आगामी दो वर्षो के लिए रख–रखाव हेतु 1.00 रू. प्रति पौधा की दर से प्रति वर्ष अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 2010–11 में रू. 250.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरूद्ध रू. 251.00 लाख व्यय किया जाकर 69 लाख पौधे नर्सरी में तैयार किए गए तथा 2.68 लाख पौधे किसानों की भूमि पर रोपित किए गए। वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 305.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसमें 10 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। सितम्बर 2011 तक रू. 56.40 लाख व्यय हुआ है।

नदी तट वृक्षारोपण योजना : राज्य की जीवनदायनी नदियों के संरक्षण हेतु नदीतट वृक्षारोपण योजना लागू की जा रही है। इससे नदियों के तट पर होने वाले भू–क्षरण और इससे जनित समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण से किया जायेगा। वर्ष 2010–11 में इस मद

में रू. 540.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसमें से वर्षान्त तक रू. 529.32 लाख के व्यय से 9.80 लाख पौधों का रोपण किया गया। वर्ष 2011–12 में इस योजनांतर्गत रू. 580 लाख की राशि का प्रावधान किया जाकर 10 लाख पौधा रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सितम्बर 2011 तक 129.87 लाख रू. की राशि व्यय की गई है।

बांस वनो का पुनरोद्धार :– बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले (कोपल) प्राप्त होते हैं एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। वर्ष 2010–11 में इस मद में रू. 2900.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध रू. 2880.83 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2011–12 में इस मद में रू. 4260.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत सितम्बर 2011 तक रू. 650.65 लाख व्यय किया गया।

भू–जल संरक्षण :– भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने एवं वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू–संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु यह योजना प्रारंभ की है, वर्ष 2010–11 में रू. 1730.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध रू. 1714.26 लाख व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजनांतर्गत रू. 2070.00 लाख का प्रावधान रखा गया है जिससे 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य का लक्ष्य रखा है। माह सितम्बर 2011 तक 73. 24 लाख रू. का व्यय किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम :–

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 से अस्तित्व में आया तब तक रायपुर क्षेत्र में 4 परियोजना मण्डल अस्तित्व में थे। सितंबर, 2001 से औद्यौगिक परियोजना मंडल, बिलासपुर का गठन किया गया। औद्यौगिक वृक्षारोपण परियोजना मण्डल का मुख्य कार्य एस.ई.सी.एल. बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. कोरबा संस्थानों हेतु पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य है। क्षेत्र हस्तांतरण के उपरान्त अक्टूबर 2003 में तीन नवीन परियोजना मण्डलों का गठन किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 7 परियोजना मण्डल हैं, एक कालान्तर में बन्द हो गया।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में वर्तमान में दो क्षेत्रीय महाप्रबंधक के कार्यालय हैं जिसका मुख्यालय रायपुर एवं बिलासपुर में है।

निगम के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल एवं रोपित रकबा (हेक्टेयर में) 2011 की स्थिति में :–

निगम का वन क्षेत्रफल	सागौन	बांस	मिश्रित	औषधीय	योग
197157	93387	6851	428	318	100984

वर्ष 2012 में 3934 हे. सकल क्षेत्र में सागौन, 500 हे. क्षेत्र में नीलगिरी रोपण का लक्ष्य निर्धारित है।

उच्च तकनीक वृक्षारोपण :– वर्ष 1997 से परियोजनाओं में उच्च तकनीक के अंतर्गत सागौन के सिंचित रोपण किए गए हैं जिसके परिणाम काफी अच्छे प्राप्त हुए है। परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है।

(वर्ष 1997 से 2011 तक)

परि. मण्डल का नाम	रोपित क्षेत्र (हेक्टेयर में)										
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2010	2011	योग(हे.)
बारनवापारा	10.00	10.00	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00	50.00
कोटा	1.77	-	20.47	25.00	25.00	25.00	-	-	31.00	30.00	128.24
पानाबरस	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00
अंतागढ़	14.00	-	-	-	-	-	10.00	12.00	-	-	36.00
कवर्धा	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	30.00	40.00
सरगुजा	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00	45.00	73.00
योग :	35.77	20.00	45.47	25.00	25.00	25.00	10.00	12.00	69.00	120.00	387.24

वर्षा ऋतु वर्ष 2012 में उच्च तकनीक रोपण हेतु 112 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित है।

खदानी रोपण :– वर्ष 1990 से 2011 तक औद्यौगिक क्षेत्रों में 204.98 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष 2012 में 5.00 लाख पौधों का रोपण लक्ष्य प्रस्तावित है।

सड़क किनारे वृक्षारोपण :– माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान 354.80 कि.मी. लम्बाई में पथ वृक्षारोपण किया गया है:–

वर्ष	उपलब्धि	
	रोपित मार्ग लंबाई (कि.मी.)	रोपित पौधों की संख्या
2006	62.45	99223
2007	64.00	123000
2008	101.85	201925
2009	69.10	136881
2010	55.90	104800
2011	135.45	261226

वर्ष 2012 में 1855 कि.मी. में पथ वृक्षारोपण किया जाना निर्धारित है, जो संस्थाओं द्वारा अनुबंध कर राशि प्रदाय करने पर निर्भर है।

बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य : निगम को हस्तांतरित वन क्षेत्र में अधिकांश बांस वन बिगड़ी स्थिति में है। वर्ष 2009–10 में वन विकास उपकर निधि मद से 2977 हेक्टेयर बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य कराया गया। वर्ष 2010–11 में 846.88 हे. बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं 2977 हे. में करला सुरक्षा कार्य प्रस्तावित है।

क्र.	परियोजना मण्डल का नाम	वर्ष 2009–10 में किया गया सुधार कार्य (हे.)	वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित कार्य	
			बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य (हे.)	बांस रोपण (तैयारी)
1	बारनवापारा–रायपुर	256	298	-
2	अंतागढ़–भानुप्रतापपुर	425	174	-
3	पानाबरस–राजनांदगांव	374	100	-
4	कोटा–बिलासपुर	1202	200	-
5	कवर्धा–कबीरधाम	720	75	-

वर्ष 2011–12 में 1874 हे. में बिगड़े बॉस वनों का सुधार एवं 3824 में बांस क्षेत्र में करला सुरक्षा कार्य प्रस्तावित है।

वनौषधि रोपण : राष्ट्रीय औषधी पादप बोर्ड नई दिल्ली द्वारा "Central Sectors Scheme for Conservation and Development of Medicinal Plant " के तहत औषधी पौधों के 600 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण एवं रोपणी की तैयारी की तीन वर्षीय योजना दिनांक 06.05.09 को स्वीकृत की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	परियोजना मण्डल का नाम	प्रजाति	कुल लक्ष्य	वर्ष 2009.10 में रोपण (हे.)	वर्ष 2010.11 में रोपण (हे.)	योग (हे.)
1	बारनवापारा, कोटा सरगुजा	सतावर	150	-	51.00	51.00
2	बारनवापारा, कवर्धा	कालमेघ	200	100	100.00	200.00
3	बारनवापारा, कवर्धा, पानाबरस, अंतागढ़, कोटा, सरगुजा	गिलोय	100	5.50	35.00	40.50
4	बारनवापारा, कवर्धा	सर्पगंधा	50	-	3.90	3.90
5	अंतागढ़, कोटा	बायबिडंग	100	-	22.00	22.00
योग			600	105.50	211.90	317.40

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

शासन द्वारा राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वयन स्थापित करने के लिए दिनांक 28 जुलाई 2004 को छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है।

दायित्व :– औषधीय पादपों के विकास हेतु शोध एवं अनुसंधान, औषधीय पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण, औषधीय पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आंकलन, औषधीय पौधों के विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना, पारंपरिक चिकित्सकों की पहचान करने तथा मान्यता दिलाने के कार्य का समन्वय करना, औषधीय पादपों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य।

विभिन्न योजनाएं

राज्य वनस्पति मंडल योजना :–

1. 100 हेक्टेयर क्षेत्र पर दशमूल प्रजातियों का रोपण ।
2. राज्य के 07 वनमंडल अंतर्गत 523 हेक्टेयर क्षेत्र पर त्रिफला प्रजातियों का रोपण।
3. हर्बल उत्पादों के विक्रय को प्रोत्साहित करने रेल्वे स्टेशन, रायपुर एवं माना विमानतल में रिटेल आउटलेट की स्थापना।
4. औषधीय साहित्य उपलब्ध कराने ई–लाईब्रेरी एवं हर्बल लाईब्रेरी की स्थापना

यू.एन.डी.पी. परियोजना :– राज्य के 7 वनमंडलों में प्रत्येक वनमंडल अंतर्गत 200 हेक्टेयर क्षेत्र पर 150 से 200 प्रजातियों का अंतःस्थलिय संरक्षण। औषधीय पादपों की पहचान हेतु ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आंवला कैम्पेन परियोजना :– राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड भारत शासन द्वारा आंवला पौधों के रोपण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य के 6 जिलों के 7 विकासखण्डों में 12 लाख आंवला पौधों के वितरण, तथा 127 हेक्टेयर क्षेत्र पर ऑवला प्रदर्शन प्रक्षेत्र की स्थापना।

औषधीय पौधों के राष्ट्रीय मिशन योजना :– अशासकीय क्षेत्र में 13 तथा शासकीय क्षेत्र में 14 औषधीय रोपणियों की स्थापना। 364 हेक्टेयर क्षेत्र पर 19 चयनित औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण। इस कृषिकरण हेतु कृषकों को रू. 15.83 लाख की अनुदान राशि वितरित।

अध्याय–8

जल संसाधन

छत्तीसगढ राज्य में जल संसाधनों के उपयोग एवं विकास कार्य

छत्तीसगढ एक कृषि प्रधान राज्य है, वर्ष 2010–11 में प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र 56.83 लाख हेक्टेयर तथा निरा बोया गया क्षेत्र 47.10 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश गठन के समय शासकीय स्त्रोतों से 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र निर्मित हुआ था जो कुल बोया गये क्षेत्र का 23 प्रतिशत है। आंकलन के अनुसार 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित की जा सकती है। जिसमें सतही जल से 33.80 लाख एवं भू जल से 9.20 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जा सकती है, राज्य गठन के पश्चात राष्ट्रीय औसत 48.90 प्रतिशत के समकक्ष लाने के लिए शासन द्वारा सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश की पांच मुख्य नदी कछारों में कुल 137900 वर्ग किमी. सतही जलग्रहण क्षेत्र है। इस प्रकार 75 प्रतिशत निर्भरता राज्य में कुल 599000 लाख घनमीटर सतही जल की उपलब्धता है जिसमें से 417200 लाख घन मीटर उपयोग में लाया जा सकता है।

इसी प्रकार राज्य में 136780 लाख घनमीटर भू–जल उपलब्ध है जिसमें से 116020 लाख घनमीटर का उपयोग सिंचाई हेतु किया जा सकता है। प्रदेश का वर्ष 2008–09 में जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2010–11 में 0.200 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया। मार्च 2011 तक 4.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के वृद्धि की जाकर प्रदेश में कुल 18.09 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जा चुका है जो कि कुल बोया गया क्षेत्र का 31.83 प्रतिशत है।

प्रदेश में मार्च 2011 तकं 7 वृहद 33 मध्यम एवं 2335 लघु योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं इसके अलावा 4 वृहद, 6 मध्यम एवं 412 लघु सिंचाई परियोजनाऍं निर्माणाधीन है। वर्ष 2010–11 में 17 लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

11 वीं पंचवर्षीय योजना में 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता सतही जल से सृजित करने एवं 0.5 लाख हेक्टेयर उथले नलकूल निर्माण से सृजित करने का लक्ष्य है।

सिंचित क्षेत्र :– 1 नवम्बर 2000 को समस्त शासकीय स्त्रोतों से निर्मित सिंचाई क्षमता 13. 28 लाख हेक्टेयर थी, राज्य गठन के पश्चात क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि निम्नानुसार है :–

अवधि	बजट आबंटन (करोड़ रू. में)	निर्मित सिंचाई क्षमता हे.	कुल सिंचाई लाख हें.	सिंचाई का प्रति ात
नवम्बर 2000 से मार्च 2001	111.57	12000	13.40	23.15
अप्रैल 2001 से मार्च 2002	294.16	71000	14.11	24.38
अप्रैल 2002 से मार्च 2003	501.63	42000	14.53	25.10
अप्रैल 2003 से मार्च 2004	577.97	98000	15.51	26.78
अप्रैल 2004 से मार्च 2005	818.78	75000	16.26	28.10
अप्रैल 2005 से मार्च 2006	780.07	55000	16.81	29.40
अप्रैल 2006 से मार्च 2007	881.14	41000	17.22	30.12
अप्रैल 2007 से मार्च 2008	1004.41	36000	17.58	30.76
अप्रैल 2008 से मार्च 2009	1086.75	13700	17.71	30.89
अप्रैल 2009 से मार्च 2010	1199.94	17400	17.89	31.12
अप्रैल 2010 से मार्च 2011	1761.82	20000	18.09	31.83

नवीन प्रशासकीय स्वीकृत की योजनाएं :– वर्ष 2011.12 में नवंबर 2011 तक शासन द्वारा प्रदाय की गई स्वीकृत/पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	प्रकार	संख्या	लागत (करोड़ रू. में)	सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में
1	2	3	4	5
1	सिंचाई योजनाएँ	33	230.26	11185
2	एनीकट/स्टॉपडेम	58	225.78	5940
	योग	**91**	**456.04**	**17125**

भू–जल स्त्रोतों का उपयोग :– केन्द्रीय भू जल बोर्ड की वर्ष 2005 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में भू–जल स्त्रोतों की बहुत संभवनायें हैं । प्रतिवेदन के अनुसार 35678 एम.सी. एम. की राज्य में उपलब्धता है। इसमें समस्त स्त्रोतों अभी तक 2792.12 एम.सी.एम. अर्थात 20.40 प्रतिशत जल का उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यो के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 तक भाासकीय नलकूपों की 26 योजनाओं से 1134 नलकूपों द्वारा 25500 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित हुई है, तथा हितग्राही मूलक योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों के निजी नलकूप निर्माण द्वारा वर्ष 2010-11 तक 1834 सफल नलकूप से 9170 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। वर्ष 2011–12 में नवंबर 2011 तक 399 सफल नलकूप से 1995 हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है।

बाक्स न–8.1

योजनाएं एवं सिंचित क्षेत्र

- वर्ष 2011–12 में 91 नई परियोजनाओं एनीकेट सहित (लागत 456.04 करोड़ रू.) जिनकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 17125 हेक्टेयर है।
- महानदी जलाशय परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता 264311 हेक्टेयर (खरीफ) है। वर्ष 2010–11 में 225890 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है।
- कोडार जलाशय परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 16754 हेक्टेयर है। वर्ष 2010–11 में 16186 हे. क्षेत्र में खरीफ की सिंचाई की गई है।
- जोंक परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 12870 हेक्टेयर है जिसके विरूद्ध वर्ष 2010–11 में 7860 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है।
- तान्दुला जलाशय परियोजना से वर्ष 2010–11 में 87558 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2010–2011 में वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं से 12.95 लाख हे. क्षेत्र में खरीफ फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसके विरूद्ध 10.75 लाख हे.सिंचाई के साथ औद्योगिक संयत्रो के लिएं 2958.63 मिलियन घन मीटर जल प्रदाय किए गए तथा प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 315.703 मिलियन घन मीटर पेय जल हेतु प्रति वर्ष जल प्रदाय किया जा रहा है।
- बहुउद्देशीय वृहद परियोजना, हसदेव बांगो जिसकी निर्मित सिंचाई क्षमता मार्च 2011 तक 247400 हेक्टेयर खरीफ एवं 173180 हेक्टेयर रबी कुल 420580 हेक्टेयर है जिसके विरूद्ध खरीफ की सिंचाई हेतु वर्ष 2011–12 में 221002 हेक्टेयर क्षेत्र में जल उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से एन.टी.पी.सी., छ.ग.रा.वि.मं. उत्पादन कंपनी, बाल्को, एस.ई.सी.एल., बी.पी.सी.एल. आदि उद्योगों तथा कोरबा नगर निगम को जल प्रदाय किया जा रहा है।
- खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना मार्च 2009 में पूर्ण कर 12145 हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की गई। इस योजना के निर्माण से दुर्ग जिले के डोंडीलोहारा एवं गुण्डरदेही विकासखण्ड के 76 ग्रामों में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है।
- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अन्तर्गत एशियन डेव्लेपमेंट बैंक से 163.437 करोड़ रू. की लागत से 24 मध्यम एवं 123 लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुनरूद्धार एवं उन्नयन का कार्य प्रारंभ किया गया जिससे 1.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूर्ण सिंचाई क्षमता प्राप्त होगी।
- वर्ष 2011–12 के बजट में आदिवासी क्षेत्रों की योजनाओं हेतु 159.25 करोड़ रू. तथा गैर आदिवासी क्षेत्र की योजनाओं हेतु 202.11 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है।

एनीकेट निर्माण कार्य योजना :– जल की बढती कमी को ध्यान में रखते हुए नदी नालों पर एनीकेट/स्टाप डेम का निर्माण प्रस्तावित है इससे पेयजल, सिंचाई, उद्योगों के उपयोग हेतु पानी की उपलब्धता, पशुओं के लिए पीने का पानी निस्तार की आवश्यकता, भू–जल संवर्धन एवं भू–संरक्षण में सहायता होगी। वर्तमान में 595 एनीकेट के निर्माण हेतु कार्य योजना स्वीकृत है जिसकी अनुमानित लागत रू. 2322.76 जिसके अंतर्गत 150 एनीकेट का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी लागत रू. 392.37 करोड़ है। 134 एनीकेट का कार्य चल रहा है, जिसकी लागत रू. 926 करोड़ है। वर्ष 2011–12 के बजट में एनीकेट के निर्माण हेतु रू. 270 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है।

समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2010–11 में जलाशयों से सृजित एवं उपयोग सिंचाई निम्नानुसार है :–

(लाख हेक्टेयर में)

क्र.	परियोजना	सृजित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2010–11 में वास्तविक सिंचाई
1	वृहद परियोजना	10.00	7.75
2	मध्यम परियोजना	1.905	1.12
3	लघु परियोजना	6.185	2.75
योग		**18.09**	**11.62**

निर्माणाधीन योजनाएं

1. केलो वृहद परियोजना :– केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. दूर केलो नदी पर निर्माणाधीन है। जिसकी अद्यतन लागत 598.91 करोड़ रू. है। जिसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 22810 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य की भौतिक प्रगति क्रमशः 78% एवं 41% है।

2. सूखा नाला बैराज :– यह मध्यम परियोजना राजनांदगॉव जिले के डोंगरगॉव तहसील के ग्राम बह्मनीकनेरी के पास सूखानाला में प्रस्तावित है। इसकी अद्यतन लागत् रू. 91.54 करोड़ है। इसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 6270 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य 100% तथा नहर कार्य 95% पूर्ण कर लिया गया है।

3. घुमरिया नाला बैराज परियोजना :– घुमरिया नाला बैराज परियोजना राजनांदगॉव जिले के छुलिया तहसील के ग्राम जोशीलमती के समीप घुमरियानाला पर निर्माणाधीन है। योजना की लागत रू. 47.79 करोड एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता 3200 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य 80% तथा नहर कार्य 80% पूर्ण कर लिया गया है।

4. कर्रानाला बैराज परियोजना :– यह परियोजना कबीरधाम जिले के सहसपुर–लोहारा विकासखण्ड मुख्यालय से 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। योजना की वर्तमान लागत रू. 9919.13 लाख है। योजना का शीर्ष कार्य 99% तथा नहर कार्य 95% पूर्ण किया जा चुका है।

आयाकट विकास

महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10.11 लाख हेक्टेयर एवं कृषि योग्य भूमि 7.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। यह समूचा क्षेत्र रायपुर जिले के 12 विकासखण्डों के 1172 ग्राम, दुर्ग जिले के 7 विकासखण्डों के 611 ग्राम, धमतरी जिले के 4 विकासखण्डों के 315 ग्राम तथा महासमुन्द जिले के 1 विकासखण्ड के 48 ग्रामों का क्षेत्र है।

परियोजनावार सिंचाई क्षमता का उपयोग वर्ष 2010–11 एवं 2011–2012

(हेक्टेयर में)

क्र	परियोजना का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल	कृषि योग्य भूमि सी. सी.ए.	मौसम	रूपांकित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11	
						वास्तविक	सृजित	वास्तविक	सृजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	महानदी परियोजना (सोढूर सहित)	611668	386703	खरीफ	276571	275776	232869	278376	258959
				रबी	-	-	-	-	-
2.	पैरी परियोजना	62631	40489	खरीफ	39741	39741	36520	39741	36870
				रबी	33995	-	-	-	-
3.	कोडार परियोजना	27777	21740	खरीफ	16754	16754	16163	16754	16186
				रबी	6718	-	-	-	-
4.	जोंक परियोजना	23523	21281	खरीफ	14569	14569	4000	14569	7860
5.	बलार परियोजना	16741	8152	खरीफ	6880	5567	6548	5567	6064
				रबी	-	-	-	-	-
6.	तांदुला परियोजना	269164	246340	खरीफ	101977	101977	14958	101977	87558
				रबी	40713	-	-	-	-

1– फील्ड चैनल का निर्माणः– वर्ष 2011–12 में फील्ड चैनल निर्माण के लिए 1944.00 लाख रू. का आबंटन उपलब्ध कराया गया, जिसके विरूद्ध सितंबर 2011 तक 997.75 लाख रू. व्यय किए गए तथा 14400 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण के भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर 2011 तक 7880 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण कराया गया है। वर्ष 2010–11 में 4487 स्ट्रक्चर्स भी लगाए जाने से मार्च 2011 तक स्ट्रक्चर्स की कुल संख्या 68241 तक पहुॅच गई है। वर्ष 2010–2011 में कुल 126696 मीटर में लाइनिंग किया गया। अब तक कुल 730875 मीटर की लाइनिंग की जा चुकी है।

2– कृषकों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण :– वर्ष 2010–11 में विकासशील कृषकों के भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 4.00 लाख रूपये व्यय कर 500 कृषको को भ्रमण प्रशिक्षण के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 486 कृषकों को उड़ीसा, महाराष्ट्र, औरंगाबाद तथा स्थानीय कसारीडीह, कौवाझर, बिलाईगढ़, धमतरी एवं महासमुन्द केन्द्र आदि का भ्रमण कराया गया है। वर्ष 2011–12 में विकासशील कृषकों के भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 4.00 लाख रूपये का प्रावधान कर 500 कृषको को भ्रमण प्रशिक्षण लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3– सहभागिता सिंचाई जल प्रबंधन :– विगत वर्ष 2000–01 से एक नई अभिनव योजना के तहत कृषकों में सिंचाई जल के समानुपातिक वितरण के ध्येय से महानदी आयाकट क्षेत्र में उक्त सहभागिता सिंचाई जल प्रबंध समितियों को अनुदान देकर प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 2011–12 में 17756 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 159.80 लाख रू. का आबंटन तथा लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर 2011 तक 5917 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 53.26 लाख रू. का अनुदान संस्थाओं को प्रदान किया गया है।

मिनीमाता (हसदेव) बागों परियोजना :– छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदी महानदी की मुख्य सहायक, हसदेव नदी पर बांगो ग्राम के पास प्रमुख बांध एवं इसके 42 कि.मी. नीचे कोरबा स्थित बैराज के कार्य पूर्ण किए जा चुके है। एवं नहर प्रणाली का आंशिक शेष निर्माण कार्य समाप्ति पर है।

मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है। वर्तमान में बांध का शत्–प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कोरबा, जांजगीर–चांपा एवं रायगढ़ जिले के लगभग 801 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होंगे। परियोजना की पूर्ण सिंचाई क्षमता 255000 हेक्टेयर के विरूद्ध 170 प्रतिशत सिंचाई तीव्रता से 433500 हेक्टेयर विकसित होना प्रस्तावित था।

वर्ष 2010–11 में बांगो परियोजना से खरीफ सिंचाई हेतु 247400 हेक्टेयर सिंचाई लक्ष्य के विरूद्ध 220956 हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई की गई। वर्ष 2011–12 में हसदेब बांगो परियोजना से 247400 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध खरीफ सिंचाई अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार 221002 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की जा चुकी है। इस वर्ष परियोजना के दांयी तट नहर के क्षेत्र में 45000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल (ग्रीष्मकालीन धान) हेतु जल प्रदाय किया जा रहा है।

बहुउद्देश्यीय परियोजना द्वारा बांध के नीचे स्थित विद्युत गृहों से 40 मेगावाट की 3 यूनिट द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। परियोजना से एन.टी.पी.सी., छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, एस.ई.सी.एल तथा बी.पी.सी.एल. आदि उद्योगों के साथ–साथ कोरबा नगर निगम को जल प्रदाय किया जा रहा है। इस वर्ष 2011–12 में परियोजना हेतु रू. 29.417 करोड़ का आबंटन उपलब्ध है। परियोजना पर मार्च 2011 तक कुल रू. 1714.78 करोड़ एवं माह दिसंबर 2011 तक कुल रू. 1736.95 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

अध्याय – 9

विद्युत (ऊर्जा)

विगत वित्त वर्ष 2010–2011 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, लक्ष्य के विरूद्व अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2011–2012 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दु–वार जानकारी निम्नानुसार है –

(I) उत्पादन संकाय :–

(1) विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन :–

मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 10 वर्ष में अर्थात नवम्बर, 2011 के अंत में बढ़कर 1924.70 मेगावाट हो गई है। इसमें 1780 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पादन) की स्थापित क्षमता है।

क्रं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	**ताप विद्युत गृह**		
1	कोरबा पूर्व –II	4 x 50 =200	1966-68, 2003
2	कोरबा पूर्व –III	2 x 120 =240	1976-81, 2004-05
3	डॉ. एस.पी.एम. ताप विद्युत गृह	2 x 250=500	2007
4	कोरबा पश्चिम	4 x 210=840	1983-86
5	भोरमदेव सह–उत्पादन, कवर्धा	1 x 6 =6	2006
II	**जल विद्युत परियोजना –**		
1	मिनीमाता हसदेव–बांगो	3 x 40=120	1994-95
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 x 2.5=10	2004
3	जल विद्युत गृह सीकासार	2x 3.5=7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 x 0.85=1.70	2003,2009
	योग	**1924.70**	

मंडल ने 2000–01 में कोरबा पूर्व उत्पादन संयत्रों की जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण की योजना बनाई थी जो वर्ष 2004–05 में पूर्ण कर ली गई। कोरबा पूर्व की इकाईयों के जीर्णोद्धार कार्य पूर्णता पर कुल 40 मेगावाट की स्थापित क्षमता में वृद्धि तथा 100 मेगावाट की उत्पादन उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इस कार्य पर मण्डल द्वारा कुल 375 करोड रू. का व्यय किया गया, जिससे कोरबा पूर्व इकाई क्र.1,2,3,4,5 एवं 6 का जीवनकाल 20 वर्ष बढ़ गया है। हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम की रिटर्न केनाल पर 0.85 मेगावाट क्षमता की दो जल विद्युत इकाईयों (कुल 1.70 मेगावाट) को क्रमशः दिनांक 12 जनवरी, 2003 को

एवं 29 मई, 2009 क्रियाशील कर विद्युत उत्पादन शुरू किया। गंगरेल में 2.5 मेगावाट क्षमता की चार जल विद्युत इकाईयां स्थापित कर क्रमशः 2 अप्रैल 2004, 29 जून 2004, 17 अक्टूबर 2004 एवं 5 नवबंर 2004 को परिचालित की गई है। 6 मेगावाट क्षमता का कोजन पावर प्लांट कवर्धा में दिनांक 10 अगस्त, 2006 को क्रियाशील कर विद्युत उत्पादन शुरू किया गया । सिकासार में 3.5 मेगावाट क्षमता की दो जल विद्युत इकाईयों (कुल 7मेगावाट) को दिनांक 03 सितम्बर, 2006 को क्रियाशील कर विद्युत उत्पादन शुरू किया। 2 x 250 मेगावाट कोरबा पूर्व संयंत्र की इकाई क्र.1 एवं 2 को क्रमशः 30 मार्च 2007 एवं 11 दिसम्बर 2007 को परिचालित की गई तथा इन से व्यवसायिक उत्पादन क्रमशः 21 अक्टूबर 2007 एवं 20 मार्च 2008 से प्रारंभ हुआ।

विद्युत मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 20 मार्च, 2008 को छ.रा.वि.म.के (3 x 40 मेगावाट) हसदेव बांगो जल विद्युत गृह को वर्ष 2006–07 के दौरान प्रशंसनीय कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण शील्ड प्रदान की गई।

विद्युत मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 14 दिसम्बर, 2010 को छ.रा.वि.उत्पा.कंम. के (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व को वर्ष 2010 के दौरान ऊर्जा दक्षता में प्रशंसनीय उपलब्धि के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

वर्ष 2000–01 में ताप विद्युत गृहों का संयंत्र उपयोगिता घटक 65.75 प्रतिशत था। जो वर्ष 2011–12 में सितंबर 2011 तक बढ़कर 75.34 प्रतिशत हो गया, इस दौरान 6072.40 मिलियन यूनिट (तापीय 5891.10 जलीय 180.31 एवं अन्य सह–उत्पादन 0.985) विद्युत का उत्पादन किया गया, विशिष्ट तेल खपत 1.013 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई, विशिष्ट कोल खपत 0.812 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई, एवं संयंत्र विद्युत खपत 9.95 प्रतिशत हुई।

जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक की उपलब्धियॉ :

छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक–932 दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 231 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ द्वारा छ.रा.वि.उत्पा.कं.म.का गठन 01 जनवरी, 2009 को किया गया।

छ.रा.वि.उत्पा.कं.म. का वर्ष 2010–11 में अप्रैल, 2010 से मार्च 2011 तक संयंत्र उपयोगिता घटक 88.99 प्रतिशत रहा, इस दौरान 14057.698 मिलियन यूनिट (तापीय 13875. 825 जलीय 173.226 एवं अन्य सह–उत्पादन 8.648) विद्युत का उत्पादन किया गया, विशिष्ट तेल खपत 0.681 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई, विशिष्ट कोल खपत 0.765 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई, एवं संयंत्र विद्युत खपत 8.78 प्रतिशत हुई।

विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियां वर्ष 2010-11

1. विद्युत मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 14 दिसम्बर 10 को छ.रा.वि.उत्पा.कंपनी के (2 x 250) मेगावाट डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व को वर्ष 2010 के दौरान उर्जा दक्षता में प्रशंसनीय उपलब्धि के लिए द्वितीय पुरूस्कार प्रदान किया गया।

2. (2x250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयंत्र की इकाई क्रं 1 में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 191.446 मिलियन यूनिट (102.93% PUF) माह जनवरी 11 में रहा।

3. (2x250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयंत्र की इकाई क्र. 2 में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 190.384 मिलियन यूनिट (102.36 % PUF) माह जनवरी 20111 में हुआ।

4. (2x250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयंत्र में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 381.830 मिलियन यूनिट (102.64% PUF) माह जनवरी 2011 में हुआ।

5. (2x250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयंत्र की इकाई क्रं. 1 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 2162.826 मिलियन यूनिट (98.76% PUF) रहा।

6. (2x250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयंत्र की इकाई क्रं 2 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 2077.248 मिलियन यूनिट (94.85% PUF) रहा।

7. (2x250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयंत्र में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 4240.074 मिलियन यूनिट (96.81%PUF) रहा।

8. वित्तीय वर्ष 2010-11 में (2x210 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयंत्र में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.311 ml/kwh रही

9. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1(2x210 मेगावाट) की इकाई क्रं 2 द्वारा सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 158.86 मिलियन यूनिट (101.68% PUF) माह जनवरी, 2011 में किया गया।

10. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2(2 **x** 210 मेगावाट) की इकाई क्र. 3 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1698.89 मिलियन यूनिट (92.35 % PUF) हुआ।

11. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1(2 **x** 210 मेगावाट) की इकाई क्र. 2 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1703.53 मिलियन यूनिट (92.60 % PUF) हुआ।

12. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2 (2 **x** 210 मेगावाट) की इकाई क्र. 4 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1651.14 मिलियन यूनिट (89.76 % PUF) हुआ।

14. वित्तीय वर्ष 2010–11 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2 (2 **x** 210 मेगावाट) में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 3350.03 मिलियन यूनिट (91.05 % PUF) हुआ।

15. वित्तीय वर्ष 2010–11 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृहों में (4 x 210 मेगावाट) सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 91.00% संयंत्र उपयोगिता घटक के साथ 6696.30 मिलियन यूनिट हुआ।

16. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.398 ml/kwh रही।

17. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र. 2 में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.427 ml/kwh रही।

18. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2(2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र. 3 में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.475 ml/kwh रही।

19. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र.4 में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.396 ml/kwh रही।

20. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.436 ml/kwh रही।

21. वित्तीय वर्ष 2010–11 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृहों में (4 x 210 मेगावाट) सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.417 ml/kwh रही।

22. वित्तीय वर्ष 2010–11 में कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह में 28200 MT कोयला की दैनिक प्राप्ति 11 फरवरी, 2011 में हुई हैं। जो अभी तक का सर्वाधिक दैनिक प्राप्ति कीर्तिमान हैं। पिछला दैनिक प्राप्ति का कीर्तिमान 27100 MT 19 जनवरी 07 में रहा था।

23. वित्तीय वर्ष 2010-11 में कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह में 5427699 MT कोयला की वार्षिक प्राप्ति हुई हैं। जो अभी तक का सर्वाधिक वार्षिक प्राप्ति कीर्तिमान हैं। पिछला वार्षिक प्राप्ति का कीर्तिमान 5307301 MT वर्ष 2009-10 में रहा था।

24. वित्तीय वर्ष 2010–11 में (4 x 2.5 मेगावाट) जल विद्युत गृह गंगरेल में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक उत्पादन 36.573668 मिलियन यूनिट हुआ। पिछला कीर्तिमान 33.843499 मिलियन यूनिट वर्ष 2007–08 में रहा था।

25. वित्तीय वर्ष 2010–11 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक खनिजरहित शोधित जल की वार्षिक प्रतिपूर्ति 1.13% रही, जो कि सर्वकालिक न्यूनतम है।

26. वित्तीय वर्ष 2010–11 में (4 x 6 मेगावाट) भोरमदेव सह–उत्पादन, विद्युत गृह कवर्धा में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक उत्पादन 8.6477 मिलियन यूनिट हुआ। पिछला कीर्तिमान 6.631 मिलियन यूनिट वर्ष 2008–09 में रहा था।

27. वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल 14057.698 मिलियन यूनिट (तापीय 13875.825 मिलियन यूनिट, जलीय 173.226 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 8.648 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ एवं ताप विद्युत संयंत्रों का वार्षिक PUF 88.99% रहा जो सर्वकालिक अधिकतम है। जो कि गत वर्ष के कुल विद्युत उत्पादन से 511.912 मिलियन यूनिट अधिक है अर्थात 3.78% की विद्युत उत्पादन में वृद्वि हुई। गत वर्ष कुल विद्युत उत्पादन 13545.786 मिलियन यूनिट हुआ था।

2. ताप संयंत्र उपयोजन गुणांक (पी.यू.एफ.) :–

ताप विद्युत उत्पादन में संयंत्रों के कार्य निष्पादन की दक्षता को "संयंत्र उपयोजन गुणांक" (प्लान्ट यूटीलाईजेशन फेक्टर, (पी.यू.एफ.) के प्रतिशत के रूप में आंका जाता हैं। मंडल के कुशल प्रबंधन एवं कार्य निष्पादन के परिणाम स्वरुप संयंत्रों के पी.यू.एफ. में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है। विचाराधीन वर्ष 2010–11 में मंडल का ताप विद्युत उत्पादन ''संयंत्र उपयोजन गुणांक'' (पी.यू.एफ) 88.99% रहा, जो कि विगत वर्ष 2009–10 के 85.25% से 3.74% अधिक है, साथ ही यह राष्ट्रीय औसत पी.यू.एफ. से कहीं अधिक है।

3. प्रदत्त विद्युत :– वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान ताप जल एवं अन्य सह–उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा आक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 12834.386 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 12657.224 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन द्वारा 170.986 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह–उत्पादन) द्वारा 6.176 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदत्त विद्युत 470.628 मिलियन यूनिट अधिक रही अर्थात वर्षावधि में 0.04% की प्रदत्त विद्युत में वृद्धि हुई।

विगत वर्ष 12363.758 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई थी।

4. ईंधन खपत एवं विशिष्ट ईंधन खपत

विद्युत गृह का नाम	ईधन खपत		विशिष्ट ईंधन खपत	
	कोयला खपत (मीट्रिक टन)	तेल खपत (किलो लीटर)	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
कोरबा पूर्व :–				
विद्युत गृह–2	1329432	3487.575	1.003	2.630
विद्युत गृह–3	1487909	1850.00	0.922	1.147
कोरबा पूर्व संकुल	2817341	5337.575	0.958	1.816
कोरबा पूर्व (2 x 250 मेवा)	–	–	–	–
डॉ.एस.पी. एम ता.वि. गृह	3011916.74	1323.17	0.710	0.310
कोरबा पश्चिम :–				
विद्युत गृह–1	2396178	1331.87	0.716	0.398
विद्युत गृह–2	2385826	1461.61	0.712	0.436
कोरबा पश्चिम संकुल	4782004	2793.48	0.714	0.417
कुल ताप	10611262	9454.225	0.765	0.681

4. राज्य में विद्युत की स्थिति : 'मांग एवं उपलब्धता'

राज्य गठन के बाद राज्य में विद्युत मांग में तीव्रता से लगातार वृद्वि हो रही है। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य में विद्युत की स्थिति का आंकलन किया जावें, तो वर्षावधि में विद्युत की सभी स्रोतों से औसत विद्युत आपूर्ति 2220 मेगावाट की गयी, जबकि अबाधित विद्युत की औसत मांग 2119 मेगावॉट रही। इस प्रकार वर्षावधि में राज्य की औसत मांग से औसत आपूर्ति अधिक रही तथा कोई लोड शैडिंग नहीं की गई, इस प्रकार छत्तीसगढ राज्य देश का पहला शून्य पावर कट राज्य बन गया। यह नवगठित छ.ग.रा.विद्युत मंडल की गौरवपूर्ण उपलब्धि रहीं।

वर्षावधि 2009–10 के दौरान पावर कंपनी द्वारा सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति 2880 मेगावॉट की 20.04.09 को की गयी, जबकि विद्युत की समकालिक उच्चतम मांग 2922 मेगावॉट की 12.04.10 को रहीं ।

5. जीर्णोद्धार के कार्यः–

विचाराधीन वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान मंडल द्वारा विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार के अनेक कार्य किए गए, जिसमें हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा (पश्चिम) के संयंत्र क्रमांक एक में एयर–प्री–हीटर एवं टरबाईन व बॉयलर स्टीम प्रेशर रिडयूसिंग डी–सुपरहीटिंग प्रणाली तथा कोरबा ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व के संयंत्रों हेतु अग्निशमन प्रणाली के आधुनिकीकरण के कार्य महत्वपूर्ण हैं।

6. अति आधुनिक स्काडा प्रणालीः–

देश के विद्युत के संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में 'सिस्टम को–आर्डिनेशन एंड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट'' के तहत अति आधुनिक ''स्काडा प्रणाली'' की स्थापना भिलाई खेदामारा स्थित भार प्रेषण केन्द्र में किया गया। जिससे देश में विद्युत के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों के पावर ग्रिड संचालन एवं संचार प्रणाली से राज्य भार प्रेषण केन्द्र की कार्यक्षमता में अभूतपूर्व वृद्वि हुई है।

7. निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित नई विद्युत परियोजनाएंः–

मंडल में वित्त वर्ष 2010–11 के अंत की स्थिति में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार रहीं :–

क्र.	प्रस्तावित विद्युत परियोजना	प्रस्तावित स्थापित क्षमता (मेगावाट)	पूर्णता का संभावित वर्ष
अ.	**प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना (उत्पादन कंपनी)**		
1	कोरबा (पश्चिम) ताप विद्युत परियोजना चरण तीन	1X500	2012 – 2013
2	भैयाथान ताप विद्युत परियोजना	2X660	2013–14
3	मड़वा ताप विद्युत परियोजना	2X500	2012 – 2013
4	कोरबा दक्षिण ताप विद्युत परियोजना	2X500	12 वीं पंचवर्षीय योजना
5	इफको छत्तीसगढ संयुक्त उपक्रम	2X660	मार्च 2014 एवं सितम्बर 2014

क्र.	प्रस्तावित विद्युत परियोजना	प्रस्तावित स्थापित क्षमता (मेगावाट)	पूर्णता का संभावित वर्ष
ब.	**प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना (उत्पादन कंपनी)**		
1	बोधघाट जल विद्युत परियोजना	4X125	12 वीं पंचवर्षीय योजना
2	मटनार जल विद्युत परियोजना	3X20	12 वीं पंचवर्षीय योजना
स.	**निर्माणधीन निजी ताप विद्युत परियोजना**		
1	रायगढ ताप विद्युत परियोजना (मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड)	4X660	मार्च,जुलाई, नवंबर 2012 एवं मार्च 2013
2	पताड़ी ताप विद्युत परियोजना (मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड)	2X660	जनवरी 2012 एवं मार्च 2012
द	**प्रस्तावित अन्य निजी उपक्रम**		
1	कुल 67 निजी उपक्रम (जिंदल एवं लेंको सहित)	56,836 (लगभग)	

(II) पारेषण एवं वितरण की उपलब्धि :–

मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान पारेषण, उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(1) उपकेन्द्र निर्माण :–

मंडल के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29,940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2984 एम.व्ही.ए. थी, जो विगत दस वर्षों में बढ़कर वर्ष 2010–11 के अंत की स्थिति में क्रमशः कुल 70677 हो गई है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 9017 एम.व्ही.ए. हो गई है, जो कि दस वर्षो के कार्यकाल में उपकेंद्र निर्माण में 136.06 प्रतिशत की तथा उनकी क्षमता में 202.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान मण्डल द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या	
		वर्ष 2009–10 की स्थिति	वर्ष 2010–11 स्थिति
1	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	664	691
2	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	65578	69986
योग		**66242**	**70677**

(2) विद्युत लाईनों का निर्माण :–

मण्डल गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब, उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनें 98858 कि.मी. थी, वह ग्यारह वर्षों में बढ़कर वर्ष 2010-11 में 198256 कि.मी. हो गई है।

मण्डल द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान अति उच्चदाब, उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 9827 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों के निर्माण से वर्षांत की स्थिति में कुल 198256 कि.मी. की विद्युत लाईनें विद्यमान थीं। इस प्रकार वर्षावधि में 5.22 प्रतिशत की विद्युत लाईनों में वृद्धि हुई तथा मंडल गठन से ग्यारह वर्षो की कार्यावधि में 100.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राज्य में विद्युत प्रणाली की वोल्टेज अनुपात अनुसार वर्ष 2010–11 तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	**वोल्टेज (के.व्ही.)**	**31 मार्च 2010 की स्थिति में**	**2010-11 में वृद्धि**	**31 मार्च 2011 की स्थिति में**
I	उच्चदाब लाईनें			
1	33 के.व्ही. लाईनें	14170	673	14843
2	11 के.व्ही. लाईनें	63895	2605	66500
	कुल उच्चदाब लाईनें	**78065**	**3278**	**81343**
II	निम्नदाब लाईनें			
1	400–230 वोल्ट्स	110364	6549	116913
महायोग :–		**188429**	**9827**	**198256**

पारेषण कंपनी (पूर्ववर्ती मण्डल) के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्च दाब की कुल लाईनें 5205.46 सर्किट कि.मी. थी वह 11 वर्षों में बढ़कर 2010–11 में 8116.3 सर्किट कि.मी. हो गई है।

पारेषण कंपनी द्वारा विचाराधीन वर्ष 2010-11 के दौरान अति उच्च दाब की कुल 330.92 सर्किट कि.मी. की नई विद्युत लाईनों के निर्माण से वर्षान्त की स्थिति में कुल 8116.3 सर्किट कि.मी. की विद्युत लाईने विद्यमान थीं। इस प्रकार वर्षावधि में 4 प्रतिशत की विद्युत लाईनों में वृद्धि हुई तथा मण्डल गठन से ग्यारह वर्षों की कार्यावधि में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य में विद्युत प्रणाली का वोल्टेज अनुपात वर्ष 2010-11 तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वोल्टेज अनुपात	31 मार्च 2010 की स्थिति में	वर्ष 2010–11 में वृद्धि	31 मार्च 2011 की स्थिति में	अक्टूबर 2011 की स्थिति में
	अति उच्चदाब लाईनें				
1	400 केव्ही लाईनें	277.00	60.91	337.91	391.56
2	220 केव्ही लाईनें	2604.00	25.01	2629.01	2687.81
3	132 केव्ही लाईनें	4544.48	245.00	4789.48	4828.82
4	एचव्हीडीसी. लाईनें	360.00	--	360.00	360.00

(3) सामान्य विकास कार्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

सामान्य विकास योजनांतर्गत वर्ष 2010–2011 की उपलब्धि			
क्रं.	विवरण	इकाई	उपलब्धि
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	108.28
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	344.05
3	सेवाओं के लिये वितरण लाईन	कि.मी.	204.23+90.41 (conversion)
4	सड़क बत्ती हेतु विवरण लाईन	कि.मी.	53.01+20.96 (conversion)
5	सड़क बत्तियाँ (बिन्दु)	संख्या	1804
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1228
7	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	502
8	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	110857
i)	सिंगल फेस	संख्या	100475
ii)	थ्री फेस	संख्या	10219
9	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	163

(4) आगामी वर्ष हेतु उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली कार्यों का लक्ष्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने एवं पूरे सिस्टम में इनर्जी ऑडिट के लिये आवश्यक उपकरणों की स्थापना हेतु अगामी वर्ष 2011–12 में रुपये 330.00 करोड़ व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है :–

क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	600
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	650
3	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	37
4	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि	संख्या	30
5	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	800
6	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि	संख्या	500

(5) ग्राम विद्युतीकरण :–

जनगणना 2001 के अनुसार राज्य में कुल 19744 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2010–11 के अंत की स्थिति में 19177 ग्राम विद्युतीकृत हैं। वर्ष 2010–11 में कुल 33 ग्रामों का विद्युतीकरण परंपरागत तरीके से मंडल द्वारा एवं 02 ग्रामों का विद्युतीकरण वितरण कंपनी द्वारा तथा 33 ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा किया गया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान राज्य में 68 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 97.13 प्रतिशत रहा।

जनगणना 2001 के अनुसार वित्त वर्ष 2010–11 के अंत की स्थिति में राज्य में कुल 567 अविद्युतीकृत ग्राम हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार की नीति के अनुरुप 11वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् मार्च 2012 तक विद्युतीकृत किया जाना है। 567 अविद्युतीकृत ग्रामों में से 534 ग्रामों जिनमें वनबाधा होने के कारण परंपरागत विधि से विद्युत लाईन खींचकर विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है, में विद्युतीकरण का कार्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से किया जाना प्रस्तावित है। वनबाधा रहित 33 ग्रामों का विद्युतीकरण ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण'' कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है।

(6) मजरा–टोला विद्युतीकरण :–

जनगणना 1971 के पश्चात राज्य में मजरा–टोलों की संख्या संबंधी वास्तविक जानकारी किसी भी जनगणना विवरण में उपलब्ध नहीं है। अपितु जनगणना 2001 की विवरणी में राज्य में कुल रहवासी क्षेत्रों का उल्लेख अवश्य किया गया है, उसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मजरा–टोलों की संख्या 35,096 अनुमानित है।

विचाराधीन वर्ष में 508 मजरा–टोलों को विद्युतीकृत किया गया है, जिससे वर्ष 2010–11 के अंत तक की स्थिति में कुल 23505 मजरा–टोला अर्थात् राज्य में 66.97 प्रतिशत मजरा–टोलों का विद्युतीकरण हो गया है। केन्द्र भाासन की नीति के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य के सभी घरों तक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी है, इस हेतु स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 16 जिलों में कार्य प्रगति पर है।

(7) पंपों का ऊर्जीकरण :–

राज्य के किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उददे्श्य से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं राज्य भाासन द्वारा पंप/नलकूप विद्युतीकरण हेतु नई नीति तथा लक्ष्य निर्धारण कर विगत पांच वर्षो में (2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11) लगभग 178908 नये सिंचाई पंपों को विद्युतीकृत किया गया है। नई नीति के तहत प्रति पंप हेतु लाईन विस्तार बाबत् कुल खर्च रुपये 20,000/- से बढ़ाकर रुपयें 50,000/- किये गये है, ताकि अधिक से अधिक कृषक लभान्वित हो सके, और किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़े।

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान 24645 पंपों के लिए लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 22069 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया। इन्हें भाामिल करते हुए वर्ष 2010–11 के अंत तक राज्य में कुल 286357 पंपों के लाइन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 263002 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया।

(8) किसान समृद्धि योजना (इंदिरा खेत गंगा योजना) :–

राज्य भाासन द्वारा वर्ष 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना के नाम से एक योजना चालू की गई है (वर्तमान में यह योजना किसान समृद्धि योजना के नाम से जानी जाती है), जिसके अंतर्गत अल्प वर्षा (वृष्टि छाया) वाले जिलों में नलकूप खनन एवं उनमें पंप ऊर्जीकरण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना पांच जिलों में लागू है। इस योजना को वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषकों तक सीमित कर नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईनों के विस्तार पर आने वाले व्यय की अधिकतम राशि रुपये 60,000/– प्रति पंप निर्धारित की गई है।

वर्ष 2010–11 में इस योजना के तहत कुल 1151 नलकूपों के विद्युतीकरण के कार्यों हेतु विद्युत लाईनों को विस्तारित किया गया। इस प्रकार वर्षांत तक कुल 14284 नलकूपों के लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किये गये।

(9) बी.पी.एल. कनेक्शन (एकल बत्ती) :–

राज्य भाासन के निर्देशानुसार प्रदेश के हरिजन, आदिवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बी.पी.एल.(एकल बत्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले परिवारों को जिनके घर, मंडल की विद्यमान निम्नदाब लाईन से अधिकतम 30 मीटर की दूरी के भीतर हैं, उनसे सर्विस कनेक्शन चार्ज तथा सुरक्षा निधि जमा कराये बगैर बी.पी.एल. (एकल बत्ती) कनेक्शन प्रदाय किये जाते हैं। विचाराधीन वर्ष 2010–11 के दौरान कुल 160295 बी.पी.एल. कनेक्शन उपरोक्त श्रेणी के परिवारों को प्रदाय किये गये। वर्ष 2010–11 के अंत तक राज्य में कुल 1472566 (एकल बत्ती) बी.पी.एल. कनेक्शन विद्यमान है, जिन्हें मंडल द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन कनेक्शनधारियों के प्रथम 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

(10) पारेषण एवं वितरण हानियाँ :–

वर्ष 2010–11 में कुल पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत 33.68 रहा। वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 में पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत क्रमशः 33.76, 30.50, 31.07, 29.16, 29.02, 29.41, 33.58 एवं 34.36 प्रतिशत था। वर्ष 2011–12 में 3 प्रतिशत हानि कम करने का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है।

पारेषण एवं वितरण हानि का तुलनात्मक विवरण

क्र.	वर्ष	प्राप्त यूनिट (एम.यू.)	खपत यूनिट (एम.यू.)	हानि (एम.यू.)	प्रतिशत हानि
1	2002-03	9516.39	6303.42	321.97	33.76
2	2003-04	10393.76	7223.43	3170.33	30.50
3	2004-05	11690.48	8058.35	3632.13	31.07
4	2005-06	12501.62	8856.50	3645.12	29.16
5	2006-07	13301.59	9441.89	3859.70	29.02
6	2007-08	15034.77	10613.10	4421.67	29.41
7	2008-09	16751.56	11127.1	4730.13	33.58
8	2009-10	17232.75	11311.38	5921.37	34.36
9	2010-11	18302.43	12139.01	6163.42	33.68

(11) विद्युत उपभोक्ता :–

वर्ष 2010–11 के अंत में निम्नदाब उपभोक्ताओं की संख्या 33 लाख 03 हजार है। जो वर्ष 2009–10 की तुलना में 9.81 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 21 लाख 41 हजार उपभोक्ता अर्थात् 64.82 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो विगत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 10.08 प्रतिशत अधिक है।

कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2010–11 के अंत में हितग्राही उपभोक्ताओं में एकलबत्ती के 34.94 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 7.44 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2009–10 के अंत में क्रमशः 35.21 एवं 7.30 प्रतिशत था।

(12) विद्युत उपभोग का स्वरुप :–

वर्ष 2010–11 में राज्य की समस्त प्रकार के निम्न दाब उपभोक्ताओं द्वारा कुल 5540.78 मि.यू. विद्युत की खपत की गई, जो विगत वर्ष 2009–10 की खपत से 3.27 प्रतिशत अधिक है। राज्य में विक्रय की गई बिजली का 51.25 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है।

राज्य में विक्रय की गई बिजली मे से 48.55 प्रतिशत घरेलू, 10.24 प्रतिशत गैर घरेलू, 7.83 प्रतिशत औद्योगिक, 29.95 प्रतिशत कृषि एवं 3.43 प्रतिशत सार्वजनिक उपभोग (जलकल एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा। ग्रामीण क्षेत्र में इन मदों का हिस्सा क्रमशः 18.56 प्रतिशत घरेलू, 1.32 प्रतिशत गैर–घरेलू, 2.80 प्रतिशत औद्योगिक, 28.05 प्रतिशत एवं कृषि 0.52 प्रतिशत सार्वजनिक उपयोग होना पाया गया।

कुल खपत में से वर्ष 2010–11 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 8.62 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की खपत 28.38 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2009–10 में क्रमशः 13.63 एवं 8.51 प्रतिशत थी।

(13) राजस्व संग्रहण :–

वर्ष 2010–11 में राज्य की निम्नदाब उपभोक्ताओं से कुल रुपये 1305.79 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया।

(14) बकाया राशि :–

वर्ष 2010–11 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि कुल रुपये 289.39 करोड़ है, कुल राशि का 56.15 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के विरुद्ध पाया गया। कुल राशि में से राज्य भाासन के विभिन्न विभागों पर रु. 6.31 करोड़ एवं राज्य भाासन के सार्वजनिक उपक्रमों पर रुपये 19.36 करोड़ राशि बकाया है।

अध्याय–10
उद्योग

भिलाई इस्पात संयत्र : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र, सर्वश्रेष्ठ के रूप में सम्मानित महारत्न कम्पनी सेल की ध्वजवाहक इकाई है। संयंत्र ने कुशल नेत्रत्व और अथक परिश्रम तथा उपलब्ध संसाधनों के भरपूर उपयोग से बीते वर्षों की तरह वित्त वर्ष 2010–11 को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के साथ पूरा किया है। संयंत्र ने हॉट मेटल, कूड इस्पात और विक्रय इस्पात के उत्पादन तथा विक्रय इस्पात की लोडिंग में भी पिछले सभी कीर्तिमानों को पीछे छोड दिया है। इस संयंत्र को अब तक 9 बार उत्कृष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिये दी जाने वाली प्रधानमंत्री ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया है इसके अलावा समय समय पर उत्पादकता, गुणवत्ता, सुझाव, सुरक्षा, पर्यावरण, क्रेडा आदि क्षेत्रों में भी भिलाई का नाम देश में प्रसिद्व है।

वर्ष 2010–11 की अवधि में संयत्र ने 5.71 मिलियन टन हॉट मेटल, 5.33 मिलियन टन क्रूड स्टील व 4.57 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन किया जोकि इन उत्पादों की मापित क्षमता से क्रमशः 21.4 प्रतिशत, 35.8 प्रतिशत व 44.8 प्रतिशत अधिक है एवं पिछले वित्त वर्ष 2009–10 के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 6.3%, 4.3% एवं 4.5% वृद्धि दर्ज की है। यह एक मात्र संयत्र है जिसने देश में लगातार विगत 18 वर्षों सें विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन अपनी मापित क्षमता से अधिक किया है। वर्ष 2010–11 में 7.83 मिलियन टन सिनटर, 5.71 मिलियन टन हॉट मेटल, 5.33 मिलियन टन क्रूड इस्पात, 2.61 मिलियन टन एस. एम. एस.–1 से क्रूड स्टील, 2.71 मिलियन टन एस. एम. एस.–2 से क्रूड स्टील, 7.20 लाख टन मरचेंट प्रोडक्टस, 6.59 लाख टन वायर रॉड्स, 9.04 लाख टन रेल एवं स्ट्रक्चरल, 7.08 लाख टन परिसज्जित (फिनिस्ड) यू. टी. एस.–90 रेल पातों का उत्पादन, 12.89 लाख टन परिसज्जित (फिनिस्ड) प्लेट, 35.73 लाख टन परिसज्जित (फिनिस्ड) इस्पात एवं 45.65 लाख टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन हुआ है। कुल विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन में मूल्यवान विशेष उत्पादन का अंश 64.5 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष से 2.5 प्रतिशत अधिक है। संयंत्र के ओर हैंडलिंग प्लांट द्वारा 16.33 मिलियन टन रा मटेरियल की रिकार्ड हैंडलिंग की गई।

मुख्य परियोजना

1. कम्प्रेस्ड एयर स्टेशन क्रमॉक–4 की स्थापना एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया।

प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक परिवेश में अग्रणी रहने हेतु व अधिक से अधिक लाभार्जन के लिए, भिलाई इस्पात संयंत्र तकनीकी/आर्थिक पैरामीटर में लगातार सुधार करता रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2010–11 में श्रम उत्पादकता 326 प्रतिव्यक्ति प्रतिटन, औसत कन्वर्टर लाइनिंग लाईफ 9499 हीट्स एवं लेडल फर्नेस के द्वारा 14056 हीट्स का शोधण आदि भी अब तक के श्रेष्ठ वार्षिक निष्पादन हैं। विषम परिस्थितियों और लागत मूल्यों में वृद्धि के बावजूद संयंत्र ने वर्ष 2010–11 में 3491.33 करोड़ रू. का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वैश्विक मंदी के बावजूद भी यह भिलाई इस्पात संयंत्र का लाभार्जन का लगातार 23वां वर्ष है जो कि एक विश्व कीर्तिमान है।

वर्ष 2011–12 की योजना

वर्ष 2011–12 के लिए 5.8 मिलियन टन गलित धातु (हॉट मेटल), 5.53 मिलियन टन अपरिष्कृत स्पात (क्रूड स्टील) व 4.82 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल से सितम्बर 2011 की अवधि में संयत्र ने 2.54 मिलियन टन गलित धातु (हॉट मेटल) 2.39 मिलियन टन क्रूड स्टील व 2.08 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया है। जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि (2009–10) के उत्पादन से क्रमशः 9.7%, 8.7%, एवं 6.6% अधिक है। भारतीय रेलवे के लिये 3.45 लाख टन से भी अधिक यूटीएस–90 रेलपातों का उत्पादन किया है। बाजार की आव यकता के अनुरूप मर्चेंट, वायर राड्स, प्लेट एवं परिसज्जित फिनिस्ड इस्पात का उत्पादन क्रमशः 2.63 लाख, 2.97 लाख, 6.00 लाख तथा 16.04 लाख टन किया गया।

आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजनाऐं :

इकाईः मिलियन टन प्रतिवर्ष

क्रमांक	सामग्री	वर्तमान मापित क्षमता	विस्तार के बाद क्षमता
1	हॉट मेटल	4.080	7.5
2	कूड इस्पात	3.925	7.0
3	फिनिशिड इस्पात	2.620	5.85
5	सेमीज	0.533	0.72
6	विक्रय इस्पात	3.153	6.56

रावघाट लौह अयस्क परियोजना :

वर्ष 2009-10 में रावघाट परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त होने के साथ ही लौह अयस्क के आवश्यकता की पूर्ति के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र का भविष्य सुरक्षित हो चुका है। भिलाई इस्पात संयंत्र को आवंटित F पॉकेट में 510 मिलियन टन से अधिक अयस्क का भंडार है।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी, लिमिटेड, कोरबा :

बालको संयंत्र की स्थापित क्षमता एक लाख टन सालाना एल्यूमिनियम उत्पादन की थी जो वर्तमान समय में आधुनिकीकरण के लिए बंद किया जा चुका है। वर्तमान समय में केवल 2.45 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एल्यूमिनियम स्मेल्टर संयंत्र से उत्पादन हो रहा है। बालको संयंत्र के निजी उपयोग हेतु 270 मेगावाट और 540 मेगावाट के दो विद्युत संयंत्र संचालित हैं और पूर्ण क्षमता से कार्यरत हैं। संयंत्र विस्तार परियोजना के अंतर्गत 1200 मेगावाट का विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है। एल्यूमिनियम स्मेल्टर संयंत्र की विस्तार परियोजना के अंतर्गत 3.25 लाख टन वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र निर्माणाधीन है। रायपुर नया राजधानी क्षेत्र में विश्वस्तरीय 360 बिस्तरों वाले वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र का निर्माण कार्य भी द्रुत गति से जारी है।उपर्युक्त के अतिरिक्त अनेक सामुदायिक विकास परियोजनाएं कोरबा, सरगुजा और कबीरधाम जिलों में संचालित हैं जिनका प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय निवासियों को मिल रहा है।

बालको (संयंत्र.1) में बाजार के मांग के अनुरूप गुणवत्ता युक्त उत्पादन तैयार करने के लिये आधुनिकीकरण की अनेक योजनाओं पर कार्य पूरा होने से सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगे हैं। एल्यूमिना संयंत्र का वर्ष 2010–11 में इनगॉट्स का उत्पादन 27927 मीट्रिक टन, प्रॉपर्जी रॉड्स का उत्पादन 160665 मीट्रिक टन, रोल्ड उत्पादन 66706 मीट्रिक टन हुआ। दिसंबर 2011–12 तक इनगाट्स का उत्पादन 5877 मीट्रिक टन, प्रॉपर्जी रॉड्स का उत्पादन 123915 मीट्रिक टन, रोल्ड उत्पादन 53972 मीट्रिक टन हुआ।

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमि. उत्पादन (मीट्रिक टन में)

(संदर्भ तालिका क्रमांक–5.1)

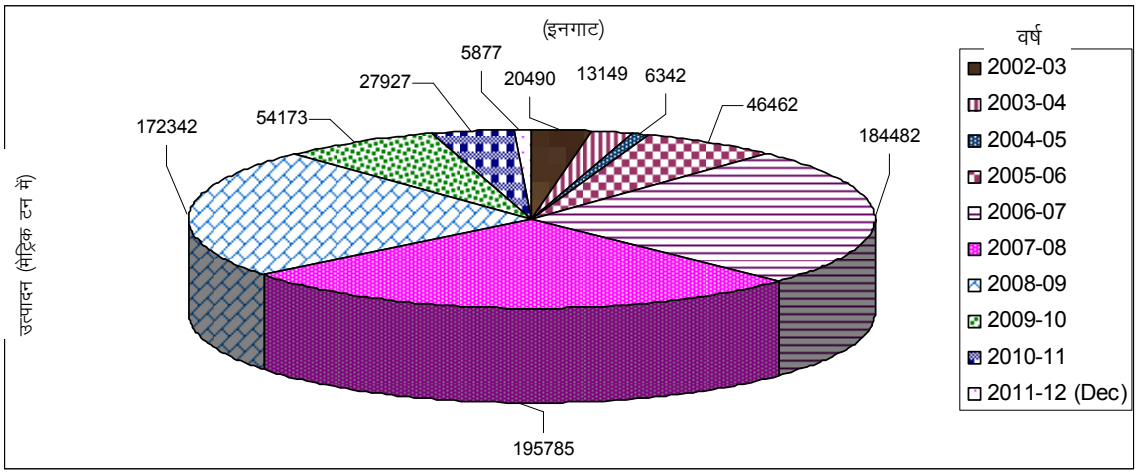

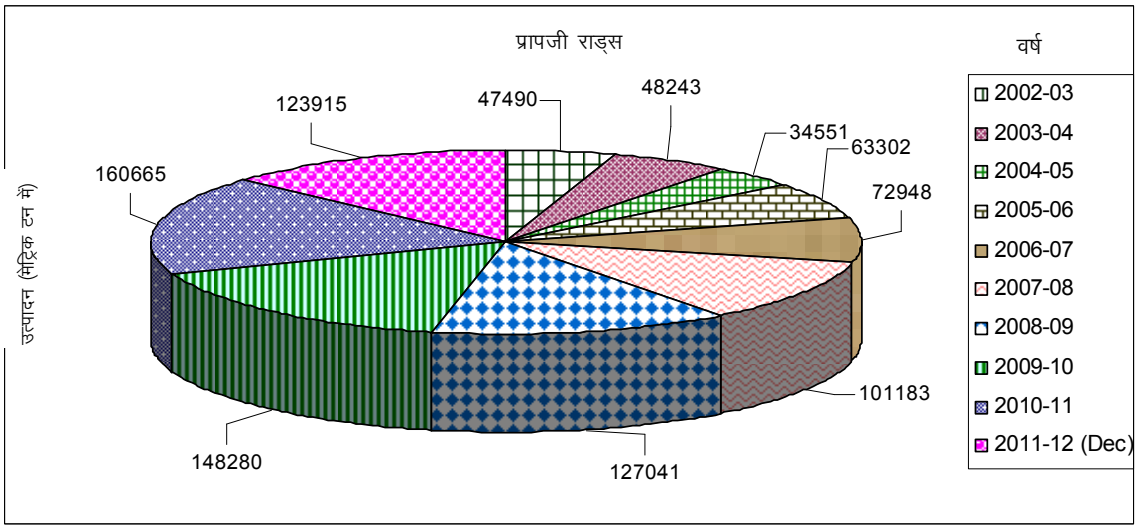

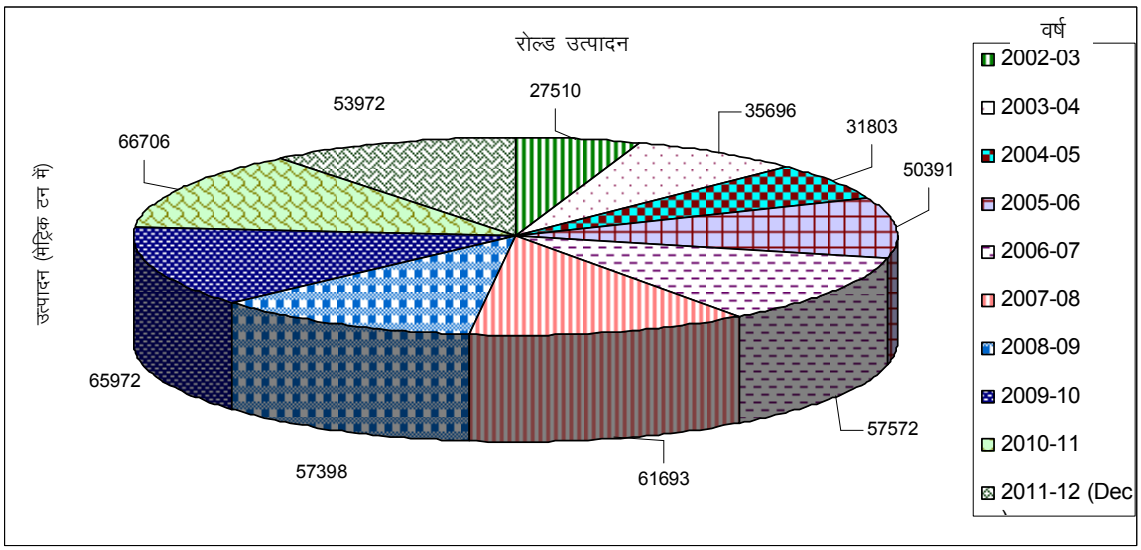

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती म.प्र. शासन द्वारा स्थापित म.प्र. औद्योगिक विकास निगम रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट इन्ड्रस्टियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में गठित किया गया है। इस निगम के रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है।

औद्योगिक नीति 2009–14 में राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली अनुदान, छूट एवं रियायतों से संबंधित योजनाएं :–

1. ब्याज अनुदान **:–** सावधि ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज का 40 से 75 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा 10 से 60 लाख वार्षिक, अवधि 7 वर्ष।
2. स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :– स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 45 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 500 लाख।
3. विद्युत शुल्क छूट :– 10 वर्ष से 12 वर्ष तक।
4. स्टाम्प शुल्क से छूट :– भूमि शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर, ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर।
5. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :– किए गए व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम 1.25 लाख।
6. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :– किए गए व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रू. 6 लाख।
7. मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान :– क्रय किए जाने वाले माल पर 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 5 लाख वार्षिक, 5 वर्ष की अवधि तक।

11.औद्यौगिक पुरस्कार योजना :– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 1 लाख 0.51 लाख तथा 0.31 लाख।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना :– वर्ष 2011–12 में 1500 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से माह अगस्त 2011 तक 299 उद्योगों की स्थपना हो चुकी है।

राज्य में स्थापित हो रही प्रमुख औद्यौगिक परियोजनाएं एवं समूह :– स्टील प्लांट, पावर प्लांट, एल्यूमिनियम प्लांट, स्पांज आयरन, कोल वाशरी, रोलिंग मिल्स, शुगर प्लांट्स, इंडक्शन प्लांट, फेरो एलायज, सीमेंट क्लिंकर, पेलेटाईजेशन प्लांट, मिनी स्टील प्लांट्स, रोलिंग मिल्स, एच.डी.पी.बी. बेग्स, हैवी फैब्रीकेशन, ट्रान्समीशन लाईन टावर, टेक्सटाईल, साईकल उपकरण, हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण संबंधी उद्योग।

निष्पादित एम.ओ.यू. की प्रगति

1. कुल निष्पादित एम.ओ.यू.	142
2. निरस्त किए गए एम.ओ.यू.	21
3. प्रभावी एम.ओ.यू.	121
4. प्रस्तावित पूँजी निवेश	रू. 192000 करोड़
5. वास्तविक निवेश	रू. 30000 करोड़
6. परियोजनाएं प्रारंभ	58
7. वर्तमान में रोजगार	100000

कोर सेक्टर में वार्षिक उत्पादन :– एल्यूमिनियम 3.45 लाख टन, सीमेंट 10.46 मिलियन टन, स्टील 9.5 मिलियन टन, स्पांज आयरन 75 लाख टन।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एस.आई.डी.सी.) की स्थापना राज्य निर्माण के पश्चात वर्ष 2001 में म.प्र. औद्यौगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर को परिवर्तित कर किया गया है।

राज्य में विभिन्न औद्यौगिक संवर्धन गतिविधियों यथा – प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्यौगिक क्षेत्रों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चामाल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों के संचालन, पूर्ववर्ती म.प्र. वित्त निगम के ऋणों की वसूली, प्रतिवर्ष राज्य की राजधानी में राज्योत्सव के आयोजन में सहभागिता एवं नई दिल्ली में भारत–अंर्तराष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य की ओर से भाग लेने का कार्य सीएसआईडीसी द्वारा किया जाता है।

सी.एस.आई.डी.सी. की योजनाएं :–

(1) वृहद औद्यौगिक क्षेत्रों की स्थापना :– तिल्दा, जिला रायपुर 1730.230 हेक्टेयर, दगोरी, जिला बिलासपुर 795.920 हेक्टेयर, लारा, जिला रायगढ़ 1465.847 हेक्टेयर। वृहद औद्यौगिक क्षेत्र दगोरी, बिलासपुर एवं लारा, रायगढ़ हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है।

(2) लघु औद्यौगिक क्षेत्रों की स्थापना :– इन केन्द्रों में उद्योग स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका है – बिरकोनी (महासमुन्द) 96.42 हेक्टेयर, हरिनछपरा (कबीरधान) 21.00 हेक्टेयर, नयनपुर–गिरवरगंज (सरगुजा) 51.00 हेक्टेयर।

<u>प्रस्तावित लघु औद्यौगिक क्षेत्र</u>

(अ) **आईआईडीसी तिफरा, जिला बिलासपुर** – औद्यौगिक क्षेत्र तिफरा, सिरगिट्टी सेक्टर डी जिला बिलासपुर की स्थापना लगभग 57 हे. भूमि पर की जा रही है। इस औद्यौगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि का कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना की लागत 18.00 करोड़ रू. है।

(ब) **आईआईडीसी कापन, जिला चांपा–जांजगीर** – औद्यौगिक क्षेत्र कापन की स्थापना लगभग 43 हे. भूमि पर की जा रही है। इस औद्यौगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि का कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना की लागत 12.50 करोड़ रू. है।

(स) **आईआईडीसी तेंदुआ, जिला रायपुर** – औद्यौगिक क्षेत्र तेंदुआ की स्थापना लगभग 21 हे. शासकीय भूमि पर की जा रही है। इस औद्यौगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि कार्य कराए जावेंगे। परियोजना की लागत 12.20 करोड़ रू. है।

(द) **आईआईडीसी टेकनार, जिला दन्तेवाड़ा** – औद्यौगिक क्षेत्र टेकनार की स्थापना लगभग 20 हे. भूमि पर की जा रही है। इस औद्यौगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि का कार्य प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 10.86 करोड़ रू. है।

(इ) **आईआईडीसी बरतोरी, जिला रायपुर –** औद्यौगिक क्षेत्र बरतोरी की स्थापना लगभग 24 हे. भूमि पर की जा रही है। इस औद्यौगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि का कार्य प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 15.00 करोड़ रू. है।

(3) विशिष्ट औद्यौगिक पार्कों की स्थापना –

पार्क	स्थल	रकबा (हे.)
हर्बल व मेडिसिनल पार्क एवं फूड पार्क	बंजारी–बगौद (धमतरी)	101.00
जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क (एसईजेड)	नया रायपुर (ग्राम तूता)	28.00

(4) अन्य उत्पाद आधारित औद्यौगिक पार्क –

(अ) **मेटल पार्क रायपुर** – रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूर पर रावांभाटा में 101.79 हे. भूमि पर मेटल पार्क की स्थापना का कार्य 2008 से प्रगति पर है। इस औद्यौगिक पार्क में धातुओं के मूल्य संवर्धन की इकाईयॉ स्थापित हो सकेंगी। मेटल पार्क की परियोजना लागत रू. 9200.00 लाख अनुमानित है।

(ब) **इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई** – औद्यौगिक क्षेत्र भिलाई में लगभग 121 हे. भूमि पर इंजीनियरिंग उत्पाद आधारित इकाईयों हेतु इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। आबंटन योग्य भूमि 61 हे. है। इस औद्यौगिक पार्क में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(स) **अपैरल पार्क, भनपुरी** – प्रदेश में अपैरल आधारित उद्योगों की संभावनाओं को देखते हुए रायपुर के समीप औद्यौगिक क्षेत्र भनपुरी में लगभग 4 हे. भूमि पर बहुमंजिला इमारत की अवधारणा पर अपैरल पार्क की स्थापना कार्य प्रगति पर है। शासन द्वारा इस योजना की रू. 1621.289 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू. 1188.382 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। पार्क में 34 नग पक्के हॉल के आबंटन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें आधुनिक मशीनों से युक्त इकाईयों की स्थापना हो सकेगी जहॉ पर कपड़ों की डिजाईनिंग, टेलरिंग, पैकेजिंग तथा अन्य संबंधित कार्य एक ही स्थान पर किए जा सकेगें।

(द) **पॉली पार्क तिल्दा** – तिल्दा जिला रायपुर में 36.74 हे. भूमि पर पॉली पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इस औद्यौगिक पार्क में पॉलिमर उद्योग क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना की लागत रू. 20.75 करोड़ रू. है।

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है। संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछ़ड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य को तीन प्रकार की रेशम प्रजातियों टसर, मलबरी एवं इरी के उत्पादन का गौरव प्राप्त है।

1. पालित डाबा टसर, ककून उत्पादन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा, अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते है। इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधें उपलब्ध हैं वे भी इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा स्वस्थ्य डिंब समूह रियायती दर पर 1.00 रू. प्रति स्वस्थ्य समूह अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ्य डिंब समूह उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वर्ष में

तीन फसल कृषको द्वारा उत्पादित की जा सकती है प्रत्येक फसल में 5000 से 7000 टसर कोसा का उत्पादन कर 550 रू. से 950 रू. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। उक्त योजना प्रदेश के 17 जिलों में संचालित 127 टसर केन्द्रों एवं टसर परियोजना के 151 केन्द्र, चिन्हांकित वन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2010-11 में 711.73 लाख नग टसर पालित कोसा उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध उत्पादन 418.968 लाख नग ककून का उत्पादन हुआ योजनान्तर्गत 20596 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2011-12 में टसर पालित कोसा उत्पादन का भौतिक लक्ष्य 900.22 लाख नग के विरूद्ध माह दिसम्बर 2011 तक 382.338 लाख का उत्पादन किया गया जिससे 15551 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुए। वर्ष 2011-12 में विभागीय प्रक्षेत्र में कुल 4166 हेक्टेयर वन क्षेत्र के अंतर्गत 9787 हेक्टेयर रेशम परियोजना के अंतर्गत 2046 हेक्टेयर पौधारोपण युक्त क्षेत्र है। इस प्रकार कुल 15999 हे. क्षेत्र में टसर योजना संचालित की जा रही है।

विगत वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10	10–11	11–12
1.	पालित टसर	लाख नग में	310.96	364.52	431.30	457.10	434.98	438.69	418.96	382.34
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	11493	14865	17133	18991	20067	19511	20596	15551

2. नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना :–

वर्ष 2009-10 में 38 नैसर्गिक बीज प्रगुणन लक्ष्य के विरूद्ध 31 कैम्प लगाए गए तथा नैसर्गिक ककुन का भौतिक लक्ष्य 620.00 लाख नग के विरूद्ध 809.158 लाख नग बीज उत्पादन/संग्रहण किया गया योजनान्तर्गत 44276 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 2010-11 में नैसर्गिक ककुन उत्पादन 1210.00 लाख नग के लक्ष्य के विरूद्ध 870.08 लाख ककून का अनुमानित संग्रहण कर 38802 संग्रहक हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं। वर्ष 2011-12 में नैसर्गिक ककुन उत्पादन 1392.00 लाख नग के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसंबर 2011 तक 1166.18 लाख ककुन का अनुमानित संग्रहण कर 38513 संग्राहक हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं।

विगत वर्षों में नैसर्गिक, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10	10–11	11–12 (दिस. 11)
1.	नैसर्गिक ककून उत्पादन	लाख नग में	758.16	378.87	506.05	586.74	754.51	809.16	870.08	1166.18
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	57218	36759	37342	33716	43761	44276	38802	38513

टसर धागा करण योजना :– प्रदेश के विभिन्न जिलों में 853 रीलिंग एवं 253 स्पीनिंग मशीन संचालित हैं। योजनान्तर्गत 52 महिला स्व–सहायता समूह के 1058 महिलाओं द्वारा धागाकरण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में 160534 कि.ग्रा. धागा का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2010-11 में सॉख्यिकी आधार पर 167.919 मि.टन. रा–स्पन सिल्क उत्पादित किया गया। तथा वर्ष 2011-12 में सॉख्यिकी आधार पर माह दिसम्बर 2011 तक 210.342 मि.टन रा–स्पन सिल्क का उत्पादन किया गया।

विगत वर्षों में रॉ–सिल्क एवं स्पन सिल्क का उत्पादन विवरण

क्र	विवरण	इकाई	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10	10–11	11–12 (दिसं 11)
1.	टसर रा–सिल्क एवं स्पन	कि. ग्रा.	127250	101299	104541	126298	146265	160534	167919	210.342

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से रेशम प्रभाग में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि एवं हितग्राहियों को सहायता :–

क्र.	वर्ष	बीज कृमिपालक को सहायता	व्यावसायिक कृमिपालक को सहायता	निजी अण्डा उत्पादक	मलबरी कृषक को सहायता	ईरी एवं मलबरी कृषक को प्रशिक्षण एवं उपकरण सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2003–04	340	866	42	225	125	1598
2.	2004–05	840	1400	82	155	100	2577
3.	2005–06	840	1350	50	142	50	2432
4.	2006–07	325	690	43	110	50	1218
5.	2007–08	100	1000	40	100	0	1240
6.	2008–09	200	700	0	100	150	1150
7.	2009–10	200	500	40	60	210	1010
8.	2010–11	200	500	40	100	0	0
	योग	**3045**	**7006**	**337**	**992**	**685**	**11225**

क्र.	वर्ष	टपक सिंचाई योजना हेक्टेयर में	ग्रेनेज भवन (टसर ग्रेन्यूअर)	रियेरिंग हाउस मलबरी	सी.आर. सी.	पी.पी.सी. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	2003–04	10	42	20	02	06
2.	2004–05	10	82	15	02	10
3.	2005–06	05	50	15	01	11
4.	2006–07	0	43	0	0	3
5.	2007–08	30	40	75	0	5
6.	2008–09	100	0	50	05	5
7.	2009–10	60	0	60	05	0
8.	2010–11	20	0	0	02	3
	योग	**235**	**257**	**235**	**17**	**43**

ईरी रेशम ककून उत्पादन एवं धागाकरण की आर्थिकी :–

राज्य गठन के पश्चात प्रथम बार प्रायोगिक रूप से जशपुर, सरगुजा बस्तर एवं कांकेर जिले में अरंडी का पौधा रोपित किया जाकर ईरी रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया गया। सफलता को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा क्षेत्र रायगढ़ के धरमजयगढ़ में भी वर्ष 2009–10 से भी किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में कुल 49000 कि.ग्रा. भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध कुल 4354 कि.ग्रा. ईरी ककून का उत्पादन किया गया था, जिससे कुल 488 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 2011–12 में कुल 35100 कि.ग्रा. भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसंबर 2011 तक कुल 1718 कि.ग्रा. ईरी ककून का उत्पादन किया गया है, जिससे 333 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। ईरी रेशम का प्यूपा खाने के उपयोग में लाया जा सकता है एवं मछली हेतु खाद्य आहार भी तैयार किया जा सकता है।

विगत वर्षों में ईरी ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
1.	इरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	1177	2148	3810	4370	6127	7948	4354	1718
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	155	479	607	578	370	728	488	333
3.	पौधरोपण क्षेत्र	एकड़	116.50	183.50	196	187	99	223.50	1189.50	170

ईरी रेशम की 5 फसल वर्ष में ली जा सकती है एवं प्रति हितग्राही को 120 कार्य दिवस में रू. 8000–9000 वार्षिक आय प्राप्त होगी एवं धागाकरण कार्य से हितग्राहियों को रू. 10000–13000 तक वार्षिक आय प्राप्त होगी।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना : प्रदेश में 72 रेशम केन्द्र/रेशम बीज केन्द्र, 03 शासकीय मलबरी ग्रेनेज, 05 धागाकरण यूनिट, 05 ट्विस्टिंग यूनिट, 09 ककून बैंक, 04 यार्न बैंक संचालित हैं। वर्ष 2010–11 में कुल 44484 कि.ग्रा. मलबरी ककून का उत्पादन कर 1909 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2011–12 में दिसम्बर 2011 तक 32859 कि.ग्रा. मलबरी ककून का उत्पादन कर कुल 1431 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

विगत वर्षों में पालित मलबरी, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10	10–11	11–12
1.	मलबरी ककून उत्पादन	कि. ग्रा.	20387	27414	34339	41632	36224	35125	44484	32859

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 17100 करघों पर लगभग 52000 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं। राज्य के चांपा–जांजगीर एवं रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगॉव, महासमुन्द, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। राज्य का कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है।

(1) हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियॉ कार्यशील करघे एवं बुनाई रोजगार :– वर्ष 2008–09 से 2011–12 की स्थिति

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	बुनकर समितियॉ	155	158	167	175
2	कार्यशील करघे	15800	16300	16690	17367
3	बुनाई रोजगार	47400	48900	50070	52101

(2) शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना के माध्यम से हाथकरघा बुनकरों को नियमित रोजगार :– वर्ष 2008–09 से 2011–12 की स्थिति में

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति (राशि करोड़ रू. में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	वस्त्र मॉग आदेश	25.45	30.43	38.00	79.59
2.	आपूर्ति	25.19	20.84	25.65	27.42
3.	धागा प्रदाय	8.29	10.90	20.36	23.76
4.	बुनाई पारिश्रमिक	6.66	6.33	7.64	7.88
5.	बुनाई रोजगार	12000	15000	18000	24000

(3) नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा प्रदर्शनी :– नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं स्पेशल हेण्डलूम एक्सपो का आयोजन प्रदेश एवं देश के बड़े शहरों में किया जाता है। योजना के तहत् विगत वर्षों में रायपुर, बिलासपुर, कलकत्ता, बम्बई, देहरादून, शिमला, दिल्ली, नैनीताल, अहमदाबाद, नासिक आदि विभिन्न शहरों में आयोजन किया गया। वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक आयोजित प्रदर्शनी विवरण

वर्ष	प्रदर्शनी हेतु आबंटन राशि			हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री
	राज्य	केन्द्र	योग	
2008-09	29.99	9.00	38.99	290.00
2009-10	51.68	56.00	107.68	550.05
2010-11	52.93	96.00	148.89	736.85
2011-12	60.00	106.00	166.00	603.38 (Nov. 11)

(4) कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना :– योजनांतर्गत आमगांव, विकास खण्ड छुरिया, जिला राजनॉदगॉव में कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। इस प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से लगभग 200 स्थानीय लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।

(5) एकीकृत हाथकरघा विकास योजना :– एकीकृत हाथकरघा विकास योजना बुनकरों के समग्र विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त योजनांतग्रत प्रदेश के 10 क्लस्टर जिला रायपुर में मूंगझर, कटगी, जिला राजनांदगॉव में छुईखदान, जिला जांजगीर में चांपा एवं चन्द्रपुर, जिला रायगढ़ में रायगढ़, जिला जगदलपुर में बकावण्ड, जिला महासमुन्द में सल्डीह, भंवरपुर एवं जिला बिलासपुर में लोफंदी स्वीकृत है। उक्त क्लस्टर योजनांतर्गत कुल राशि रू. 573.98 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत है। इस योजनांतर्गत 4160 बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं।

(6) बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना :– योजनांतर्गत बुनकरों द्वारा वार्षिक प्रीमियम में प्रतिवर्ष राशि रू. 50/– अंशदान दिया जाता है। बीमित बुनकर को प्रतिवर्ष अधिकतम राशि रू. 15000.00 तक की स्वास्थ्य लाभ की प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2010–11 में 3815 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा किया गया था। वर्ष 2011–12 में माह नवंबर तक 4788 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है।

(7) बायर सेलर मीट :– प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु देश के बड़े शहरों में बायर सेलर मीट किया जाना प्रस्तावित है।

(8) वेबसाइट निर्माण :– प्रदेश के हेण्डलूम क्लस्टर क्षेत्रों का वेबसाइट तैयार कराया जाना प्रस्तावित है।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास कर उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :–

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :– भारत सरकार ने 31-03-2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को एक में मिलाकर, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर के सृजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक नई ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम अनुमोदित किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र और बैंक करेंगे। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

1. नए स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
2. ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना।
4. कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

वित्तीय सहायता का स्वरूपः– यह योजना वर्ष 2008-09 से भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। ग्रामोद्योग 20000 तक आबादी वाले ग्रामों में स्थापित की जाती है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों से ऋण व बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है। परियोजना लागत के आधार पर व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रकरणों में 25.00 लाख तक अनुदान देय होता है। वर्ष 2011-12 में 292 इकाई में रू. 832.79 लाख अनुदान में 2920 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य के विरूद्ध 420 इकाई स्थापित की जाकर रू. 751.24 लाख के अनुदान वितरण से 2820 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है इसमें स्वीकृत ऋणी उद्यमी को तीन दिवसीय एवं पंद्रह दिवसीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

पात्रता :–

1. हितग्राही की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
2. योजना में आय का कोई बंधन नहीं है।
3. व्यवसाय एवं सेवा के क्षेत्र में राशि रू. 10 लाख एवं निर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है।

4. लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।
5. स्व–सहायता समूह जो अन्य किसी योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
6. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं।
7. कोई भी उत्पादन सहकारी समिति।
8. दानदाता न्यास।

परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगो को छोड़कर आयोग मान्य स्थापना के लिए बैंको से ऋण एवं बोर्ड अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं छोटे–छोटे कम लागत के ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार मूलक योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत औजार उपकरण लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 13500 रूपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । राज्य के सभी जिले में वर्ष 2010-11 में 3914 इकाईयों में रू. 415.20 लाख अनुदान का लक्ष्य रखा जाकर 7828 लोगों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के विरूद्ध 5826 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी तरह वर्ष 2011-12 में योजनांतर्गत 3914 इकाई का लक्ष्य में 415.20 लाख रू. अनुदान राशि से 7828 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है बैंकों से स्वीकृति की कार्यवाही जारी है।

कारीगरों को प्रशिक्षण योजना :– वर्ष 2010-11 में तीनों मांग संख्या 41, 64 एवं 56 में रू. 28.00 लाख का बजट आबंटन तथा 1580 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2011-12 में रू. 28.86 लाख से 1738 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सूती पोली खादी उत्पादन :–खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित 9 सूत इकाई बुनाई केन्द्र स्थापित है जहां 630 ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है जिसमें 154 कारीगर बुनकर कार्य में लगे है। वर्ष 2010-11 में रू. 144.90 लाख का खादी उत्पादन किया गया है। तथा वर्ष 2011–12 में रू. 185.00 लाख के खादी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध रू. 98.72 लाख का खादी उत्पादन हो चुका है। इन केन्दों द्वारा उत्पादित कपड़ों की बिक्री विभागीय 3 संचालित बिक्री भण्डारों के माध्यम से विक्रय किया जाता है।

बांसकला केन्द्र :– राज्य बस्तर जिले में छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांसकला केन्द्र संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश की भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है, इस

केन्द्र पर 20 ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है। वर्ष 2010-11 में रू. 5.16 लाख के बांस शिल्प का उत्पादन किया गया। पूर्व स्टाक को मिलाकर कुल 6.29 लाख के बांस शिल्प का विक्रय किया गया। वर्ष 2011-12 में रू. 8.00 लाख उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध रू. 4.50 लाख का उत्पादन एवं रू. 10.00 लाख विक्रय लक्ष्य के विरूद्ध रू. 4.00 लाख का विक्रय किया जा चुका है।

विभागीय खादी उत्पादन :–वर्ष 2010-11 में रू. 62.25 लाख का सूत एवं रू. 82.65 लाख के खादी वस्त्र का उत्पादन हुआ तथा वर्ष 2011–12 रू. 43.67 लाख का सूत एवं रू. 55.05 लाख के खादी वस्त्र का उत्पादन हो चुका है। वर्ष 2010–11 में बोर्ड द्वारा संचालित तीन भण्डार गृहों द्वारा पूर्व स्टाक मिलाकर रू. 267.42 लाख की बिक्री की गई है। वर्ष 2011–12 में भण्डार गृहों द्वारा लक्ष्य रू. 250.00 लाख के विरूद्ध रू. 175.27 लाख के खादी एवं ग्रामोद्योग वस्तुओं की बिक्री की जा चुका है।

अध्याय–11

खनिज

छत्तीसगढ़ की धरती औद्यौगिक खनिजों से परिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले खनिजों की गुणवत्ता तथा खनिजों के भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27 प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2010-11 में लगभग रू. 1574195.72 लाख मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ। वित्तीय वर्ष 2010-11 में खनिजों से राज्य शासन को रू. 2461.46 करोड़ का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ जो विगत वर्ष की तुलना में रू. 805.58 करोड़ अधिक है। वर्ष 2011-12 में दिसम्बर 2011 तक रू. 1976.16 करोड़ का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ राज्य में खनिजों की बहुलता एवं विविधता है। बैलाडीला का विश्व विख्यात लौह अयस्क भण्डार छत्तीसगढ़ की धरोहर है। प्रदेश में कोयला, बाक्साइट, चूनापत्थर, एवं डोलोमाइट का बाहुल्य तो है साथ ही सामरिक महत्व में टिन अयस्क का पूरे राष्ट्र में छत्तीसगढ़ एकमात्र उत्पादक राज्य है।

बॉक्स क्र 11.1

वर्ष 2010–11 में खनिज अन्वेषण कार्यों की उपलब्धियॉ

लौह अयस्क	जिला कांकेर	रावघाट क्षेत्र में 110.50 लाख टन उच्च श्रेणी के भंडार अनुमानित।
बाक्साइट	जिला सरगुजा	सरभंजा क्षेत्र में 1.00 लाख टन भण्डार अनुमानित।
	जिला कबीरधाम	दरई क्षेत्र में 2.36 लाख टन अनुमानित।
कोयला	जिला कोरबा	सैला क्षेत्र में पूर्व से ही पूर्वेक्षण कार्य फलस्वरूप 511.15 लाख टन कोयले के अतिरिक्त भण्डार का अनुमान।
	जिला रायगढ़	गारेपेलमा क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य से 200 लाख टन भंडार अनुमानित।
लाईमस्टोन	जिला बस्तर	ग्राम चीतापुर/रायकोट क्षेत्रों में 67 लाख टन भण्डार प्राप्त होने का अनुमान।
	जिला रायपुर	ग्राम देवगांव–कुर्रा में पूर्वेक्षण कार्य से सीमेंट श्रेणी चूनापत्थर के 48 लाख टन एवं निम्न श्रेणी चूनापत्थर के 450 लाख टन भण्डार अनुमानित।
ग्रेनाइट	जिला कांकेर बस्तर	कांकेर/बस्तर जिले के गेरावड़ी/मुरवेंड क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान कटिंग पॉलिशिंग युक्त ग्रेनाईट के 0.75 लाख घन मीटर भण्डार प्राप्त हुए हैं।

खनिज अन्वेषण कार्य :– वित्तीय वर्ष 2010–11 में 3343 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 164 घनमीटर पिटिंग तथा 5705 मीटर ड्रिलिंग की गई। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 4313 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 24667 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई।

प्रमुख खनिजों का उत्पादन

(संदर्भ तालिका क्र 5.2)

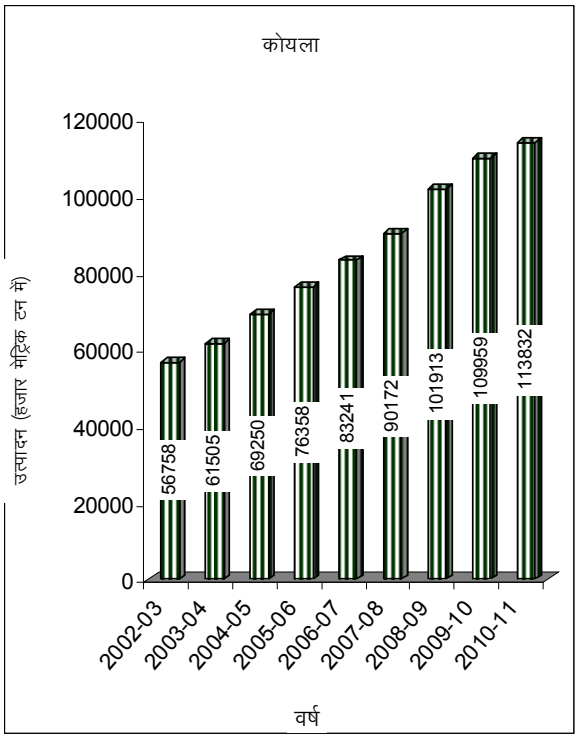

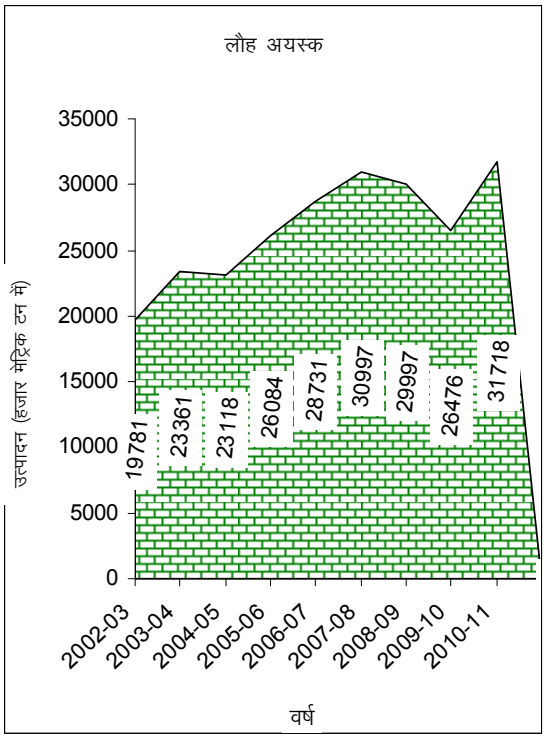

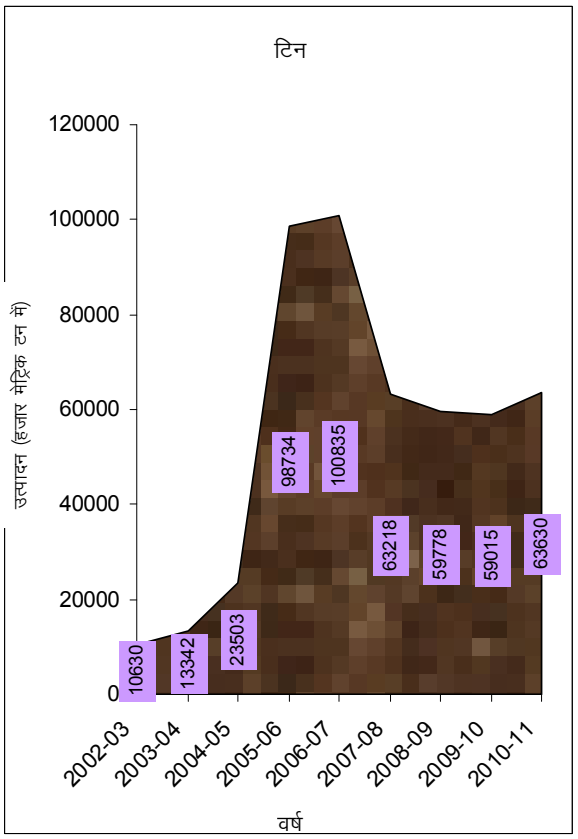

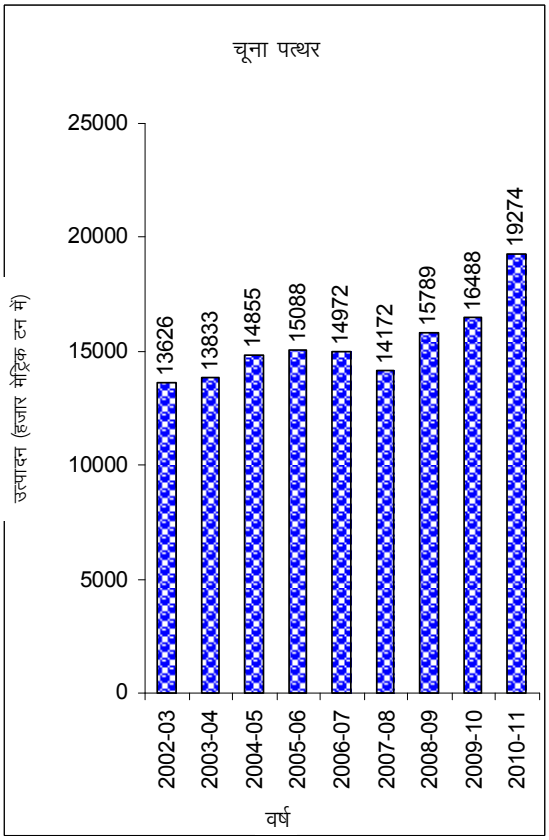

गौण खनिजों का उत्पादन :–वर्ष 2010-11 में राज्य में रू. 27897.56 लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खनिज का प्रकार	उत्पादन मात्रा (टन में)	उत्पादन मूल्य (लाख रूपयों में)
पत्थर	3537416	3510.56
मिट्टी	1907132	2712.91
मुरूम	4576403	3439.97
फर्शी पत्थर	29245	77.76
ग्रेनाईट	477	5.68
चूना पत्थर	10729535	18150.68

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड :– सी.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें शत–प्रतिशत अंशपूँजी राज्य सरकार की है। सी.एम.डी. सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यवसाय बढ़ाना है।

कोल/आयरन ओर खनिज :– भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा सी.एम.डी.सी. को पांच कोल ब्लॉक आबंटित किए गए हैं। चार कोल ब्लॉक के विकास, दोहन एवं वितरण हेतु संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन किया जा चुका है तथा एक कोल ब्लॉक (गारे–पेलमा सेक्टर–I) का विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है।

अध्याय–12

परिवहन सुविधाएँ

छत्तीसगढ़ राज्य में रेल परिवहन के कमी के परिणाम–स्वरूप सड़क परिवहन के प्रमुख संसाधन मालयानों तथा यात्रीयानों का आन्तरिक परिवहन संचालन व्यवस्था में अपना एक विशिष्ठ स्थान है।

मार्च 2010 के अंत में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 2435 हजार थी जो मार्च 2011 में बढ़कर 2766.03 हजार हो गई है। इस प्रकार कुल पंजीकृत वाहनों में 13.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कार एवं जीप में 20.82 प्रतिशत, मोटरसाईकिल, स्कूटर, मोपेड में 13.65 प्रतिशत, यात्री वाहन में 9.95 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार के वाहनों में 10.85 प्रतिशत परिलक्षित हुई है।

वर्ष 2010–11 में शुल्क एवं मोटर यानों पर देय कर आदि से 426.74 करोड़ रू. राजस्व संग्रहण किया गया था, जो गत वर्ष 2009–10 में अर्जित राजस्व 351.85 करोड़ रू. से लगभग 21.28 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2011–12 में शुल्क एवं मोटर यानों देयकर आदि से सितंबर 2011 तक 220.57 करोड़ रू. राजस्व संग्रहण किया गया है। विगत वर्ष इसी अवधि में 184.90 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ था।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत अविभाजित मध्य प्रदेश में स्थापित (म.प्र.रा.स.प.नि) एक मात्र सार्वजनिक उपक्रम 31.12.2002 तक कार्यरत था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात निगम को समाप्त कर परिवहन क्षेत्र में निजीकरण किया गया है। इसके कारण राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय परिवहन में वृद्धि हुई है। पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक नये समझौता सम्पन्न किए गए हैं। वाहन रजिस्ट्रीकरण एवं चालक लायसेंस हेतु स्मार्ट कार्ड योजना का कियान्वयन अंतिम चरण में है। केन्द्र सरकार के योजनानुसार प्रत्येक वाहनो में हाई सिक्योरीटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की योजना है यह योजना भी अंतिम चरण में है। राज्य के सीमावर्ती स्थानों में पाटकोहेरा, खम्हारपाली एवं धनवार में कम्प्यूटरीकृत तौल कांटोयुक्त चेकपोस्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जहॉ परिवहन विभाग के साथ–साथ वाणिज्य, वन, खनिज, कृषि विभाग के अधिकारी एक ही स्थान पर चेकिंग का कार्य सम्पादित करेंगे, इससे अंतराष्ट्रीय परिवहन में सुगमता आयेगी।

परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं 16 मैदानी परिवहन कार्यालयों की कम्प्यूटरीकरण योजना पूर्ण हो चुकी है। वाहन चालक लायसेंस एवं वाहन के पंजीयन किताब स्मार्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना से पंजीयन किताब एवं लायसेंस एक चिप्स युक्त कार्ड दिया जायेगा इससे वाहन स्वामी को डूप्लीकेशन एवं फर्जी प्रकरणों से मुक्ति मिलेगी।

सड़कें एवं पुल

लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़को के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण में विशेष ध्यान दे रहा है। वर्ष 2010-2011 में 2138 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया गया जिसमें गिट्टीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए एवं 54 वृहद पुलों एवं 28 मध्यम पुलों का निर्माण किया गया और 177 वृहद पुल एवं 07 मध्यम पुल का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2011.12 में सितंबर 2011 तक 671 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया एवं 19 वृहद पुलों एवं 10 मध्यम पुलों का निर्माण पूरा किया गया तथा 188 वृहद पुल कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2010-11 में कुल राशि रू. 1840.59 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध रू. 1508.57 करोड़ रू. का व्यय किया गया। वर्ष 2011-12 में माह अक्टूबर तक रू. 2356.94 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध रू. 525.96 करोड़ व्यय किये गये है।

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना के अंतर्गत एशियन डेव्हलपमेन्ट बैंक (ए.डी.बी.) की सहायता से महत्वपूर्ण राज्य मार्गों एवं जिला मार्गों जिनकी लंबाई कुल 1249 कि.मी. के उन्नयन/पुर्ननिर्माण का कार्य किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत रू. 1225 करोड़ है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल 19 में से 18 मार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 1 मार्ग का कार्य प्रगति पर है।

महत्वपूर्ण सड़कों के विकास हेतु एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से द्वितीय लोन प्राप्त कर लगभग 1500 कि.मी. सड़कों के उन्नयन हेतु रू. 2500.00 करोड़ की नई योजना पर कार्यवाही की जा रही है।

बायपास मार्ग :– बायपास मार्ग के अंतर्गत वर्ष 2010–11 में तीन बायपास मार्ग (1) घरघोड़ा बायपास मार्ग लंबाई 6.40 कि.मी. (2) चांपा बायपास मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी. तथा (3) जोरा सड्डू धनेली मार्ग लंबाई 17.35 कि.मी. पूर्ण किए गए तथा 03 मार्ग लंबाई 34.40 कि.मी. प्रगति पर थे। उक्त तीनों मार्ग इस वर्ष भी प्रगति पर हैं।

रेल्वे ओव्हरब्रिज के वर्ष 2010–11 के अंतर्गत 02 रेल्वे ओव्हरब्रिज मोवा (रायपुर) एवं भिलाई–दुर्ग (रायपुर नाका) का कार्य पूरा किया गया है तथा 06 रेलवे ओव्हरब्रिज के कार्य प्रगति पर है। उसलापुर, अकलतरा, दुर्ग–भिलाई, रायगढ़, डोंगरगढ़, टेकारी (रायपुर), मोवा (रायपुर), चकरभाटा थे। वर्ष 2011–12 में उसलापुर का कार्य भी वर्तमान में पूर्ण हो गया है तथा शेष प्रगति पर है।

आर्थिक एवं अंर्तराज्यीय महत्व की सड़क योजना अंतर्गत कुल 1 कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2011-12 में इस वर्ष 09/2011 तक रू. 49.41 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2011-12 में

रू. 48.35 करोड़ के 01 कार्य का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र शासन को प्रेषित किए गए हैं, जिन पर स्वीकृति अपेक्षित है।

एल.डब्लू.ई. योजनांतर्गत केन्द्र भाासन को 44 सड़क कार्यो के रू. 2332.04 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से 02 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 29 कार्य प्रगति पर हैं। शेष 13 कार्यों के लिए निविदा कार्यवाही प्रगति पर है।

बाक्स न–12.1

विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण भवन कार्य जो वर्तमान में प्रगतिरत् हैं

- हाईकोर्ट न्यायालय भवन, बिलासपुर का निर्माण लागत रू. 105.00 करोड़।
- साईंस कॉलेज रायपुर में खेत्र छात्रावास का निर्माण लागत रू. 2.37 करोड़।
- चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में छात्रावास भवन का निर्माण लागत रू. 1.05 करोड़।
- जशपुर में खेल परिसर का निर्माण लागत रू. 2.75 करोड़।
- गिरौधपुरी धाम में जैतखंभ का निर्माण लागत रू. 52 करोड़।
- जिला नारायणपुर में कंपोजिट कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण लागत रू. 4.28 करोड़।
- बीजापुर में कलेक्टर भवन का निर्माण लागत रू. 6.75 करोड़।
- रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण लागत रू. 83.43 करोड़।
- जंगलवार–फेयर कॉलेज, कॉकेर का निर्माण लागत रू. 21.53 करोड़।
- 100 बिस्तर मेंटल हॉस्पिटल बिलासपुर का निर्माण लागत रू. 5.12 करोड़।
- पुलिस अकादमी चन्दखुरी का निर्माण लागत रू. 16.04 करोड़।
- भवन कार्यो के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के आवासीय तथा गैर आवासीय भवन कार्य वर्ष 2010-11 में 323 पूर्ण किए गए थे तथा 410 कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यो हेतु वर्ष 2010-11 में रू. 338.60 करोड़ आवंटन के विरूद्ध रू. 234.40 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष इन कार्यो पर सितंबर, 2011 तक रू. 509.30 करोड़ आबंटन के विरूद्ध 64.86 करोड रूपये व्यय कर 63 भवन पर्ण एवं 405 भवन के कार्य प्रगति पर है।

अध्याय–13

श्रम एवं रोजगार

रोजगार एवं प्रशिक्षण

प्रशिक्षण पक्ष–

भारत शासन द्वारा 1950 में शिक्षित बेरोजगारों को उद्योगो में रोजगार एवं स्वरोजगार में स्थापित करने के उद्देश्य से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना प्रारंभ किया गया।

योजना का मुख्य उद्देश्य :–

1. उद्योंगो के लिए कुशल कारीगरों की लगातार पूर्ति करते रहना ।
2. शिक्षित बेरोजगारों को योग्य प्रशिक्षण देकर औद्योगिक रोजगार के उपयुक्त बनाना, इस प्रकार शिक्षित बेरोजगारी कम करना ।
3. सुरक्षा सेना से वापस आने वाले भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास में आवश्यकतानुसार मदद देना ।
4. ग्रामीण पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचति जन जाति, अपंग एवं महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, जिससे वे रोजगार के अवसर पा सकें एवं स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर सकें।

राज्य गठन के समय 13 जिलों में 44 संस्थायें संचालित थी। राज्य गठन उपरान्त तकनीकी शिक्षा के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 57 नई संस्थायें प्रारंभ की गई। इस प्रकार वर्तमान में 27 जिलों में कुल 101 संस्थायें संचालित है। साथ ही उपलब्ध अधोसंरचना (भवन) के पूर्ण उपयोग की दृष्टि से संचालित संस्थाओं में आधुनिक तकनीकी पर आधारित अतिरिक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रावधानित बजट अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में 05 नवीन आई.टी.आई. सहित कुल 07 आईटीआई की स्थापना करने का लक्ष्य है।

प्रशिक्षण सुविधा :– राज्य गठन के समय संचालित संस्थाओं में विभिन्न व्यवसाओं में प्रशिक्षण हेतु 5960 सीटें उपलब्ध थी वह वर्ष 2010–11 में बढ़कर 17304 हो गई। इस प्रकार विगत वर्षो में संस्थाओं में तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई। उक्त 101 संस्थाओं में से मांग संख्या 41 आदिवासी क्षेत्र उप योजनांतर्गत 47 संस्थाओं में 7104 एवं मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति क्षेत्र विशेष घटक योजनांतर्गत 03 संस्थाओं में 432 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में आदिवासी क्षेत्रों में 05 नवीन आईटीआई सहित 07 नवीन आईटीआई की स्थापना करने के साथ ही साथ संचालित 05 आईटीआई में अतिरिक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों की 02 आईटीआई कोरबा एवं डौंडीलोहारा भी सम्मिलित है।

सेन्टर आफ एक्सीलेंस :– उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व स्तरीय कुशल कामगार तैयार करने बहुकौशलीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत 22 संस्थाओं का सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया गया है, जिसमें 09 संस्थायें क्रमशः बस्तर, डौंडीलोहारा, कोरबा, गौरेला, गीदन, महिला कांकेर, केशकाल, गरियाबंद एवं अंबिकापुर आदिवासी क्षेत्र में संचालित है।

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप योजनांतर्गत संस्थाओं का उन्नयनः–पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप योजनांतर्गत 2011–12 तक विभिन्न औद्योगिक समूहों के द्वारा राज्य की 41 संस्थाओं के उन्नयन हेतु सहमति दी गई। जिनमें मेसर्स जिंदल पावर एंड स्टील रायगढ़, भिलाई इस्पात

संयत्र भिलाई, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड कोरबा (एनटीपीसी), एसीसी जामुल आदि प्रमुख है। योजनांतर्गत संस्थाओं के उन्नयन के लिये केन्द्र शासन द्वारा प्रति संस्था रू. 2.50 करोड़ ब्याज रहित दीर्घकालिक अग्रिम प्रदान किया गया है।

अधोसंरचना का विकास :– राज्य गणन के पश्चात् राज्य योजनांतर्गत 41 संस्था भवन, केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु 18 अतिरिक्त भवन निर्माण एवं 04 कन्या छात्रावास भवन का निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 26 छात्रावास भवन (04 बालिका एवं 22 बालक) तथा 06 संस्था भवन निर्माण के लिए 10.00 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

स्किल डेव्हलपमेंट इनीशियेटिव (SDI) योजना :– केन्द्र शासन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय सहायता से प्रारंभ की गई ''स्किल डेव्हलपमेंट इनीशियेटिव (SDI) योजना'' के अंतर्गत संस्थाओं/कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों/उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स, निजी एवं शासकीय कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मियों, आईटीआई के छात्रों, शाला त्यागी बच्चों, आदि के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) नई दिल्ली के द्वारा अनुमोदित अक्टूबर 2011 की स्थिति में लघु अवधि के 1386 (MES) कोर्सेस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन के 79 Vocational Training Provider (VTP) के रूप में पंजीकृत संस्थाओं में 3605 हितग्राही प्रशिक्षित तथा प्रमाणित हो चुके हैं तथा 1500 से अधिक प्रशिक्षणार्थी विभिन्न MES कोर्सेस में प्रशिक्षणरत हैं।

अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल कक्षायें :– सेंटर आफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षणार्थियों को विश्वस्तरीय कामगार के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से उन्हे अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है ताकि वे राज्य के बाहर एवं विश्व के किसी भी हिस्से में जाकर कार्य करने में सक्षम हो सकें। इस उद्देश्य से राज्य की संस्थाओं में अंग्रेजी प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है।

प्लेसमेंट सेल की स्थापना :– प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षणोपरान्त नियोजन एवं ट्रेसर स्टडी के उद्देश्य से 05 संस्थाओं क्रमशः रायपुर, भिलाई, रायगढ़, बिलासपुर एवं बस्तर में प्लेसमेंट सेल की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रमुख प्रस्तावित योजनायें :–

नवीन संस्थायें :– वित्तीय वर्ष 2011–12 में सुदूर आदिवासी बहुल क्षेत्रों क्रमशः मानपुर जिला राजनांदगॉव, भनपुर एवं माकड़ी जिला बस्तर, आरा जिला जशपुर एवं चेन्द्रा जिला सरगुजा सहित धमधा एवं गुण्डरदेही जिला दुर्ग में राशि रू. 15.00 करोड़ की लागत से 07 नवीन आई टी आई स्थापना। इससे प्रतिवर्ष लगभग 1400 अतिरिक्त युवा तकनीकी प्रशिक्षण से लाभान्वित होंगे।

आधुनिक मशीन औजार उपकरण :– योजनांतर्गत संचालित विभिन्न संस्थाओं के लिये मशीन औजार उपकरणों के क्रय हेतु राशि रू. 300.00 लाख का बजट प्रावधान।

नक्सल प्रभावित 07 जिलों क्रमशः राजनांदगॉव, उ. बस्तर कांकेर, बस्तर, द. बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर एवं सरगुजा में केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत एक–एक आईटीआई एवं दो–दो स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए राशि रू. 46.00 करोड़ का बजट प्रावधान।

संस्थाओं का वर्षवार विवरण :–

वर्ष	औ.प्र.संस्थाओं की संख्या	संस्थाओं की संख्या में वृद्धि	संस्थाओं की संख्या जहां अतिरिक्त व्यवसाय प्रारंभ की गई	प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट	सीटों में वृद्धि
1	2	3	4	5	6
2000–2001	44	–	–	5960	–
2001–2002	56	12	–	6408	448
2002–2003	61	05	–	6664	256
2003–2004	61	–	10	7048	384
2004–2005	61	–	08	7328	280
2005–2006	68	07	15	8236	908
2006–2007	80	12	02	10078	1842
2007–2008	87	08	42	14600	4522
2008–2009	89	02	09	15364	764
2009–2010	91	02	05	15816	452
2010–2011	101	10	11	17304	2208
2011–2012	108	07	05	18988	1684

वर्षवार बजट एवं व्यय का विवरण (राशि लाखों में)

वर्ष	आयोजना			आयोजनेत्तर			योग		
	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
2005-06	1163.11	763.55	65.65	1557.54	1282.60	82.35	2720.65	2046.15	75.21
2006-07	3340.18	1591.89	47.65	1463.46	1226.43	83.80	4803.64	2818.32	58.67
2007-08	4983.63	2655.39	53.28	1764.68	1429.59	81.01	6748.31	4084.98	60.53
2008-09	5465.26	1763.69	32.27	1984.70	1632.00	82.23	7228.95	3395.69	46.97
2009-10	4940.11	2296.17	46.48	2294.50	2315.27	100.91	7234.61	4611.44	63.74
2010-11	8102.51	2318.33	28.61	2849.70	2717.63	95.37	10952.20	5035.97	-
2011-12	12659.15	-	-	3559.30	-	-	162118.45	-	-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक कार्य की मांग किए जाने पर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार दिए जाने का प्रावधान है।
2. कुल आबंटन के कम से कम 50 प्रतिशत राशि के कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जाने हैं।
3. ग्रामीण परिवारों को पंजीयन एवं रोजगार कार्ड का वितरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।

4. कार्य के दौरान मृत्यु होने पर रू. 25000 अंतरिम राहत के भुगतान का प्रावधान है।
5. परिवार के स्थाई निवास के 5 कि.मी. के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। 5 कि.मी. के भीतर यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा।
6. कार्यस्थल पर छायादार झोपड़ी, पेयजल, आकस्मिक चिकित्सा तथा जहॉ पॉच से अधिक बच्चे हों वहॉ झूलाघर की व्यवस्था की जानी है।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवार को मांग के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करना अधिकार बन गया है।

वर्ष 2010–11 में कुल उपलब्ध राशि रू. 2233.09 करोड़ के विरूद्ध राशि रू.1633.97 करोड़ व्यय कर 1110.17 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर 24.85 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया। वर्ष 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक योजना में कुल उपलब्ध राशि रू. 1645.94 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 1079.33 करोड़ व्यय कर 697.88 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर 21.89 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया।

स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना :–इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को छोटे–छोटे अनेकानेक उद्यम स्थापित कर उन्हें मूलभूत व तकनीकी प्रशिक्षण प्रदाय करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इसमें केन्द्र व राज्य सरकार का वर्तमान में वित्तीय अनुदान 75 व 25 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 में रू. 145.75 करोड़ का क्रेडिट मोबिलाईजेशन का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2011 तक रू. 153.36 करोड़ वित्तीय उपलब्धि अर्जित कर 56057 परिवारों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 8563 अनु. जाति 23843 अनु. जनजाति एवं 35480 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। उपलब्ध राशि 91.08 करोड़ में से मार्च 2011 तक रू. 85.60 करोड़ की राशि व्यय की गई है। वर्ष 2011–12 में राशि रू. 169.80 करोड़ का क्रेडिट मोबिलाईजेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह सितंबर 2011 उपलब्धि रू. 44.84 करोड़ है। माह सितम्बर, 2011 तक कुल 16024 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें से 2115 अनु. जाति, 6906 अनु. जनजाति एवं 10866 महिला लाभान्वित किए गए। उपलब्ध राशि रू. 51.81 करोड़ में से माह सितंबर 2011 तक रू. 23.10 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

इन्दिरा आवास योजनाः– ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासहीन परिवार को शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंश

75 व 25 प्रतिशत का है। योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 से नये आवास निर्माण हेतु रू. 45000 रूपये तथा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए रूपये 48500 का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2010–11 में रू. 196.90 करोड़ उपलब्ध राशि में से 41408 नये आवास का निर्माण कार्य पूरा कराया गया। वर्ष 2011–12 में माह सितंबर, 2011 तक रू. 120.68 करोड़ उपलब्ध राशि में से 78.36 करोड़ के व्यय से 11254 नये आवास पूर्ण तथा 22550 नये आवास निर्माणाधीन हैं।

जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हरियाली)

सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.):– 1 अप्रैल, 1999 से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत योगदान से संचालित है। नवगठित राज्य के 8 जिलों के 29 विकास खण्ड वर्ष अन्तर्गत सूखाग्रस्त माने गये हैं और इन्हीं 8 जिलों के 29 विकासखण्डों में सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जलग्रहण क्षेत्र विकास की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2011–12 में दिसंबर 2011 तक कुल उपलब्ध राशि रू. 20.23 करोड़ में से रू. 4.53 करोड़ व्यय कर, 8491.76 हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र की भूमि उपचारित की गई है, एवं 163 हेक्टेयर नयी सिंचित क्षेत्र की वृद्धि प्राप्त की गई है।

एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लू.डी.पी.) :– छत्तीसगढ़ राज्य के 8 जिलों के 29 सूखाग्रस्त माने गए विकासखण्डों को छोड़कर अन्य जिलों सहित इन जिलों के शेष विकासखण्डों में इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत शत् प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता था किन्तु 1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा क्रमशः 11:1 के अनुपात में वित्त पोषण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 70 परियोजनाएं संचालित है। वर्ष 2011–12 में दिसंबर 2011 तक कुल उपलब्ध राशि रू. 13.05 करोड़ में से रू. 2.70 करोड़ व्यय कर, 4667.35 हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र की भूमि उपचारित की गई है, एवं 180 हेक्टेयर नयी सिंचित क्षेत्र की वृद्धि प्राप्त की गई है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना :–

भारत सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 से यह योजना पूरे देश में प्रारंभ की गई है। योजना का मूल उद्देश्य 1000 या इससे अधिक आबादी (पहाड़ी/रेगीस्तानी/आदिवासी विकास खण्डों के मामले में 500 या इससे अधिक) की सभी बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में यह कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सौंपा गया है। प्रथम चरण के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 में भारत सरकार द्वारा 956.83 कि.मी. लंबाई की 112 सड़कें, 811 पुल–पुलिया स्वीकृत की गई, तथा रू. 91.92 करोड़ राशि प्रदान की गई। अभी तक कुल स्वीकृत में से 112 सड़कें 919.13 किमी लंबाई तथा 826 पुल–पुलिया पूर्ण कर 114.34 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक (2000 से 2010–11 भी शामिल) 6479.87 करोड़ की राशि से 5320 सड़कें लंबाई 25500.65 कि.मी. तथा 36583 पुल–पुलियों की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके अंतर्गत माह नवंबर 2011 अंत तक 4242 सड़कें लंबाई 19154 कि.मी. एवं 21442 पुल–पुलिया पूर्ण कर 4748.44 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

अध्याय–14

सामाजिक सेवायें

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है । इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति जन जाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हे समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है ।

स्कूल शिक्षा विभाग

संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ–साथ विभाग का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे (विशेषकर 6 से 14 आयु वर्ग) को निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का लाभ प्राप्त हो, योजना को दृष्टिगत रखते हुए मानव संसाधन पर किया गया उद्देश्यपूर्ण व्यय ही विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सभी की सहभागिता हो इस हेतु विभाग द्वारा अधोसंरचना के विकास, शिक्षा के गुणवत्ता के विकास एवं मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। शासन शिक्षा का विकास इस तरह से संपादित कर रही है कि शिक्षण सुविधा छात्रों को उनकी पहुॅच पर प्राप्त हो रही है विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर समाज को शिक्षा के प्रति जागृत कर बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आकृष्ट किया जा रहा है। विभाग की प्रमुख योजनाएं जो उपरोक्त उद्देश्य से संचालित हैं निम्नानुसार हैं :–

2. छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना :

प्रदेश की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु –

- एन.आई.आई.टी. द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
- प्रदेश के 1189 हाई स्कूल एवं उ.मा.विद्यालयों के 186000 बालिकाओं के लिये 54/– रूपये प्रति छात्रा की दर से शासन द्वारा भुगतान किया गया है ।
- प्रदे ा के 16 जिलों में जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है ।
- इस योजना के अन्तर्गत सत्र 2009-10 से 400 केन्द्र संचालित है। जिनमें लगभग 78000 छात्राओं को योजना का लाभ मिल रहा है। वर्तमान में 300 विद्यालयों में आईसीटी योजना संचालित है एवं 1900 विद्यालयों के लिए प्रस्तावित है।
- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में 3695.50 लाख का प्रावधान हैं ।

3. सरस्वती सायकल प्रदाय योजना (निःशुल्क) :–

राज्य के हाई स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के बालिकाओं को निःशुल्क सायकल प्रदान कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सत्र 2007–08 से 9वी कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं को भी सायकल के प्रदाय से जहां शालाओं में आवागमन की सुविधा है वहीं बालिकाएं शिक्षा के प्रति आकृष्ट हो रही है।

इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को लेडीस ब्लैक सायकल के वितरण की कार्यवाही की गई है। वर्ष 2010-11 में रू. 2067.79 लाख का व्यय कर 77802 बालिकाओं को सायकल प्रदाय की गईं। वर्ष 2011-12 हेतु रू. 2000.00 लाख का प्रावधान कर 90000 सायकलें वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

4. निः ुल्क गणवे ा योजना :–प्राथमिक विद्यालय (1 से 5) की अजा, अजजा एवं बी.पी. एल. वर्ग के अध्ययनरत छात्रों को निःशुल्क गणवेश योजनान्तर्गत प्रदान किया जाता है, सत्र 2011–12 से ए.पी.एल. अंतर्गत सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छोड़कर समस्त अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दो–दो सेट गणवेश प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011-12 हेतु रू. 30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे कुल 541506 लाख छात्राओं को निःशुल्क गणवेश का लाभ प्राप्त होगा।

5. छात्र दुर्घटना बीमा योजना :–

इस योजनान्तर्गत भाासकीय एवं अनुदान प्राप्त, प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दुर्घटना बीमा का संरक्षण प्रदान किया गया है। जिसमें दुर्घटना–जनित मृत्यु, पूर्ण अपंगता अथवा स्थाई अपंगता होने पर 10,000 रूपये एवं एक अंग भंग होने पर अथवा आंशिक अपंगता पर 5,000 रूपये एवं उपचार हेतु 500 रू. की सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2010–11 में रू. 60.00 लाख व्यय कर 63.57 लाख छात्रों का बीमा किया गया तथा वर्ष 2011-12 में रू. 65.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

6 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण/पुस्तकालय योजना :–

इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किया जा रहा है।

वर्ष 2005-06 से भाासकीय एवं अनुदान प्राप्त भाालाओं में कक्षा 9 से 10 तक अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की गई है।

वर्ष 2008-09 में कक्षा 11 से 12 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं समस्त बालक–बालिकाओं को पुस्तक योजना के माध्यम से पाठ्यपुस्तक एवं अन्य पुस्तकें प्रदाय की गई।

वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान एवं स्कूल शिक्षा विभाग (पाठ्यपुस्तक निगम) के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान कर रही है। वर्ष 2010-11 हेतु रू. 39.20 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें से रू. 34.35 करोड़ व्यय कर राज्य के 52.38 लाख विद्यार्थियों को पाठ्य–पुस्तकें वितरित की गई। वर्ष 2011-12 हेतु रू. 46.86 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :–

योजना में औसतन 200 कार्य दिवसों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्ष 230 दिवस मान्य किया गया है। प्रदेश के 146 विकासखण्डों के 47175 शालाओं में लगभग 4022261 विद्यार्थीगण लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रदेश में पंचायत द्वारा, 18672 शालाओं में महिला स्व–सहायता समूह द्वारा 268 शालाओं में स्थानीय निकायों, 182 शालाओं में स्वयंसेवी संगठन पहल द्वारा एवं शेष शालाओं में शाला विकास समिति एवं जन भागीदारी समिति द्वारा भोजन पकाया जा रहा है।

मध्यान्ह भोजन केन्द्रो के प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु 172.12 लाख का व्यय प्रस्तावित है। इसमें बाह्य एजेन्सी के द्वारा मूल्यांकन कराया गया। इस हेतु जिला मुख्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर रखा गया है। वर्ष 2010-11 में 428.61 करोड़ बजट आबंटन के विरूद्ध 344.91 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष 2011-12 में योजनांतर्गत 237.34 करोड़ बजट आबंटन किया गया है।

वर्षवार प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या :– शिक्षा के अधोसंरचना के विकास के लिए शिक्षा को घर–घर पहुॅचाने के लिए छात्रों की पहुॅच सीमा के भीतर शालाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। राज्य निर्माण से अद्यपर्यन्त प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	Total
1	प्राथ.	-	99	4962	1327	1066	1414	399	9	1	319	193	9596
2	माध्य.	102	771	703	778	1830	2568	446	25	404	85	140	7712
3	हाई	72	1	-	2	4	117	146	276	09	218	136	845
4	उ. मा.	25	-	-	-	1	59	84	146	31	95	101	427
कुल योग		199	871	5665	2107	2901	4158	1075	456	445	717	1570	18580

इस शिक्षा अभियान अन्तर्गत 2002–03 से अद्यपर्यन्त 1244 प्राथमिक शाला भवन, 8608 माध्यमिक शाला भवन एवं 37292 अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदिवासी अंचल में 10 बच्चों की उपलब्धता पर 1370 प्राथमिक स्तर ज्ञान ज्योति विद्यालय खोले गये। 1136 हाई स्कूल एवं 101 हायर सेकण्ड्री स्कूलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। 36 नाईट भोल्टर के माध्यम से 1803 कामकाजी बच्चें एवं आदिवासी क्षेत्रो में 24 डारमेट्री संचालित कर 2350 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र दन्तेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में 18 पोटा केबिन तैयार कर 7422 भाला त्यागी बच्चों को आवासीय सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के मुख्याधारा से जोड़ा गया।

राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान :–

- सत्र 2009-10 से 2011-12 तक में 1351 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन किया गया।
- पूर्व से संचालित 1641 विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया।
- दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों के आवास हेतु 405 भवन स्वीकृत किए गए हैं।

मॉडल स्कूल :– राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए समस्त 74 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल की स्थापना की गई जिसमें कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक अंग्रेजी माध्यम से CBSE पाठ्यक्रम से पढ़ाई कराई जावेगी तथा समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदत्त की जावेंगी।

राजीवगांधी शिक्षा मिशन

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापी करण है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2010 तक 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सुविधा युक्त उपयोगी प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001 से लगातार अभी तक प्रयास जारी है। इन प्रयासों में सभी बसाहटों में एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक भाला प्रारंभ कर शिक्षकों के नये पद स्वीकृति, शिक्षक भर्ती, भाला भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तक प्रदाय, पेयजल सुविधा, भौचालय, रेम्प निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। वर्ष 2010–11 तक 9596 प्राथमिक शालाएं खोली गई तथा 7610 प्राथमिक शालाओं को पूर्व माध्यमिक शालाओं के रूप में उन्नयन किया गया। वर्ष 2011–12 में 193 नवीन प्राथमिक शालाऐं स्वीकृत कराई जाकर

उन्हें संचालित किया गया। इसके साथ ही 140 प्राथमिक शालाओं को पूर्व माध्यमिक शालाओं के रूप में उन्नयन किया गया। छ.ग. राज्य में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान किया जाता है। वर्ष 2011–12 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं एवं अनु. जाति/जनजाति बालकों जिनकी संख्या लगभग 35.91 लाख है। सभी को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का वितरण किया गया है।

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण :– सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सत्र 2011–12 में शिक्षक प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश में ही प्रारम्भ किया जाकर 106961 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। ताकि बच्चों को उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके।

2. निःशक्त बच्चों की शिक्षा :– समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत 60019 विशेष आवश्यकता आधारित बच्चे राज्य में चिन्हांकित किए गए हैं। चिन्हांकित बच्चों की जांच एवं आवश्यकता निर्धारण हेतु जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर पर सर्जरी योग्य निःशक्त बच्चों को चिन्हाकित कर प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अतिरिक्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है।

3. ज्ञान ज्योति केन्द्र :– आदिवासी जिलों में ऐसे ग्राम/बसाहट जहॉ 6–14 वर्ष आयु के 10 बच्चे उपलब्ध हों वहॉ पर प्राथमिक शाला खोलने का निर्णय लिया गया है जिसे ''ज्ञान ज्योंति केन्द्र'' नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत 9 आदिवासी जिलें में 1540 नवीन प्राथमिक शाला खोले गये हैं। जिन्हे ज्ञान ज्योति विद्यालय के नाम से जाना जाता है। अभी तक कुल 21315 बालक/बालिकाएँ अध्ययनरत हैं।

4. पोटा केबिन :–राज्य के दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में जहॉ की धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। जहॉ नक्सलियों द्वारा स्कूल, भवनों एवं आश्रम भाालाओं को क्षतिग्रस्त/ध्वस्त किया जा रहा है। वहॉ के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति एवं शिक्षा को सतत् जारी रखने की दिशा में कुल 58 पोटा केबिन स्थापित कर भाला त्यागी बच्चों को आवासीय सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किया जा रहा है ।

इन प्रत्येक पोटा केबिन में 5–5 सौ अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था सहित सुविधा मुहैया करायी गई है। जिसमें लगभग 26000 बच्चे अध्ययनरत हैं।

5. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) :– इस कार्यक्रम के तहत राज्य के पिछड़े सुविधा विहीन क्षेत्रों की निर्धन परिवारों की शाला त्यागी बालिकाओं को जो पांचवीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। उन्हें कक्षा आठवीं तक की निःशुल्क शिक्षा आवासीय व्यवस्था सहित मुहैया करायी जा रही है। राज्य में इस तरह के विद्यालयों

की कुल स्वीकृत संख्या 93 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को भोजन, गणवेश, कापी–किताब, लेखन सामाग्री, साबुन–तेल आदि निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। इन सभी 93 विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की कुल दर्ज संख्या 9257 है।

6. बालिकाओं की प्रारभिंक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) :– सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6–14 वर्ष की सभी बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने, महिला–पुरूष भेद–भाव को समाप्त करने एवं महिला–पुरूष साक्षरता दर के अंतर को समाप्त करने के लिए महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने एवं भौक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने हेतु यह विशेष कार्यक्रम भौक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र (ई.बी.बी.) जहॉ ग्रामीण महिला साक्षरता दर इसकी राष्ट्रीय दर 46.13 प्रतिशत से कम है, तथा राष्ट्रीय महिला–पुरूष साक्षरता दर में अंतर 21.70 प्रतिशत से अधिक है। इसके अतिरिक्त जहां अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या 5.00 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जहॉ महिला साक्षरता दर 10.00 प्रतिशत से कम है एवं भाहरी गन्दी बस्ती क्षेत्र में संचालित है।

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों के 74 (ई.बी.बी.) विकासखण्डों में संचालित है।

स्वास्थ्य सेवायें

राज्य में दिसम्बर, 2011 की स्थिति में स्वास्थ्य संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम	संख्या
1	जिला चिकित्सालय	18
2	सिविल अस्पताल	17
3	सिविल डिस्पेंसरी	29
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	149
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	755
6	उप स्वास्थ्य केन्द्र	5111
7	लेप्रोसी होम एंड अस्पताल 100 बिस्तर	3
8	राज्य में हेल्थ केयर संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र एवं अनुसंधान रायपुर में	1
9	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	14
10	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (पुरूष)	41+3(Govt.)
11	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (महिला)	53+13(Govt.)
12	जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र	27+4(Govt.)
13	क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	1

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम :–

वर्ष 2002 से विजन 2020 कार्यक्रम भारत शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2010–11 के लिए 1.00 लाख मोतियाबिंद नेत्र ऑपरेशन के लक्ष्य के विरूद्ध 103304 मोतियाबिंद आपरेशन हुए, जो कि वार्षिक लक्ष्य के 103.3 प्रतिशत रही है। स्कूल शालेय नेत्र परीक्षण के अंतर्गत 822698 छात्रों का नेत्र परीक्षण कर 10186 छात्रों को निःशुल्क च में वितरित किए गए। वर्ष 2011–12 में 1.05 लाख मोतियाबिंद आपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध माह जनवरी 2012 तक 72054 आपरेशन पूरे किए गये। स्कूल शालेय नेत्र परीक्षण के अंतर्गत 6.52 लाख छात्रों का नेत्र परीक्षण किया गया एवं 8315 निःशुल्क चश्मे वितरण किए जा चुके हैं। वर्ष 2011–12 में माह जनवरी 2012 तक 70 नेत्रदान हुए हैं।

वर्ष 2011–12 में बिलासपुर जिला चिकित्सालय में नेत्र बैंक की स्थापना हेतु 15.00 लाख रू. का आंबटन किया गया है इसका प्रभाव है कि 2011–12 में सितंबर 2012 तक 40381 ऑपरेशन हुए जो विगत वर्ष इसी अवधि से 14246 मोतियाबिन्द ऑपरेशन अधिक है।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम : पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सभी जिलों की टी.यू. एवं एम.सी. की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	डीटीसी	टी.यू	एम.सी	प्रोज. जनसंख्या
1	रायपुर	1	7	36	4062160
2	दुर्ग	1	6	29	3343079
3	राजनांदगांव	1	4	21	1537520
4	बिलासपुर	1	5	26	2662077
5	धमतरी	1	2	09	799199
6	कांकेर	1	3	13	748593
7	रायगढ़	1	4	17	1493627
8	कबीरधाम	1	2	8	822239
9	जांजगीर–चांपा	1	3	11	1620632
10	महासमुन्द	1	2	11	1032275
11	कोरबा	1	5	15	1206563
12	जशपुर	1	3	17	852043
13	बस्तर	1	5	23	1411644
14	कोरिया	1	3	13	659039
15	दन्तेवाड़ा	1	2	10	532791
16	सरगुजा	1	8	41	2361329
17	नारायणपुर	1	1	04	140206
18	बीजापुर	1	1	05	255180
	योग	**18**	**66**	**309**	**25540196**

RNTCP संचालित सभी जिलों में 1 जनवरी से सितम्बर 2011 में (तृतीय त्रैमास 2011 तक) में 82275 नये संदेहास्पद क्षय रोगियों की जांच की गई जिसमें 10013 धनात्मक क्षय खखार मरीज पाये गये, राज्य में कुल 8374 खखार धनात्मक क्षय रोगी सहित 7950 नये क्षय रोगी निःशुल्क उपचाररत है। राज्य का धनात्मक क्षय रोगियों का सफलता दर 87 प्रतिशत एवं नये खोजे गये रोगियों का वार्षिक दर 53 प्रतिशत तथा नये खखार धनात्मक रोगियों की वार्षिक दर 55 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कि समाज में छिपे सभी रोगियों को खोजकर उन्हे बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये ताकि रोग का प्रसार रूक जाये व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जाये।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश की कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 थी, जो कि माह दिसम्बर 2011 में 1.99 प्रति दस हजार है। वर्तमान में दिसम्बर 2011 तक उपचाररत रोगी संख्या 4820 है जिन्हें नियमित बहुऔषधी उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है। वे विकास खण्ड जिसका प्रभाव दर 2 या 2 से अधिक था वहॉ परामर्श एवं सघन प्रचार प्रसार द्वारा कुष्ठ संबंधी जानकारी देकर स्व–प्रेरणा से जांचकेन्द्र में आने हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

विवरण	31 मार्च की स्थिति में						दिसंबर 2011
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
खोजे गये नये रोगियों की संख्या	9040	6052	7784	5453	7647	7383	5301
रोगमुक्त रोगियों की संख्या	12519	7249	6215	8016	7843	7733	5460
उपचाररत् मरीजों की संख्या	4515	3322	5465	7984	5304	4952	4820

वित्तीय वर्ष 2011–12 में भारत शासन से राशि रू. 98.78 लाख प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध दिसंबर 2011 तक 92.00 लाख खर्च किए गए।

परिवार कल्याण कार्यक्रम : राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सकल प्रजनन दर को 3.0 से 2.6 तक प्राप्त करने का प्रयास प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में लक्ष्य दंपत्तियों को सुरक्षित करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य दंपत्ति संरक्षण दर 65% की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश का लक्ष्य दंपत्ति संरक्षण दर 62.5 है।

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य मलेरिया की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अतः विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1997 से आदिवासी प्राथमिक स्वा. केन्द्रों

में ई.एम.सी.पी. एवं शेष प्राथ. स्वा. केन्द्रो में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण किया जा रहा है।

राज्य में मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011 में 4122602 स्लाइड (रक्त पट्टी) का मलेरिया हेतु परीक्षण का लक्ष्य था जिसमें दिसंबर 2011 तक उपलब्धि 3405276 स्लाइड की रही। इस परीक्षण में 152106 पॉजिटिव पाई गयी जिसमें से 109738 पैल्सीफैरम मलेरिया पाए गए। जून से अक्टूबर के मध्य दो चक्रों में प्रदेश में 8 हजार 6 सौ 69 ग्रामों में जहॉ विगत वर्ष में एक हजार की आबादी में औसतन दो से अधिक मलेरिया रोगी प्रकाश में आए हैं, में कीटनाशक छिड़काव कराया गया है।

छिड़काव हेतु कीटनाशक औषधियों की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2011 में 856 मी.टन डी.डी.टी. भारत सरकार से प्राप्त हुई तथा राज्य स्तर से 92 मी.टन सिंथेटिक पायरेथ्राईड क्रय करने की व्यवस्था की गई है।

राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :– राज्य में एच.आई.वी. पॉजिटिव की संख्या 10890 है जिसमें पॉजिटिव महिलाओं का प्रतिशत 37 तथा पुरूषों का प्रतिशत 63 है। 25 से 49 वर्ष की आयु वर्ग सर्वाधित प्रभावित आयुवर्ग है। राज्य में ART C में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या 8264 है।

जिलेवार एचआईवी पाजिटिव

(दिसम्बर 2011 तक)

क्र.	जिला	एचआईवी पाजिटिव	ART पर मरीजों की संख्या
1	रायपुर	4815	1451
2	दुर्ग	1500	618
3	राजनांदगांव	683	-
4	बिलासपुर	1577	408
5	रायगढ़	156	-
6	सरगुजा	198	72
7	जगदलपुर	527	189
8	कांकेर	106	-
9	कोरबा	255	-
10	महासमुन्द	378	-
11	धमतरी	103	-
12	कवर्धा	290	-
13	जांजगीर–चांपा	79	-
14	दन्तेवाड़ा	41	-
15	जशपुर	78	-
16	कोरिया	103	-
17	बीजापुर	1	-
18	नारायणपुर	-	-
कुल योग		**10890**	**2738**

संजीवनी सहायता कोष : गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले रोगियों के गंभीर बिमारियों के इलाज हेतु संजीवनी कोष की स्थापना की गई है जिसमें गंभीर दुर्घटनाओं, बीमारियों एवं प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्तियों को ईलाज हेतु 1.5 लाख की सहायता मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में ईलाज कराने पर दी जाती है। वर्ष 2008–09 में ऐसे 394 व्यक्तियों को 3.53 करोड़ रू. की राशि दी गई। वर्ष 2010–11 में अब तक 269 व्यक्तियों को 4.20 करोड़ रू. की राशि ईलाज हेतु दी गई जिसके अन्तर्गत 208 हृदय रोगी 6 कैंसर रोगी एवं 55 अन्य मरीज शामिल है। वर्ष 2011–12 में अब तक 281 व्यक्तियों को 2.65 करोड़ की राशि ईलाज हेतु दी गई, जिसके अंतर्गत 239 हृदय रोगी, 5 कैंसर रोगी एवं 37 अन्य मरीज शामिल हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम :– छत्तीसगढ़ शासन का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य में पेयजल व्यवस्था के साथ ही छत्तीसगढ़ को पूर्ण निर्मल राज्य का दर्जा दिलाने के काम में जुटा है। आमजनों को पेयजल से संबंधित समस्याओं का तुरंत निदान के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में टोल फ्री नंबर 1800–233–0008 चालू किया गया है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति :–

राष्ट्रीय मापदण्ड अनुसार 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में चिन्हित 72,775 सभी बसाहटों में जलप्रदाय का कार्य पूरा किया जा चुका है। राज्य में अब तक 215730 हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। पेयजल के लिए राष्ट्रीय मापदण्ड 250 जलसंख्या के लिए एक हैण्डपंप के विरूद्ध छत्तीसगढ़ में 80 जनसंख्या पर एक हैण्डपंप स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2011–12 में निर्धारित लक्ष्य 7832 के विरूद्ध अब तक 3335 बसाहटों में सफल नलकूप खनित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

उक्त चिन्हित 72775 बसाहटों में 8838 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गई वर्ष 2011–12 में 3570 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अब तक 682 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा चुकी है, शेष 2888 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीण भाालाओं में पेयजल व्यवस्था :–

अब तक राज्य की 41059 ग्रामीण शालाओं में सफल नलकूप खनन कर शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्ष 2011–12 में 2030 ग्रामीण शालाओं में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है, जिसके विरूद्ध अब तक 761 ग्रामीण शालाओं में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष शालाओं में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2011–12 में 1440 आंगनबाड़ियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 432 आंगनबाड़ियों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी है।

वर्ष 2011–12 में कुल 8 हजार ग्रामीण शालाओं में फोर्स लिफ्ट पंप स्थापित किए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4556 शालाओं में फोर्स लिफ्ट पंप स्थापित किए जा चुके हैं।

स्पॉट सोर्स योजना :–

स्पॉटसोर्स योजना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 2477 स्पॉट सोर्स योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें से 1936 योजनाओं पूर्ण की जाकर संचालन –संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं तथा 244 स्पॉट सोर्स योजनाओं के कार्य प्रगति पर है एवं 297 योजनाओं के कार्य प्रारंभिक प्रक्रिया में है।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम :–

प्रदेश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का क्रियान्वयन तीव्रगति से करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता में है। गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की कुल संख्या 1568600 एवं गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों की कुल संख्या 1823853 है। जिसमें कुल निर्मित निजी शौचालयों की संख्या बी.पी.एल. 1047483 एवं ए.पी.एल. 825450 है इस तरह कुल 1872933 शौंचालयों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत भाासन ने निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना भाुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 693 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरूस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

तकनीकी शिक्षा

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता युक्त विकास समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय की स्थापना 01 नवम्बर, 2000 में की गई। संचालनालय द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नानुसार हैं :–

1. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं का प्रशासकीय नियंत्रण।
2. राज्य के सभी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश की कार्यवाही।

उद्देश्य :

- ❖ तकनीकी शिक्षा का सर्वांगीण एवं बहु–आयामी विकास।
- ❖ अधो–संरचना विकास हेतु तकनीकी ज्ञान का प्रचार एवं शिक्षा।
- ❖ आधुनिकतम तकनीक एवं मेघा–संपन्न मानव संसाधन का विकास।
- ❖ राज्य के खनिज संपदा का राज्य के हित में प्रदूषण रहित विदोहन एवं उपयोग में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग।
- ❖ राज्य में स्थापित विभिन्न संयंत्रों/उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित करने में मार्गदर्शन एवं परामर्श देना।
- ❖ राज्य में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करना।
- ❖ छात्र/छात्राओं में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के प्रति अभिरूचि का विकास।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी ज्ञान हेतु नवीन तकनीकी शाखाओं एवं संस्थाओं का विस्तार एवं प्रस्तुति।
- ❖ तकनीकी शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश।

राज्य की तकनीकी संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम :–

(अ) स्नातक पाठ्यक्रम :– बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस इंजी., इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेकाट्रानिक्स, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी

(ब) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम :– मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एप्लाईड जियोलॉजी, एम.बी.ए., सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एम.सी.ए., फॉर्मेसी

(स) डिप्लोमा पाठ्यक्रम :– सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी,

फार्मेसी, माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन ।

राज्य में तकनीकी शिक्षा की स्थिति

क.	संस्थाएं	1 नवम्बर 2000 की स्थिति में		वर्ष 2011–12 की स्थिति में	
		संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता
1	इंजीनियरिंग	11	2750	50	19590
2	पॉलीटेक्निक	10	1495	23	3820
3	एम.सी.ए.	4	210	10	660
4	एम.बी.ए.	3	160	24	1560
5	एम. फॉर्मा	0	0	05	156
6	बी. फॉर्मा	0	0	11	660
7	डी. फॉर्मा	01	30	09	510
8	आर्किटेक्चर	01	20	01	80
9	एम.ई./एम.टेक	0	0	09	646

प्रवेश प्रकिया :– इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम बी.ई. के लिए अर्हकारी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पी.ई.टी. एवं अखिल भारतीय ए.आई.ई.ई.ई. में प्रावीण्य सूची के आधार पर दिया जाता है। एम.ई./एम. टेक में प्रवेश (GATE) के प्राप्तांकों के आधार पर होता है। एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. के लिए अर्हता स्नातक है तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाना है। पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पी.पी.टी. के आधार पर दिया जाता है। प्रवेश के लिए आवश्यक अर्हता 10वीं उत्तीर्ण है।

उपलब्धियां :– राज्य के आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिलों बीजापुर, नारायणपुर कांकेर एवं दंतेवाड़ा में पॉलीटेक्निक वर्तमान सत्र 2010–11 से प्रारंभ। जशपुर, बैकुण्ठपुर एवं गरियाबंद में भी शासकीय पॉलीटेक्निक वर्तमान सत्र से प्रारंभ। बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, बैकुण्ठपुर एवं जशपुर में पॉलीटेक्निक संस्थाओं की स्थापना केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत की गई है।

राज्य में सूचना प्रौद्यौगिकी के विकास एवं उपयोग को ध्यान में रखते हुए N.T.P.C. के सहयोग से I.I.I.T. की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

राज्य में I.I.M. वर्तमान सत्र 2010–11 से रायपुर में प्रारंभ।

वर्ष 2010–11 से बी.ई., बी. फॉर्मेसी, एम.सी.ए. एवं इंजी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन काउन्सिलिंग के माध्यम से किया गया।

उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य के विकास यात्रा में उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय रही है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

1. छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 172 शासकीय, 226 अशासकीय अनुदान रहित एवं 16 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं। शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 109748 छात्र छात्रायें अध्ययनरत हैं जिसमें लगभग 20095 सामान्य छात्र, 15813 अनुसूचित जाति तथा 24030 छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं एवं लगभग 49810 अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।
2. सत्र 2011-12 में विभाग द्वारा 7 नये शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है।
3. इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालयों की देश में बढ़ती हुई भूमिका के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी 04 निजी विश्वविद्यालय– डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर, मैट्स विश्वविद्यालय आरंग रायपुर, कलिंगा विश्वविद्यालय ग्राम कोटनी रायपुर एवं आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय ग्राम चरोदा दुर्ग की स्थापना की गई है।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एड ऑन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुदान दिए जाने की योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत राज्य शासन ने 17 महाविद्यालयों में एड ऑन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है।
5. राज्य स्थापना के समय राज्य में 03 विश्वविद्यालय थे जबकि वर्तमान में 06 राजकीय विश्वविद्यालय एवं 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय संचालित है। बिलासपुर में राज्य शासन द्वारा एक नवीन विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।
6. राज्य स्थापना के समय 18 शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थे जबकि वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 33 हो गई है।
7. राज्य स्थापना के पश्चात महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रायः सभी जिलों में शास. महिला महाविद्यालयों की स्थापना कर दी गई है।

8. वर्ष 2001–01 में रू. 47.79 करोड़ का बजट प्रावधान था, जबकि 2011–12 में यह राशि बढ़कर रू. 453.69 करोड़ हो गई है। विगत वर्षों में बजट प्रावधान में लगभग 10 गुना बढ़ोत्तरी हुई है।

9. छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहॉ जाति एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के अलावा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से शास. महाविद्यालयों में बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति एवं बी.पी.एल. बुक बैंक योजना संचालित है।

10. राज्य स्थापना के पश्चात शासन द्वारा 56 महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं जिनमें से 33 शास. महाविद्यालयों की स्थापना दूरस्थ अंचल कोंटा (जिला दन्तेवाड़ा), सनावल तथा ओड़गी (जिला सरगुजा) में स्थापित किए गए हैं।

समाज सेवा

समाज कल्याण द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, प्रभावशील अधिनियमों एवं कार्यक्रमों से संबधित दायित्वों को सम्पादन किया जा रहा है। निराश्रित वृद्ध विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त व्यक्तियों के देख–रेख तथा किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत बालकों की देख–रेख एवं बाल संप्रेक्षण गृह आदि कार्यक्रम प्रभावशील है।

1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध एवं 50 वर्ष या अधिक आयु का निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों को 200 रू. मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो, को पेंशन की पात्रता है। पेंशन की पात्रता केवल राज्य के निवासियों के लिये ही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2010–2011 में रू. 13359.58 लाख व्यय किए गए जिससे 320332 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 2011–12 में माह दिसंबर, 2011 की स्थिति में रू. 11068.20 लाख व्यय कर 362119 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

1.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : राज्य में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. 300 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. 600 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 100 राज्यांश सम्मिलित है। वर्ष 2010–2011 में रू. 13863.16 लाख व्यय कर 558093 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2011–2012 में माह दिसंबर तक रू. 10794.41 लाख व्यय कर 586882 हितग्राही लाभान्वित हुए।

1.3 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 10,000 रू. दिये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजनार्न्तगत वर्ष 2010–2011 में 11943 हितग्राहियों को 1194.30 लाख की सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2011–12 में माह दिसंबर की स्थिति में 6457 हितग्राहियों को 645.70 लाख रूपये की सहायता दी गई।

1.4 सुखद सहारा योजना :– इसके अन्तर्गत 18–50 वर्ष तक की विधवा/परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं को 200 रूपये प्रतिमाह–पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2010–2011 में 188222 हितग्राहियों को राशि रू. 4716.69 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। वर्ष 2011–2012 में माह दिसंबर की स्थिति में 212548 हितग्राहियों को 3771.74 लाख रूपये की सहायता दी गई।

1.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 59 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रू. 200.00 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में 99925 हितग्राहियों को 2326.20 लाख की पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2011-12 में माह दिसंबर 2011 की स्थिति में 114559 हितग्राहियों को 1930.75 लाख पेंशन भुगतान किया गया है।

1.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 59 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रू. 200.00 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में 28035 हितग्राहियों को रू. 620.93 लाख पेंशन भुगतान किया गया है। वर्ष 2011-12 में माह दिसंबर 2011 की स्थिति में 30267 हितग्राहियों को रू. 536.83 लाख पेंशन भुगतान किया गया है।

2. स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :– निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अस्थि वाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विशेष विद्यालय संचालित हैं। मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा कोरबा एवं रायगढ़ में विद्यालय संचालित हैं। इन स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 में राशि रू. 170.63 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया जिसमें 2259 बच्चे लाभान्वित हुए। वर्ष 2011–2012 में माह दिसंबर 2011 तक 2276 हितग्राही लाभान्वित हुए तथा रू. 80.71 लाख व्यय किये गये।

3. निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– वित्तीय वर्ष 2010-2011 में इस मद में राशि 72.23 लाख रूपये की छात्रवृत्ति 13859 निःशक्त हितग्राहियों को वितरित की गई। छात्रवृत्ति हेतु निःशक्त छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की आय सीमा रू. 8000 प्रतिमाह एवं

हितग्राही को 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता होना आवश्यक है। वर्ष 2011-2012 में माह दिसंबर तक 7793 बच्चों को 40.12 लाख रूपये की छात्रवृत्ति दी गई है।

3. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों को ट्रायसिकल, बैसाखी, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बेंत की छड़ी आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5000 मासिक तक निःशुल्क साथ ही रू. 5001 से रू. 8000 मासिक तक 50ः छूट के साथ संसाधन सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु दी जाती है। वर्ष 2010-11 में रू. 223.50 लाख की राशि राज्य मद से व्यय कर 6631 व्यक्तियों को यंत्र उपकरण प्रदाय किए गए। वर्ष 2011-12 में माह दिसंबर तक 3265 व्यक्तियों पर (यंत्र उपकरण खरीद हेतु) रू. 111.20 लाख व्यय किए गए।

4. निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : निःशक्तजनों को सामाजिक पुनर्वसन एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 21000 रूपये प्रति विवाहित जोड़े को प्रदाय किया जाता है। विवाह योग्य 18 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं एवं 21 से 45 वर्ष आयु के पुरूष जिसमें से एक अथवा दोनों व्यक्ति निःशक्त हो, योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का प्रावधान है। वर्ष 2010-11 में 480 विवाहित दंपत्ति को रू. 100.80 लाख एवं वर्ष 2011-12 में माह दिसंबर तक 766 विवाहित दंपत्ति को रू. 160.86 लाख की सहायता दी गई।

5. समाज रक्षा कार्यक्रम : किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत विधि अवरूद्ध बच्चों हेतु राज्य के 16 जिलों में किशोरों के संरक्षण, भरण–पोषण, चिकित्सीय देख–रेख एवं पुनर्वास की व्यवस्था हेतु संस्थाएं संचालित है। जिसमें अवरूद्ध बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता दी गई है। वर्ष 2011-12 में रू. 237.68 लाख व्यय किए गए जिससे 1110 किशोरों को लाभान्वित किया गया है।

6. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम** :– प्रदेश के निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों को सहायता अधिनियम 1970 के अन्तर्गत अशासकीय संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को वृद्धा आश्रम संचालन करने हेतु जिले में संग्रहित निराश्रित निधि की ब्याज राशि से पात्रतानुसार 90 प्रतिशत राशि प्रदाय की जाती है। निराश्रित वृद्ध जनों के लिए प्रदेश में 17 वृद्धाश्रम संचालित है। जहॉ 365 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे है। वर्ष 2011-12 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए गतिविधियॉ संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को रू. 36.58 लाख के केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

(1) शालेय शिक्षा :– राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालायें संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा 16941 प्राथमिक शालाएं 6202 माध्यमिक शालाएं 485 हाई स्कूल 641 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 05 आदर्श उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय 05 कन्या शिक्षा परिसर 08 एकलव्य आवासीय विद्यालय 01 गुरूकुल विद्यालय एवं 13 खेल परिसर संचालित है।

(2) राज्य छात्रवृत्तियाँ :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 3 से 10 तक निरंतर विद्या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा 10 माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	457373	850.00	27730	512.00
अनुसूचित जनजाति	983854	815.29	175136	557.52
पिछड़ा वर्ग	982373	900.00	118946	634.00

(3) पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्तियाँ :– कक्षा 11 वी एवं इससे उपर में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	75798	59.38	9689	0.00
अनुसूचित जनजाति	98602	100.00	20031	1.00
पिछड़ा वर्ग	143596	2500.00	15746	1971.00

(4) अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ :– अस्वच्छ धंधों में कार्यरत बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु कक्षा पहली से दसवी तक के छात्र–छात्राओं को यह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	11953	196.70	1117	180.20

(5) छात्रावास :– प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1847 छात्रावास संचालित है। प्रवेशित छात्र को 10 माह के लिये शिष्यवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	15415	1462.29	15031	867.00
अनुसूचित जनजाति	63246	3230.49	66858	2315.42

(6) आश्रम शाला योजना :– प्रदेश के वनॉंचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ शैक्षणिक सुविधा नही है आश्रम शाला योजना की व्यवस्था है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 43 एवं अनु. जनजाति के लिए 1113 आश्रम शालाएँ संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	2232	417.78	2288	272.55
अनुसूचित जनजाति	75583	5649.61	74967	6675.45

(7) निःशुल्क गणवेश प्रदाय :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कक्षा पहली से आठवी तक के बालक–बालिकाओं को राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	36340	70.00	46810	22.76
अनुसूचित जनजाति	431439	665.00	477620	350.25

(8) निःशुल्क सायकल प्रदाय :– नवमी एवं दसवी में अध्ययनरत छात्राओं को विद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु निःशुल्क सायकल दिये गये है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	3655	114.98	50323	1275.00
अनुसूचित जनजाति	28447	793.68		
अन्य पिछड़ा वर्ग	11983	299.97		-
विशेष पिछड़ी जनजाति	614	18.00	751	18.00

(9) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ऐसी कन्याएँ जो पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी हेतु प्रवेश लेती है उन्हें 500 रू. प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	22769	157.60	79200	0
अनुसूचित जनजाति	53799	324.79	37400	0

(10) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम :– सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति अंतर्गत जरूरतमन्द परिवारों को तुरंत राहत योजना लागू की गई।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि (परिवार)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि (परिवार)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति	572 परिवार	127.50 (केन्द्र+राज्य)	98 परिवार	13.50 (केन्द्र+राज्य)

(11) परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से बैठने वाले छात्र–छात्राओं की परीक्षा में प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	3850	9.29	NA	NA
अनुसूचित जनजाति	7576	14.65	NA	NA

(12) मध्यान्ह भोजन योजना :– प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि एवं नियमित उपस्थिति में प्रोत्साहन के लिये यह योजना वर्ष 1995 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत छः वर्ष से बारह वर्ष आयु समूह के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
छात्र/छात्राएं	1629830	15283.20 (केन्द्र+राज्य)	1629830	5206.19 (केन्द्र+राज्य)

(13) अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :– अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिये कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को शाला, छात्रावास, बालवाड़ी, महिलाओं हेतु सिलाई केंद्र आदि के लिये अनुदान देने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुदान	9	1835.62 (केन्द्र+राज्य)	9	351.89 (केन्द्र+राज्य)

(14) विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण :– राज्य में विशेष 5 पिछड़ी जनजातियाँ अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं बैगा के विकास हेतु विशेष अभिकरण का गठन किया गया है। जिनके द्वारा अधोसंरचना के कार्य, सामुदायिक कार्य तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए गए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि (कार्य)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि (कार्य)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
कार्य	279	635.28	-	-

(15) अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण :– राज्य के सघन अनुसूचित जाति क्षेत्रों में निवासरत लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से इस प्राधिकरण का गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
कार्य	893	2773.90	511	683.17

(18) मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मेघावी छात्र/छात्राओं को जो दसवी एवं बारहवी बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण हुए हों, को 10 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रत्येक वर्ष 700 आदिवासी एवं 300 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने हेतु प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	285	30.00	1000	0.00
अनुसूचित जनजाति	652	61.86		

(19) स्वस्थ्य तन स्वस्थ्य मन योजना :– विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में माह सितंबर 2011 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2010-11		2011-12 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	11212	8.66	3000	0.00
अनुसूचित जनजाति	51675	58.42	27000	0.00

(20) वाहन चालक प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति युवकों को वाहन चालक का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008-09 से योजना लागू की गई है। वर्ष 2011-12 में अनु.जाति एवं अनु. जनजाति के क्रमशः 133 एवं 266 युवाओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(21) एअर हॉस्टेस प्रशिक्षण योजना :– वर्ष 2011-12 में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के क्रमशः 56, 74 युवतियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है जिसके लिए क्रमशः 45.00 लाख एवं 60.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

(22) सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग/छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर सफल होने पर रू. 1.00 लाख एवं रू. 0.10 लाख (प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर), छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल होने पर रू. 0.20 लाख राशि प्रदान की जावेगी। वर्ष 2011-12 में इस योजनांतर्गत रू. 14.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

महिला एवं बाल विकास

आई.सी.डी.एस सेवा योजना :– भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यक्ताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया। योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्न 6 प्रकार की सेवायें प्रदान की जाती है। 1. पूरक पोषण आहार 2. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा 3. टीकारण 4. स्वास्थ्य जांच 5. संदर्भ सेवा 6. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। उपरोक्त सेवायें हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र आरंभ किया गया आदिवासी, पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र में 150 से 300 की जनंसख्या में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 300 से अधिक जनसंख्या में आंगनवाड़ी केन्द्र तथा ग्रामीण एवं भाहरी क्षेत्र में 150 से 400 की जनसंख्या पर मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 400 से अधिक की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया गया है। 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में कुपोषण शिशु एव मातृ मृत्यु दर जैसी गम्भीर समस्या रही है।

छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व प्रदेश में 152 बाल विकास परियोजनाओं में 20289 स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में चरणबद्ध तरीके से विस्तार कर वर्ष 2010 में स्वीकृत नवीन 8826 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 4229 मिनी आगनबाड़ी केन्द्र के साथ कुल 43763 आंगनवाड़ी तथा 6548 मिनी आगनवाड़ी केन्द्र की स्वीकृत प्राप्त है। जिसके माध्यम से जहां 0 से 03 आयु वर्ग के 11.43 लाख, 03–06 आयु वर्ग के 8.82 लाख बच्चे तथा 4.88 लाख गर्भवती व धातृ महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

एस.आर.एस. बुलेटिन के अनुसार विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से शिशु मृत्यु दर की संख्या में निम्नानुसार परिवर्तन दर्ज किया गया है :–

देश/प्रदेश	वर्ष 2000 कुल	वर्ष 2011 कुल	वर्ष 2011 ग्रामीण	वर्ष 2011 शहरी
भारत	68	50	55	34
छत्तीसगढ़	79	54	55	47
मध्यप्रदेश	87	67	72	45

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम :

पूरक पोषण आहार के संबंध में भारत शासन द्वारा फरवरी, 2009 में जारी किए गए संशोधित वित्तीय एवं पोषण मापदंडों के अनुरूप प्रदेश में 3 से 6 वर्ष के सामान्य व गंभीर

कुपोषित बच्चों को ग्राम पंचायतों, महिला स्व–सहायता समूहों व नगरीय निकायों के माध्यम से नाश्ता व चावल आधारित गर्म पका हुआ भोजन तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित गेहूं आधारित रेडी–टू–ईट फूड दिया जा रहा है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत वर्तमान में लगभग 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के 19.51 लाख सामान्य बच्चों, 6 माह से 6 वर्ष आयु के 34298 गंभीर कुपोषित बच्चों तथा 4.74 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह सितम्बर 2011 तक 12105.05 लाख रू. व्यय किया गया है।

छत्तीसगढ़ महिला कोष :–

छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन महिला स्व सहायता समूहों/महिलाओं को वित्त पोषण, आर्थिक स्वावलंबन तथा समग्र रूप से सशक्त बनाने के लिए किया गया है। वर्ष 2002 से गठन उपरांत अब तक कोष द्वारा 19594 महिला स्व–सहायता समूहों को 26 करोड़ 52 लाख 68 हजार रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है। कोष द्वारा समूहों को प्रथम बार में 25000 रू. तक का ऋण तथा सफलता पूर्वक भुगतान पश्चात 50000 रू. तक का ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। जोकि शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्र में प्रभावशील है। यह ऋण 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। वर्ष 2010-11 में 2212 समूहों को 5 करोड़ 28 लाख 95 हजार रूपये के ऋण का वितरण किया गया है।

वर्ष 2009-10 से महिला कोष द्वारा सक्षम योजना प्रारंभ की गई। इस योजनांतर्गत 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु 1 लाख रूपये का ऋण 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। वर्ष 2010-11 में सक्षम योजनांतर्गत 176 महिलाओं को 1 करोड़ 1 लाख रूपये तक के ऋण स्वीकृत किए गए।

वर्ष 2011-12 हेतु 2875 स्व–सहायता समूहों को 7 करोड़ 18 लाख ऋण वितरित किया जाएगा एवं सक्षम योजना हेतु 205 महिलाओं को 1 करोड़ 23 लाख का ऋण वितरित किया जाएगा।

किशोरी शक्ति योजनाः–

किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में 92 बाल विकास परियोजनाओं में योजना को लागू किया गया तथा 27600 किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। प्रत्येक बाल विकास परियोजना में भााला त्यागी 11 से 18 वर्ष आयु की गरीब किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबद्ध कर स्वास्थ्य एवं पोषण से संबधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, सिकलसेल

एनीमिया परीक्षण किया गया तथा आई.एफ.ए. टेबलेट एवं कृमिनाशक टेबलेट दी गई। योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ स्व–सहायता समूह के तर्ज पर किशोरी बालिका समूह का गठन, गांवो में बाल विकास के नारे लेखन, कुपोषित बच्चों की देखभाल इत्यादि कार्य भी योजनांतर्गत किए गए तथा किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया।

आयुष्मति योजना : (राजीव जीवन रेखा योजना में समाहित)

ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को इलाज की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जिसके अन्तर्गत जिला/मेडिकल कालेज अस्पताल/खण्ड चिकित्सालयों में रोगी महिलाओं को एक सप्ताह तक उपचार हेतु भरती रहने पर 400 रू. तक तथा एक सप्ताह से अधिक भरती रहने पर 1000 रू. तक की चिकित्सा सुविधा के तहत इलाज, दवाइयां, टानिक एवं पोषण आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है। यह अस्पताल में मिलने वाली निःशुल्क दवाओं के अतिरिक्त है। रोगी महिला के साथ आए परिचारक को भी सुविधाजनक विश्राम तथा दो समय के भोजन की सुविधा दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में 16209 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु सितंबर 2011 तक 4267 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

नारी निकेतन : अनाथ, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्ता महिला को आश्रय व सहारा प्रदाय करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए प्रदेश में तीन नारी निकेतनों का संचालन किया जा रहा है। ये नारी निकेतन रायपुर, सरगुजा एवं दंतेवाड़ा में संचालित हैं। संस्था में इन महिलाओं के निःशुल्क आवास, भरण–पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

वर्ष 2010-11 में 37 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में सितंबर 2011 तक 25 महिलाएं 07 बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : यह अभिनव योजना राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन–देन की रोकथाम करना है।

योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं हेतु प्रत्येक के विवाह हेतु अधिकतम 5000.00 रूपये की राशि व्यय की जाने का प्रावधान था। 01 अप्रैल 2011 से उक्त राशि में परिवर्तन कर प्रत्येक बालिका के विवाह पर रू. 10000.00 व्यय का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2010-11 में 5252 जोड़ों के विवाह सम्पन्न किए गए। जिन पर 266.55 लाख रूपये व्यय हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में सितंबर 2011 तक 4633 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ है।

शासकीय झूलाघर : निम्न मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के छः माह से छः वर्ष आयु तक के बच्चों की देखभाल के लिए प्रदेश में शासकीय झूलाघर बिलासपुर एवं रायपुर से संचालित है।

वर्ष 2010-11 में 49 बच्चे लाभान्वित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में सितंबर 2011 तक 49 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

बाल संरक्षण गृह : संस्था में 18 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ्य बच्चों को आवास शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में स्थित पांच बाल संरक्षण गृह संचालित है। बालकों के लिए कवर्धा, जगदलपुर तथा दुर्ग एवं बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में 168 बच्चे निवासरत रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में सितंबर 2011 तक 112 बच्चे संस्था में निवासरत हैं।

बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र : 0–6 आयु वर्ष के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए रायपुर तथा बिलासपुर में शासकीय बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र संचालित है जहॉ सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में 50 बच्चे एवं 15 महिलाएं लाभान्वित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में सितंबर 2011 तक 50 बच्चे एवं 15 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

अध्याय–15

सहकारिता

राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक:– वर्ष, 2010–11 में बैंकों की संख्या छः एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 198 है। वर्ष 2010–11 में बैंकों की अँशपूंजी 15784.63 लाख रू. हो गई इसमें राज्य शासन का अंशदान 1152.03 लाख रूपये रहा। वर्ष 2010–2011 में बैंकों की अमानतें एवं कार्यशील पूँजी क्रमशः 228648.34 लाख रूपये एवं 376708.16 लाख रूपये हो गई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2010–2011 में 142035.87 लाख रूपये के ऋण वितरित किये गये जिसमें 129425.24 लाख़ रूपये अल्पकालीन एवं 12610.63 लाख रू. मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं। इसी अवधि में बैंक का कुल बकाया ऋण 107714.83 लाख रूपयों का रहा। वर्ष 2010–2011 में पॉच जिला सहकारी बैंकों को 5141.65 लाख़ रूपये का लाभ हुआ है, एवं एक बैंक को 10.39 लाख रू. की हानि हुई है।

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ :– राज्य में वर्ष 2010–2011 में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 1333 है, जो 2009–2010 के समान ही है। इन समितियों के सदस्यों की संख्या 2010–2011 में 14.15 लाख हो गई है।

कुल सदस्यों में से 246603 अनुसूचित जाति, तथा 417522 अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंशपूंजी वर्ष 2009–2010 में 12919.16 लाख रूपये थी। यह वर्ष 2010–2011 में बढ़कर 13346.01 लाख रूपये हो गई है। कृषि साख समितियों द्वारा वर्ष 2010–2011 में 95718.24 लाख रूपये का अल्प ऋण वितरित किया गया, एवं 1976.35 लाख रूपये मध्यकालीन ऋण के रूप में है। इसी अवधि में कुल ऋणी सदस्यों की संख्या 9.35 लाख रही जिसमें 2.33 लाख अनुसूचित जाति तथा 2.27 लाख सदस्य अनुसूचित जनजाति के रहे। वर्षान्त पर सोसायटियों की बैंकों की कुल बकाया ऋण राशि 89365.75 लाख रूपये रही है।

अध्याय–16

बचत एवं विनियोजन

अल्प बचत के अन्तर्गत संग्रहण : अल्प बचत योजना में अन्य वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा व्याज की राशि कम होने के कारण निवेशक अन्य वित्तीय संस्थाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं । अतः बचत योजनाओं में निवेशकों की रूचि कम हुई है ।

अधिसूचित वाणिज्यिक अधिकोष

राज्य में समस्त बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या 1705 मार्च 2011 की स्थिति में है। तथा सितंबर 2011 की स्थिति में 1756 शाखाएं हैं। राज्य में बैकों की विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रगति का विवरण इस प्रकार हैः–

राज्य में बैकिंग कार्यों की प्रगति

(राशि करोड़ रू.में)

क्र.	विवरण	मार्च 2010	मार्च 2011	गतवर्ष में वृद्धि		**सितंबर 2011**
				राशि	प्रतिशत	
1	2	4	5	6	7	8
1	शाखाओं की संख्या	1600	1705	-	-	**1756**
2	कुल जमा	49379.55	59032.73	9653.18	19.55	**62585.60**
3	कुल अग्रिम	27943.07	33022.25	5079.18	18.18	**33836.00**
4	साख–जमा अनुपात प्रति ात	56.59	55.94	-0.65	-1.15	**54.06**
5	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	15925.37	19443.98	3518.61	22.09	**16146.11**
6	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	56.99	58.88	1.89	3.32	**47.72**
7	कृषि में अग्रिम	8494.65	9540.32	1045.67	12.31	**6205.94**
8	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	30.4	28.89	-1.51	-4.97	**18.34**
9	लघु उद्योगों में अग्रिम	3612.43	7021.29	3408.86	94.36	**6864.18**
10	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	2842.13	3585.49	743.36	26.16	**3841.21**
11	कुल साख में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	10.17	10.86	0.69	6.78	**11.35**
12	महिलाओं को अग्रिम	1517.53	2079.95	562.42	37.06	**2162.85**

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमा–ऋण राशि
मार्च के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति (संदर्भ 9.1)

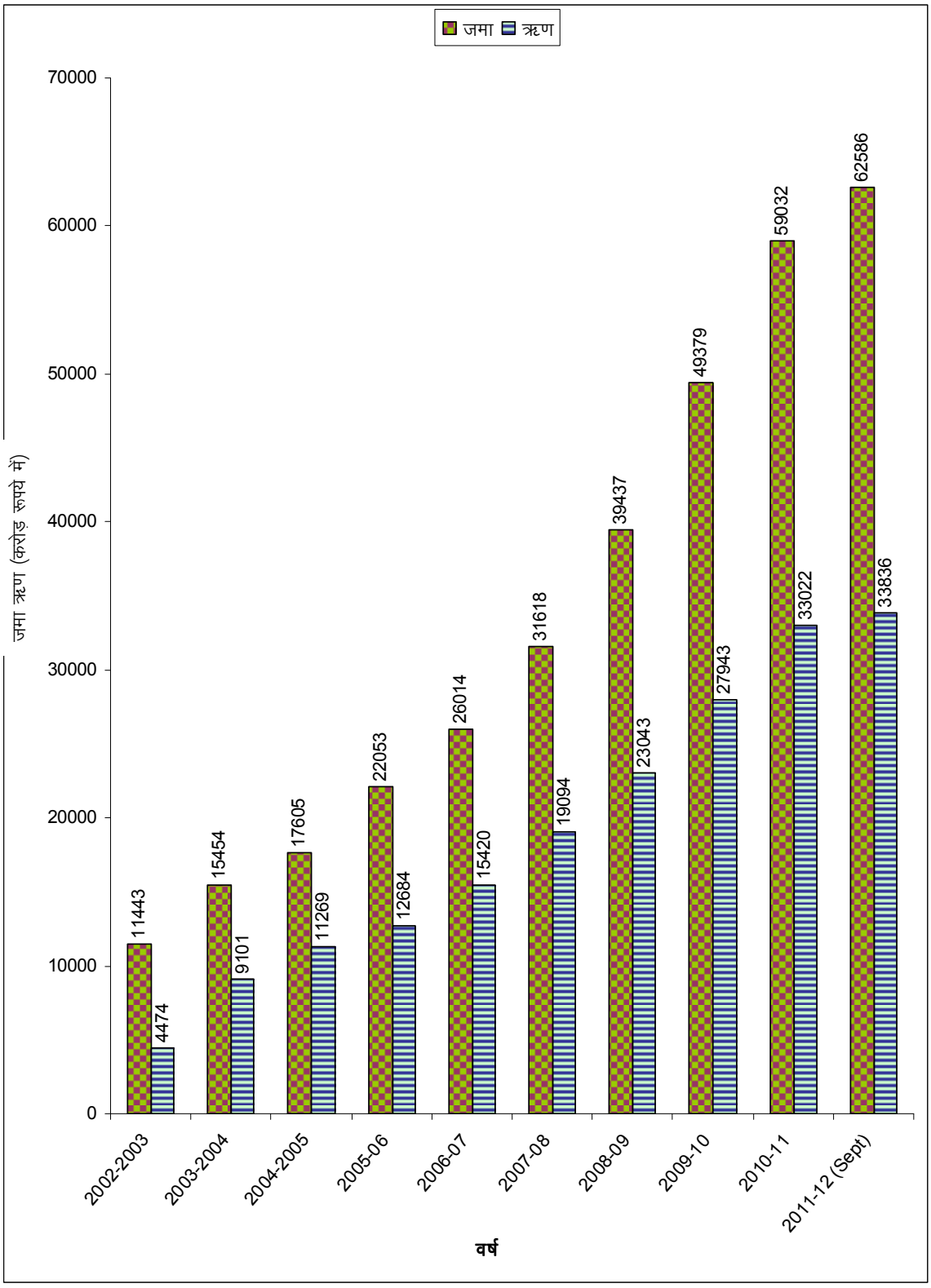

जमाः– राज्य में वित्तीय वर्ष 2010–11 में बैंकों द्वारा जमा की गई कुल राशि 59032.73 करोड़ रू. है, जो गत वित्तीय वर्ष 2009–10 की तुलना में 19.55 प्रतिशत अधिक है। विगत वर्ष की तुलना में इस राशि में 9653.18 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई है।

अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में बैंकों के ऋण की कुल राशि 33022.25 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2009–10 की तुलना में 18.18 प्रतिशत अधिक है। विगत वर्ष की तुलना में इस राशि में 5079.18 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई।

साख–जमा अनुपातः– यह किसी भी बैंक की कार्यक्षमता को मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य में बैकों का साख–जमा अनुपात 55.94 % रहा। विगत वर्ष इसी अवधि में यह अनुपात 56.59 % था।

प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 15925.37 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2010–11 में 22.09 % बढ़कर 19443.98 करोड़ रू. हो गई।

कृषि अग्रिम :– वित्तीय वर्ष 2009–10 में कृषि अग्रिम की कुल राशि 8494.65 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2010–11 में 12.31 % बढ़कर 9540.32 करोड़ रू. हो गई।

लघु उद्योगों में अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में लघु उद्योगों में अग्रिम की कुल राशि 3612.43 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2010–11 में 94.36 % बढ़कर 7021.29 करोड़ रू. हो गई।

अन्य कमजोर वर्ग हेतु अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम की कुल राशि 2842.13 करोड़ रू. थी जो 26.16 % बढ़कर 3585.49 करोड़ रू. हो गई है।

महिलाओं को अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में महिला वर्गो के लिए अग्रिम की राशि 1517. 53 करोड़ रू थी जो वर्ष 2010–11 में बढ़कर 2079.95 करोड़ रू. हो गई। जो विगत वर्ष से 37.06 प्रतिशत अधिक है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा 2010–11 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय सहायता के रूप में रू. 969.34 करोड़ की राशि संवितरित की गई। इसमें से 671.52 करोड़ की राशि ऋण के रूप में और रू. 20.82 करोड़ की राशि नाबार्ड की विभिन्न निधियों से अनुदान सहायता के रूप में दी गई है।

2. वर्ष 2010–11 में बैंकिग प्रणाली से राज्य के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रवाह रूपये 11820.44 करोड़ (31 मार्च 2011 को) था, इसमें से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह 6783.12 करोड़ रूपये था।

3. मार्च 2011 की स्थिति पर मौसमी कृषि परिचालनों (फसल ऋण) के लिए विभिन्न वित्तीय एजेंसियों द्वारा ऋण संवितरण 1720.72 करोड़ रू. के स्तर तक पहुंच चुका है। जबकि वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए ऋण संवितरण का लक्ष्य रू. 1850.88 करोड़ था। इस प्रकार 92.97 प्रतिशत उपलब्धि रही।

4. राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान क्रमशः 47000.00 लाख रू. 5255.00 लाख रू. की अल्प कालिक मौसमी कृषि परिचालन सीमा मंजूर की गई थी इसके समक्ष अपेक्स बैंक में रू. 46643.00 लाख (99.24 प्रतिशत) का उपयोग किया जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने 5255.00 लाख रू. (100 प्रतिशत उपयोग) तक सीमा का लाभ उठाया।

5. वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य में 83.31 करोड़ रू. का पुनर्वित्त वाणिज्य बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और सीएसएआरडीबी को वितरित किया गया। प्रमुख उद्देश्यों में फार्म यंत्रीकरण लघु सिंचाई, बागवान और बागवानी ग्रामीण उद्योगों सहित गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म वित्त आदि थे।

6. छत्तीसगढ़ में बैंको ने 7.74 लाख मी.टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता निर्माण के लिए 271 गोदामों की इकाईयों का वित्त पोषण किया इसमें 7383.43 लाख का बैंक ऋण शामिल है। ग्रामीण गोदाम योजना के तहत रू. 2311.64 लाख की राशि सब्सिडी के रूप में जारी की गई ।

7. नाबार्ड द्वारा भारत सरकार के विभिन्न प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत 49 ग्रामीण गोदामों एक कोल्ड स्टोरेज तथा 11 कृषि विपणन इकाईयों हेतु रू. 4.13 करोड़ की अनुदान सहायता संवितरित की गई। उक्त योजना के तहत अब तक 248 ग्रामीण गोदाम, 28 कोल्ड स्टोरेज, 100 कृषि विपणन अधोसंरचना इकाईयां, जैविक निविष्टियों की सात इकाईयां एवं डेयरी के लिए वेंचर केपिटल फन्ड के अन्तर्गत 03 इकाईयां विकसित की गई।

8. नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकार को आरआईडीएफ के अन्तर्गत रू. 69.03 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया। वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिनमें राज्य सरकार को रू. 120.53 करोड़ का ऋण दिया जायेगा। इसके फलस्वरूप राज्य में कुल परियेाजनाओं की

संख्या 1043 हो गई है जिसकी ऋण राशि 1659.38 करोड़ है एवं इसके समक्ष 31 मार्च, 2011 तक राज्य सरकार को प्रदत्त ऋण की कुल राशि 1264.57 करोड़ रू. है।

9. नाबार्ड द्वारा राज्य के कृषि, गैर कृषि तथा सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों में विभिन्न संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिये रू. 18.65 करोड़ का अनुदान दिया गया। वर्ष के दौरान नाबार्ड के इन प्रयासो में वाटर शेड विकास के अंतर्गत 45034 हेक्टेयर भूमि का विकास, 42 आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 30924 आदिवासी परिवारों को सहायता, दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, ग्रमीण हाटों का निर्माण इत्यादि शामिल हैं।

10. इसी प्रकार, 45034 हेक्टेयर की कार्यान्वित की जा रही मौजूदा 41 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अलावा 15000 हेक्टेयर को कवर करने वाली 15 नई परियोजनाएं वर्ष के दौरान चिन्हित की गई हैं। इन नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से वाटरशेड विकास परियोजनाओं की संख्या 56 हो जाएगी और इनमें 60000 हे. क्षेत्र शामिल होगा।

11. वर्ष के दौरान ग्राम विकास योजना में 71 नए गॉव शामिल किए गए और इनको मिलाकर कुल 97 गॉव अब इस योजना में शामिल हैं। उक्त गांवो में से इस योजना के 3 चरणों के लिए 71 गांवो को चयनित कर लिया गया हैं। वर्ष के दौरान 13 नए गांवो में योजना तैयार करने से संबंधित प्रारभिंक गतिविधियां शुरू की गई है।

12. कृषि विकास हेतु किए जा रहे नियमित प्रयासो के अलावा नाबार्ड से जुड़ी चार नोडल एजेंसियों ने ग्रामीण उत्थान योजनांतर्गत 04 जिलों (सरगुजा, धमतरी, जांजगीर–चांपा और बिलासपुर) के 20 गॉवों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए गए। इसके अंतर्गत किसानों को जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र किराए से प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

13. गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 38 ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम/कौशल विकास कार्यक्रम में ग्रामीण युवकों को अपनी रोजगार इकाई लगाने हेतु उद्यमिता एवं विकास के लिए रू. 23.35 लाख की अनुदान सहायता दी गई, साथ ही पॉचवे हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। ग्रामीण नवोन्मेष निधि से सहायता प्राप्त 17 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

14. राज्य के 18 में से 10 जिलों में सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम गति पकड़ चुका है, इस कार्यक्रम को और मजबूती देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्रामीणजनों, सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के नेताओं और सदस्यों के लिए जागरूकता, संसिटाइजेशन, क्षमता निर्माण तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2010–11 में छत्तीसगढ़ में बैंको के साथ 13128 स्वयं सहायता समूह ऋण से संबद्ध किये

गये, इन समूहों के संवर्धन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य में बैंको और गैर सरकारी संगठनों को अब तक 73 स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्था परियेाजना मंजूर की गई है।

15. वर्ष के दौरान 602 नए किसान क्लबों की स्थापना से राज्य में गठित किसान क्लबों की संख्या 2073 हो गई है, क्लब स्तर पर आयेाजित जागरूकता और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या 525 हो गई है। वर्ष के दौरान बैंको और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से राज्य में किसान क्लबों को रू. 21.54 लाख की वित्तीय सहायता दी गई।

16. डॉ बैद्यनाथन समिति की संस्तुतियों के अनुसार अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे हेतु पुनरूद्धार पैकेज के तहत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको और राज्य सहकारी बैंको की विशेष लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान पूरी कल ली गई। अब तक समितियों को भारत सरकार के हिस्से में से रू. 162.47 करोड़ और राज्य सरकार के हिस्से में से रू 33.82 करोड़ की पुनः पंजीकरण सहायता 1047 समितियों को प्रदान की गई हैं।

17. 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता समावेश के संस्थागत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय ने रायपुर में एक राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला और बस्तर तथा बिलासपुर में दो कार्यशालाएं आयोजित की। 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए नाबार्ड यूएनडीपी सहयोग के तहत इस पहल के कार्यान्वयन की कार्यनीति को सभी हितधारकों के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया गया। यूएनडीपी परियोजना उन गांवो में कार्यान्वित की जा रही है जो आदिवासी विकास, ग्राम विकास और वाटरशेड परियोजना में शामिल हैं। दुर्ग जिले के गुंडरदेही में नाबार्ड यूएनडीपी सहयोग से संसाधन केन्द्र की स्थापना राज्य वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की एक अनूठी पहल है।

18. कृषि क्षेत्र में किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित करने हेतु मेडागास्कर पद्धति (एस आर आई) से धान पैदा करने के लिए 15 कार्यक्रम प्रायोजित किए गए, जिसके अंतर्गत तीन वर्षों में 8400 परिवार लाभान्वित होंगे।

अध्याय–17

संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन

राजभाषा आयोग :– छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं विकास के लिए कार्यरत अमले के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2010-11 में इस हेतु राशि रू. 54.11 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 25.19 लाख व्यय किए गए। वर्ष 2011-12 में इस योजनांतर्गत राशि रू. 53.83 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से अब तक राशि रू. 16.33 लाख का व्यय हुआ है।

बहुआयामी संस्कृति संस्थान :– बहुआयामी संस्कृति संस्थान, राज्य के समस्त प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रदर्शन, विकास, प्रचार–प्रसार, संकलन, कार्यशाला आदि के प्रत्यक्ष आयोजन से संबंधित संस्थान होगा, इसे साकार करने के उद्देश्य से आडिटोरियम, मुक्ताकाश मंच, आर्ट गैलरी आदि तैयार करने की योजना बनाई गई है। यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश की केन्द्र प्रवर्तित योजना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ हुई है। इस परिसर में आडीटोरियम, मुक्ताकाश मंच, आर्ट गैलरी, कलाविथिकाएं, संग्रहालय, ग्रंथालय, पार्किग स्थल आदि तैयार किए जाने की योजना बनाई गई है।

फोटोग्राफी सेलः– विभाग के अधीन 58 पुरातत्वीय प्राचीन स्मारक है, जिनकी देख–रेख एवं रख–रखाव कार्य किया जाता है। पुरातत्वीय उत्खनन/सर्वेक्षण में प्राचीन पुरातत्वीय स्मारक साईट की खोज होती है। इसका डॉक्यूमेंटेशन तथा विडियोग्राफी की जाती है। साथ ही वांछित स्थलों की समय–समय पर फोटोग्राफी, विडियोग्राफी का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्थलों के सर्वेक्षण कार्य के समय वहां की फोटोग्राफी की जाती है। इसके लिए कैमेरा, रील, रील धुलाई, एलबम क्रय आदि किया जाता है। पुरातत्वीय प्रदर्शनी के आयोजन अवसर पर बड़े साईज के छायाचित्र इनलार्ज करवाए जाते हैं तथा प्रदर्शन हेतु रखे जाते हैं। वर्ष 2010-11 में इसके लिए रू. 8.00 लाख का प्रावधान था। जिसमें से राशि रू. 8.00 लाख व्यय हुआ। वर्ष 2011-12 में राशि रू. 8.00 लाख का बजट प्रावधान है।

मेला/उत्सव/प्रदर्शनीः– इस योजना का उद्देश्य मेला उत्सव एवं प्रदर्शनी के माध्यम से संस्कृति एवं पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित जानकारी लोकसाधारण तक पहुंचाना है। इसके अंतर्गत मेला उत्सव व प्रदर्शनियां राज्य के साथ–साथ राज्य के बाहर भी आयोजित की जाती हैं।

इसमें बुद्ध जयंती प्रदर्शनी, महावीर जयंती अवसर पर पुरातत्वीय प्रदर्शनी, स्वाधीनता दिवस पर प्रदर्शनी, शहीद वीरनारायण सिंह के छायाचित्रों की प्रदर्शनी, छत्तीसगढ़ में भगवान रामचन्द्रजी के वनगमन मार्ग पर आधारित प्रदर्शनी, विश्व धरोहर दिवस पर छत्तीसगढ़ के राज्य स्मारक/धरोहर पर आधारित प्रदर्शनी, गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थल एवं रायपुर में प्रदर्शनी, छत्तीसगढ़ के प्राचीन गहनों (आदिवासी) की प्रदर्शनी, हिन्दी दिवस के अवसर पर रायपुर में प्रदर्शनी, संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्राचीन स्मारकों के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी, राज्योत्सव में पुरातत्वीय एवं संस्कृति की झलक से संबंधित प्रदर्शनी, श्री राजीवलोचन महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी, स्वतंत्रता दिवस समारोह, राष्ट्रीय रंग समारोह, नाचा महोत्सव, पावस प्रसंग आजादी 50 आदि कार्यक्रम का आयेाजन किया गया है। इसी प्रकार संगीत प्रतिभा उत्सव, लोक मड़ई मेला राजनांदगांव, दशहरा मेला (बस्तर) जगदलपुर, ग्वालियर म.प्र. के व्यापार मेले में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, रायपुर में राष्ट्रीय शिल्प मेला, लोक नृत्य उत्सव, रायपुर गुरू घासीदास जी की जयंती पर गिरौदपुरी मेला, कुल्लू दशहरा मेला में छ.ग. लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, स्वदेशी मेला, जगार, शिल्प मेला में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पंथी नृत्य उत्सव, सरस मेला रायपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्तावानुसार पारम्परिक मेले उत्सव के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2010-11 में इसके लिए रू. 55.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 55.00 लाख व्यय किए गए थे। वर्ष 2011-12 में राशि रू. 60.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसके विरूद्ध अभी तक राशि रू. 4.15 लाख का व्यय हुआ है।

शोध संगोष्ठीः–इस मद के अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित विषय पर राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। विभाग द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ तथा कलेक्टर सरगुजा को पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित संगोष्ठी के आयोजन हेतु उत्प्रेरक की भूमिका निभायी गई। हिन्दी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी, विश्व धरोहर दिवस पर संगोष्ठी, संग्रहालय दिवस पर संगोष्ठी तथा पुरातत्वीय धरोहर विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वर्ष 2010-11 में इसके लिए रू. 20.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 16.40 लाख व्यय किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु 22.00 लाख का बजट प्रावधान है।

उत्खनन तथा सर्वेक्षणः– इस मद के अंतर्गत तहसीलवार एवं ग्रामवार सर्वेक्षण कर पुरातत्वीय धरोहर/स्मारक संरचना, पुरावशेष की जानकारी का एकत्रीकरण जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2004-05 में पुरातत्वीय नगरी 'सिरपुर' का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया

गया। वर्ष 2010-11 में इस योजना के लिए राशि रू. 86.61 लाख का बजट प्रावधान था, जिसमें राशि रू. 70.17 लाख का व्यय किया गया, एवं निर्धारित भौतिक लक्ष्य 3 उत्खनन कार्य व 5 सर्वेक्षण कार्य का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट प्रावधान राशि रू. 100.00 लाख है, जिसमें 38.80 लाख का व्यय हुआ है।

सार्वजनिक पुस्तकालयः– इस मद के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित महंत सर्वे वरदास ग्रंथालय को राज्य केन्द्रीय ग्रंथालय का दर्जा दिया गया है। शहीद स्मारक भवन में स्थानांतरित इस ग्रंथालय को ई–लाईब्रेरी के रूप में विकसित कर आधुनिक ग्रंथालय का रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में राशि रू. 7.99 लाख का प्रावधान था, जिसमे राशि रू. 6.00 लाख व्यय हुए। इसमें ग्रंथालय में पाठकों के पाठन–पाठन हेतु पुस्तकें, ग्रंथ, मासिक पत्रिकाएं क्रय कर उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राशि रू. 28.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रंथालय में पाठकों के पाठन–पाठन हेतु पुस्तकें, ग्रंथ, मासिक पत्रिकाएं क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही फर्नीचर, कम्प्यूटर एवं अलमारियॉ क्रय किया जाना है।

विभिन्न शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं को अनुदानः– इस मद के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गतिविधियों, सर्वेक्षण, प्रकाशन, प्रदर्शनी, संगोष्ठी के आयोजन हेतु जिला कलेक्टर तथा पुरातत्व संघ को राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभाग के अंतर्गत शासकीय तौर पर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ भिलाई में स्थापित है तथा दूसरी संस्था छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान का गठन कर उसे भी स्थापित किया गया है। इन दोनों संस्थाओं को पोषण अनुदान के साथ–साथ सांस्कृतिक गतिविधियां चलाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस मद में राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें कुल राशि रू. 29.65 लाख का व्यय किया गया था। उक्त मद में 150 पंजीकृत संस्थाओं को अनुदान दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 124 पंजीकृत संस्थाएं जो कि सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करते है, इस हेतु वित्तीय सहायोग/अनुदान प्रदाय किया गया था।

चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में राशि रू. 33.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से अभी तक रू. 11.25 लाख का अनुदान दिया गया है।

समारोह हेतु अनुदानः– विभाग के अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के कलाकारों को प्रोत्साहित करना कला का प्रचार–प्रसार करना, उनकों शासकीय मंच प्रदान करना, उन्हें प्रदेश, देश एवं देश के बाहर प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में राशि रू. 270.50 लाख बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें कुल राशि रू. 269.81 लाख का व्यय किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में राशि रू. 264.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें अभी तक राशि रू. 57.83 लाख का व्यय हुआ है।

विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थानः– इस योजनांतर्गत स्वामी विवेकानंद के आदर्शो पर आधारित संस्थान का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2010-11 में इस हेतु राशि रू. 5.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 4.49 लाख का व्यय हुआ था। वित्तीय वर्ष 2011-12 में इस योजनांतर्गत राशि रू. 15.00 लाख बजट प्रावधान है।

कलाकार कल्याण कोषः– इस योजना मद वरिष्ठ कलाकारों/साहित्यकारों के परिवार को गंभीर बीमारी के ईलाज हेतु परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। वर्ष 2010–11 के बजट में राशि रू. 5.00 लाख का प्रावधान था। जिसके विरूद्ध राशि रू. 5.00 लाख व्यय किया गया। उक्त आहरित राशि को कोषालय में विभागाध्यक्ष के पदनाम से पी.डी. अकाउंट है, वर्ष 2010–11 में 34 वरिष्ठ कलाकारों/साहित्यकारों को अनुदान दिया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस मद में राशि रू. 5.00 लाख का बजट प्रावधान है।

मुक्तांगन संग्रहालयः– विभाग के अधीन पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय एक महत्वाकांक्षी योजना है। पुरखौती मुक्तांगन की परिकल्पना में छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति के मुलतत्व, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक धरोहर की संपन्नता तथा जनजातीय के साथ प्रकृति के संबंध की अभिव्यक्ति है जिसमें लोक, नागर तथा जनजातीय सांस्कृतिक धारा रूपायित हो। यह एक निर्जिव संग्रहालय न होकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति का जीवंत परिसर होगा जहां सृजनशील मानव की कर्मठता आकार ले सकेगी ।

पुरखौती मुक्तांगन रायपुर से 18 कि.मी. दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के सन्निकट ग्राम उपरवारा स्थित लगभग 200 एकड़ की विशाल समतल भूमि पर विकसित किया जा रहा है।

इस परिसर में पैनल, चार्ट, मॉडल के द्वारा भौगोलिक परिस्थितियां सांस्कृतिक पुरातात्विक स्थल, वनौषधि, कृषि, सिंचाई व्यवस्था आदि प्रदर्शित की जाएंगी। फ्लड हिस्ट्री,

टेक्टोनिक हिस्ट्री वनस्पतियों का विकास, नदियों एवं पर्वतों का विकास भी प्रदर्शित किया जाएगा। कला के माध्यम से आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन किया जायेगा, इनके साथ खेलगुड़ी, उड़ीसारथ, बस्तर घोटुल, बस्तररथ, राजस्थान गृह, मणिपुर गृह आदि भी विकसित किये जाते है, उपरोक्त प्रकार का विकास करने हेतु परिसर के सिविल कार्यो को करने के लिए ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग को राशियों का समय–समय पर आबंटन किया जा रहा है।

परिसर में कॉस्य प्रतिमाएं, मूर्तिशिल्प काष्ठ शिल्प, लौह शिल्प, ढोकरा शिल्प, मृदा शिल्प, गोदना चित्रकारी, रजवार शिल्प, बांस शिल्प आदि कलाकृतियों को निर्मित कर स्थापित करने हेतु अलग अलग विधाओं की कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। इन कार्यशालाओं में आदिवासी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के शिल्पियों कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। इन्हे कच्ची सामग्री प्रदाय की जाती है। मुख्य शिल्पियों को प्रतिदिन रू. 200/–मात्र मानदेय तथा सहायक शिल्पकार को रू. 150/– मानदेय दिया जाता है। परिसर में ही इनके आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाती है। एक एक विधा की कार्यशाला 15 से 20 दिन की अवधि तक रहती है तथा शिल्पियों की संख्या 15 से लेकर 30 तक रहती है। इसमें कॉस्य प्रतिमाएं, लौह शिल्प कलाकृतियां, काष्ठ शिल्प, बेल मेटल शिल्प, भित्ति चित्र पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग द्वारा सिविल वर्क के तहत सम्पन्न करवाये जा रहे है।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2003-04 से आरंभ हुई है जिसमें इस हेतु बजट प्रावधान राशि 0.40 करोड़ मात्र था।

वर्ष 2010-11 में राशि रू. 250.00 लाख बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें 11 लघु निर्माण कार्य व 5 कार्यशाला का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रू. 248.20 लाख व्यय हुआ जिसमें 15 भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राशि रू. 300.00 लाख का बजट प्रावधान है। अभी तक उक्त बजट से राशि रू. 19.16 लाख का व्यय हुआ है।

गजेटियर और सांख्यिकी विवरणः– इस मद के अंतर्गत कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनभत्ते एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य किए जाते है।

वर्ष 2010–11 में इस मद में वेतन भत्तों आदि के लिए राशि रू. 21.18 लाख का बजट प्रावधान था। जिसके विरूद्ध राशि रू. 17.25 लाख का व्यय हुआ। चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राशि रू. 24.46 लाख का बजट प्रावधान है, जिसके विरूद्ध अभी तक राशि रू. 22.69 लाख का व्यय हुआ है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

छत्तीसगढ़ राज्य में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व के बहुआयामी पर्यटन स्थल हैं। छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों की मूलभूत आवश्यक्ता को पूर्ण करने की दृष्टि से प्रमुख पर्यटन केन्द्रों को विकसित करने की विभिन्न योजनाओं पर तेजी से अमल किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2006 :– इस योजना के अंतर्गत अर्हता पूर्ण करने वाली नवीन इकाईयों एवं विद्यमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण हेतु निर्दिष्ट प्रोत्साहन देय होगा। प्रोत्साहन पात्रता इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है :– होटल, टूरिस्ट रिसोर्ट, हेरीटेज होटल, मार्ग सुविधाएं, हेल्थ फॉर्म, कला एवं शिल्पग्राम, मनोरंजन पार्क, कैपिंग एवं टेंट सुविधाएं, साहसिक/मनोरंजक गतिविधियों के केन्द्र, रोप–वे, गोल्फ कोर्स, मल्टीप्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर आदि।

प्रोत्साहन :– इसके अंतर्गत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :– भूमि–प्रीमियम में छूट, भूमि आबंटन, भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि बैंक योजना, भू–आबंटन सेवा शुल्क, वाणिज्यिक कर (VAT), अन्य रियायतें ।

राज्य सरकार द्वारा आबंटित विगत दो वर्षों के बजट की स्थिति निम्नानुसार हैः– 2010–11 हेतु राशि रू. 4535.00 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया था तथा वर्ष 2011–12 हेतु राशि रू. 4785.00 का बजट प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा विगत वर्षों में प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियॉ :–

1. विगत वर्षों में राज्य में पर्यटन स्थलों पर शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 28 सुलभ शौचालय का निर्माण रू. 4.71 करोड़ की लागत से पूर्ण कर लिया गया है।

2. पर्यटकों को समुचित आवास तथा भोजन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष माना तूता (रायपुर) में राशि रू. 4.38 करोड़ की लागत से कॉटेज, रेस्टॉरेंट, पार्क आदि का निर्माण कार्य संपादित किया गया।

3. राज्य में हिल स्टेशन के रूप में मैनपाट, चैतुरगढ़, राजमेरगढ़, सरोदा दादर (चिल्फी) एवं कबीर चबूतरा को विकसित किया जा रहा है।

4. पर्यटन मंडल के द्वारा विगत वर्ष राजिम कुम्भ महोत्सव हेतु राशि रू. 50.00 लाख, बस्तर लोकोत्सव हेतु राशि रू. 30.00 लाख, भोरमदेव महोत्सव हेतु राशि रू. 10.00 लाख की राशि प्रदान की गई।

5. डिस्कवरी चैनल के माध्यम से छ.ग. पर्यटन पर आधारित फिल्म का निर्माण कर प्रसारित किया गया है। जिसमें लगभग राशि रू. 97.64 लाख व्यय हुआ।

6. रतनपुर में महामाया प्रवेष द्वार निर्माण हेतु जिला प्रशासन को राशि रू. 20.12 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए 50 प्रतिशत राशि रू. 10.06 लाख जिला प्रशासन को जारी किया गया है।

7. पर्यटकों को 24 घंटे पर्यटन संबंधी जानकारी प्रदाय करने के लिए कचहरी चौक के समीप नागदेव प्लाजा में पर्यटन सूचना केन्द्र/कॉल सेंटर माह जनवरी 2012 से प्रारंभ किया गया है।

8. देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों जैसे :– चेन्नई, मुम्बई, लखनउ, भुवनेश्वर, अमृतसर, रांची में पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

9. पण्डरापाट, साराडीह जिला जशपुर एवं रतनपुर जिला बिलासपुर में मोटेल निर्माण प्रस्तावित है।

अध्याय –18

नगरीय निकाय

विभागीय परिचय :– छत्तीसगढ़ शासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश की नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों का प्रशासकीय विभाग है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी इस विभाग के अधीन गठित राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती हैं। विभाग के अधीन स्थापित संचालनालय तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर में स्थापित है।

अधीनस्थ कार्यालय

1. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
2. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर
3. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय सरगुजा
4. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर

शहरी गरीबी उपशमन की योजनाओं के संचालन व अनुश्रवण हेतु माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यों के संचालन हेतु परियोजना अधिकारी पदस्थ किए गए हैं।

नगरीय निकाय :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या निम्नानुसार है :–

निकाय	वर्ष 2000	वर्ष 2003	वर्ष 2012
नगर पालिक निगम	06	10	10
नगर पालिका परिषद्	20	28	32
नगर पंचायत	49	72	126
कुल योग	75	110	168

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण :–

1. राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग. रायपुर
2. राज्य की 10 नगर निगम
3. राज्य की 32 नगर पालिकाएं
4. राज्य की 126 नगर पंचायतें

विभाग के दायित्व :– नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित विषय, तंग बस्ती सुधार योजनाओं का पर्यवेक्षण, नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका पर्यवेक्षण, छ.ग. नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम का क्रियान्वयन एवं पट्टों के दस्तावेजों का पर्यवेक्षण, शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का पर्यवेक्षण, चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि प्रशासन, वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर विभाग के अधीन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन आदि।

सरोवर धरोहर योजना :– शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 11.90 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011.12 में 50 तालाबों का कार्य लिया जाकर रू. 688.90 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत शत्–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 496 परियोजनाओं में रू. 6096.00 लाख व्यय कर 267 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

ज्ञानस्थली योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए 5.25 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के 7.35 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के 8.65 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 9.70 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 08 कार्यों हेतु रू. 59.28 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 986 शाला भवनों में से रू. 3268.00 लाख व्यय कर 846 शाला भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उन्मुक्त खेल मैदान योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 10.25 लाख का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 07 कार्यों हेतु 123.04 लाख की स्वीकृत दी गई है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 164 परियोजनाओं में राशि रू. 1474.00 लाख व्यय कर 112 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

पुष्प वाटिका उद्यान योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कॉलोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्पवाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू.16.00 लाख का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अभी तक 23 कार्यों हेतु 333.01 लाख की स्वीकृत दी गई है। योजनान्तर्गत शत्–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 285 परियोजनाओं में रू. 2619.00 लाख व्यय कर 172 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

मुक्तिधाम निर्माण योजनाः– शहरी क्षेत्र के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी.रोड, स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल शौचालय, विद्युतीकरण, एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रू. 12.00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 10.00 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रू. 8.00 लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है। समस्त नगरीय निकायों में योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 24 कार्य हेतु रू. 225.23 लाख व्यय का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में 118 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना :–राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत रू. 46,000/– की लागत से छोटी दुकान, रू. 57000/– की लागत से बड़ी दुकान तथा रू. 6500/– की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है। योजनांतर्गत 2011–12 में 78 दुकानों हेतु 17.94 लाख स्वीकृत किया गया है। अभी तक रू. 2285.00 लाख की लागत से 7732 दुकानों तथा 5429 चबूतरों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

महिला समृद्धि बाजार योजना :– राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेराजगार महिलाओं को सस्ता, सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से **महिला समृद्धि बाजार योजना** प्रथम चरण में प्रदेश के 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकानों को नगरीय निकाय निर्धारित अमानत राशि एवं मासिक किराये में पात्र हितग्राहियों को व्यवसाय हेतु आबंटित किया जाता है। योजनांतर्गत अभी तक 778 दुकानों का निर्माण हेतु रू. 194.50 लाख की स्वीकृति दी गई थी जिसमें 515 दुकानें पूर्ण हो चुकी हैं। 263 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना :–प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 8 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत कुल 08 निकायों में रू. 21.31 करोड़ की योजना के विरूद्ध 14.97 करोड़ की राशि जारी की गई है। दो परियोजना पूर्ण किया जाकर शेष निर्माणाधीन है।

गोकुल नगर योजना :– नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अभी तक राशि रू. 1597.00 लाख की लागत से 08 नगरीय निकायों को आबंटित किए गए हैं। 05 परियोजना पूर्ण तथा शेष पूर्णता पर है।

कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना :– शहरों में निवासरत् आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं/महिलाओं को अपारंपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरूप उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शक्ति को उत्पादक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष 2007–08 में लागू की गई है। प्रथम चरण में 5000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 में 10000 हितग्राहियों को शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें SDI Scheme अंतर्गत विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :–वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकापार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक–एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रू. 100.00 लाख, नगर पालिका परिषद् को रूपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रूपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2011–12 में 17 कार्य हेतु 756.10 लाख स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत अब तक 134 हाट बाजार के लिए रू. 5560.75 लाख स्वीकृति उपरांत रू. 4278.89 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 21 परियोजना पूर्ण किया जाकर 70 हाट बाजार निर्माणाधीन है।

सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :– वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में रू. 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. 75.00 लाख की लागत से, निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रू. 50.00 लाख और शेष नगर पालिकाओं में रू. 35.00 लाख की

लागत से निर्माण किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के नगर पंचायतों दंतेवाड़ा, बैकुण्ठपुर, नारायणपुर में रू. 35.00 लाख के लागत से एवं शेष नगर पंचायतों में 25.00 लाख रू. की लागत से निर्माण किये जा सकेंगें। वर्ष 2011–12 में 13 कार्य हेतु रू. 333.95 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

योजनांतर्गत अब तक 129 सांस्कृतिक भवन के लिए रू. 3655.00 लाख स्वीकृति उपरांत रू. 2796.00 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 17 परियोजना पूर्ण किया जाकर 112 सांस्कृतिक भवन का कार्य निर्माणाधीन है।

अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना (नवीन योजना) :– नगरीय क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उद्यमिता की ओर प्रेरित करने, उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने तथा स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजनांतर्गत सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) को उचित मूल्य की दुकानों या अन्य आर्थिक उद्यमों का संचालन हेतु 3000 वर्गफीट भूमि पर निर्माण हेतु 15 लाख का शत्–प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में 15 निकायों में 39 केन्द्र स्वीकृत कर रू. 352.47 लाख राशि प्रदाय की गई है।

भागीरथी नल–जल योजना (नवीन योजना) :– राज्य के लगभग 2.5 लाख गरीब परिवार, विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। ये गरीब परिवार, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। वर्तमान में इन परिवारों को सार्वजनिक नल तथा टैंकरों से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। इन गरीब परिवार को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किए जाने हेतु भागीरथी नल–जल योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत हितग्राही परिवार से निर्धारित मासिक जल कर लिया जावेगा। इस योजनांतर्गत प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3000/– की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। वर्तमान में 62 नगरीय निकायों को 93215 निःशुल्क जल संयोजन हेत रू. 1406.53 लाख आबंटित किए गए हैं।

व्यवसायिक परिसरों का निर्माण :– शहरी क्षेत्रों में निकाय के आय के स्रोतों में वृद्धि हेतु व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होने के साथ–साथ एक ही स्थल पर सभी प्रकार की सामाग्री मिल सके। व्यवसायिक परिसरों में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वहां पर पार्किंग, पेयजल तथा शौचालय व्यवस्था हो । इस हेतु वर्ष 2008–09 में अभी तक राशि रूपये 19.03 करोड़ स्वीकृत किया गया है।

विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएंः–

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :– स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत छ.ग. राज्य गठन के बाद से अभी तक केन्द्र से रू. 7045.42 लाख तथा राज्य से रू. 1761.35 लाख राशि दी गई है, जिसमें से कुल रू. 8806.77 लाख व्यय किए गए हैं। वर्ष 2011–12 में

10000 हितग्राहियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। 2011–12 में केन्द्र से रू. 1342.70 लाख प्राप्त हुए हैं। केन्द्रांश के विरूद्ध राज्य शासन से रू. 400.65 लाख आहरण प्राप्त हो चुकी है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन :– (J.N.U.R.M.) राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन **(N.U.R.M.)** अंतर्गत देश के 65 नगरों में नगरीय विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रम लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। योजनांतर्गत वर्ष 2005–12 तक के लिए विभिन्न घटकों में योजना आयोग भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध आबंटन/स्वीकृति की स्थिति निम्नलिखित है :–

क्र.	निकाय	स्वीकृति योजना	स्वीकृत परियोजना	प्राप्त राशि			दी गई राशि		
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	रायपुर	जलआवर्धन	303.64	182.18	30.36	212.54	182.18	30.36	212.54
2	रायपुर	बीएसयूपी	391.45	156.10	19.50	175.60	140.26	9.65	149.91
3	रायपुर	बीएसयूपी	38.41	7.44	0.93	8.37	0	0	0
4	नया	बीएसयूपी	28.78	5.75	0.72	6.47	5.75	0.72	6.47
5	रायपुर	सिटीबस	14.85	5.94	0.74	6.68	5.94	0.74	6.68
		योग	777.13	157.41	52.25	409.66	334.13	41.47	375.60

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए राशि रू. 165.00 करोड़ का प्रावधान इन कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए रखा गया है।

अध्याय–19

राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियां

राज्य योजना आयोग का प्रमुख कार्य–पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं का निर्माण करना, संसाधनों का मूल्यांकन करना, योजनाओं की प्राथमिकताएं सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय योजनाएं निर्माण में सहयोग करना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में असंतुलन के कारणों को अभिज्ञापित करना तथा उसे दूर करने हेतु सुझाव देना, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा/पुनर्विलोकन करना तथा नीतिगत निर्णयों को लेने के लिए तथ्यों के आधार पर आव यक सिफारिष करना है।

आयोग द्वारा कियान्वित कार्यक्रम

1. सहस्त्राब्द्धि विकास लक्ष्यों के सापेक्ष में उपलब्धियों की समीक्षा

केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा लक्षित विकास संकेतकों के संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ एवं अंतिम अवस्था की राज्य स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.	विकास संकेतक	इकाई	11वी पंचवर्षीय योजना से पूर्व की स्थिति	11वी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	11वी पंचवर्षीय योजना तक की उपलब्धियां	कॉलम 6 का संदर्भ वर्श
1	2	3	4	5	6	7
1.	गरीबी में कमी (स्तर)	प्रतिशत	40.8	26.2	40.8	2004-05 योजना आयोग, भारत सरकार
2.	शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म	61	30	51	(SRS-2010)
3.	मातृत्व मृत्यु दर	प्रति लाख जीवित जन्म	335	126	275	(AHS-2010)
4.	सकल प्रजनन दर (महिला 15–49 वर्श)	प्रति महिला	3.3	2.4	3.0	(SRS-2010)
5.	कुपोषण (0 से 3 वर्श के बच्चें में)	प्रतिशत	52.1	26.1	52.60	(NFHS III-2005-06)
6.	रक्ताल्पता (महिला 15–49 वर्श)	प्रतिशत	57.5	28.8	57.5	(NFHS III-2005-06)
7.	लिंगानुपात	प्रति हजार पुरूशों पर महिलाएं	989	999	991	जन–2011
8.	शाला त्याज्य दर	प्रतिशत – कुल प्राथमिक अपर प्राथमिक	 46.81	 10	 5.55 6.19	(2009-10)
9.	साक्षरता दर	प्रतिशत	64.66	86.16	71.04	जून–2011
10.	महिला पुरूष साक्षरता अंतर	प्रतिशत	25.33	15.6	20.86	जून–2011
11.	राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि		Nov. 2007			2010–11
	1. कृषि	प्रतिशत	9.10	1.70	2.63	
	2. उद्योग	प्रतिशत	14.70	12.00	10.99	
	3. सेवाएं	प्रतिशत	6.80	8.00	11.77	
	योग	प्रतिशत	9.30	8.60	9.71	

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि राज्य द्वारा सामाजिक क्षेत्र में व्यय को अपेक्षा अनुसार बढ़ाकर सामाजिक संकेतकों यथा साक्षरता, शाला त्याज्य बच्चों को पुनः शाला में प्रवेश देने तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तीनों क्षेत्रों (कृषि, उद्योग एवं सेवाएं) में लक्ष्य की तुलना में अधिक उपलब्धियॉ अर्जित की गई है।

2. 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) :–

सहस्त्राब्द्धि विकास संकेतकों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य की पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए रूपये 53730.00 करोड़ के परिव्यय का निम्नवत क्षेत्रक अनुसार अनुमोदन किया गया है।

(करोड़ रूपये में)

क.	**प्रमुख क्षेत्रक**	**अनुमोदित योजना राशि**	**क्षेत्रकवार राशि का प्रतिशत**
1	**2**	**3**	**4**
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	1955.46	3.64
2.	ग्रामीण विकास	4260.06	7.93
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	284.30	0.53
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7227.73	13.45
5.	ऊर्जा	1805.37	3.36
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	815.06	1.52
7.	यातायात	7272.48	13.54
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	3369.53	6.27
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	834.68	1.55
10.	सामाजिक सेवायें	25568.96	47.59
11.	सामान्य सेवायें	336.36	0.63
	कुल योग	**53730.00**	**100.00**

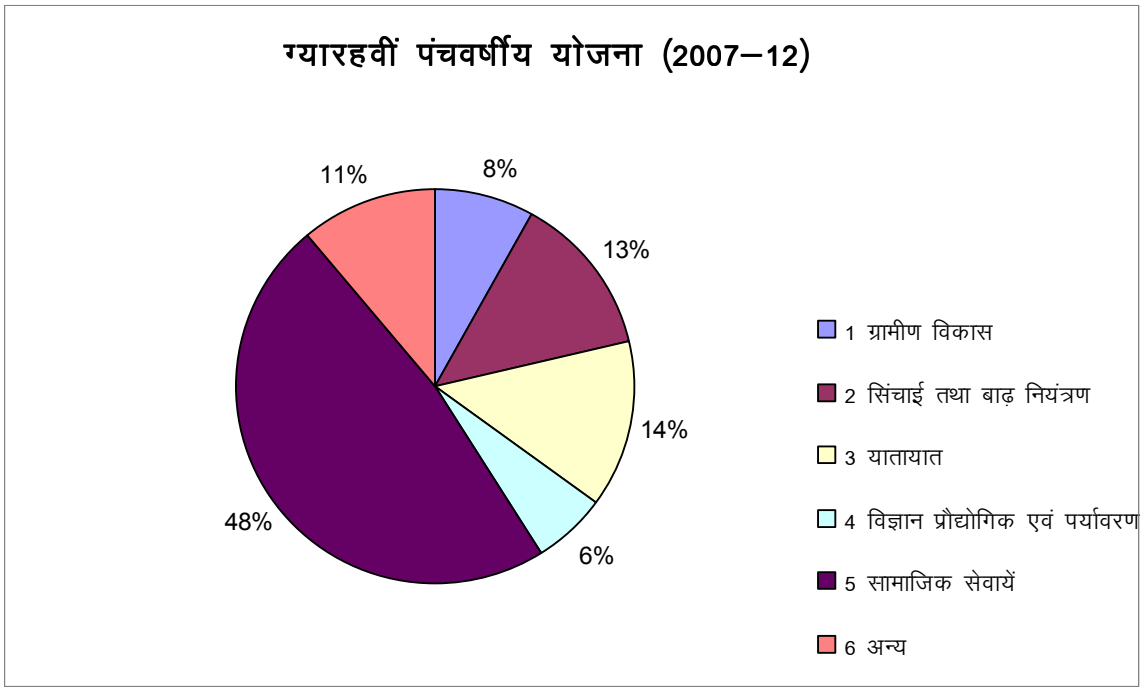

अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास संकेतकों में सुधार एवं सहस्त्राब्द्धि विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक सेवाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना की 47.59 प्रतिशत राशि सामाजिक सेवा पर व्यय किए जाने के प्रावधान में प्रमुखतः 10.14 प्रतिशत राशि शिक्षा पर, 4.32 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य सेवाओं पर तथा 14.61 प्रतिशत राशि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य में कृषि के विस्तार के लिए 13.45 प्रतिशत राशि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर तथा सड़क सुविधाओं के विकास हेतु 13.54 प्रतिशत राशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

3. राज्य की वार्षिक योजनाओं के वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉः–

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2010–11 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परिव्यय रूपये 13230.00 करोड़ के विरूद्ध रू. 10081.00 करोड़ का व्यय किया गया। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर रूपये 1385.02 करोड़ के अनुमोदित के विरूद्ध रूपये 1196.60 करोड़, ग्रामीण विकास पर रूपये 377.78 करोड़ के विरूद्ध रूपये 375. 51 करोड़ एवं सामाजिक सेवाओं पर अनुमोदित परिव्यय रूपये 6833.81 करोड़ के विरूद्ध रूपये 5240.31 करोड़ का व्यय किया गया।

वार्षिक योजना 2011–12 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 16710.25 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए

रूपये 1621.67 करोड़, ग्रामीण विकास हेतु रूपये 496.14 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु रूपये 2041.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 50. 27% राशि रूपये 8399.69 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया है।

वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रक अनुसार अनुमोदित एवं व्यय राशि का उल्लेख निम्नांकित सारिणी में किया गया है ।

वार्षिक योजनाओं की क्षेत्रक अनुसार अनुमोदित एवं व्यय राशि का विवरण

(लाख रूपये में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना वर्ष 2009–10			वार्षिक योजना वर्ष 2010–11			वार्षिक योजना वर्ष 2011–12
		अनुमोदित राशि	व्यय	प्रतिशत	अनुमोदित राशि	व्यय	प्रतिशत	अनुमोदित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	78933.31	82336.25	104.31	138502.58	119660.53	86.40	162167.93
2	ग्रामीण विकास	57624.65	29593.95	51.36	37778.26	37551.40	99.40	49614.15
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	37731.40	30616.70	81.14	38726.53	38455.07	99.30	72848.50
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	96870.23	103152.62	106.49	168759.70	111018.00	65.78	204160.58
5	उर्जा	21180.25	18142.10	85.66	26129.00	28255.98	108.14	28690.40
6	उद्योग तथा खनिकर्म	22055.47	22752.04	103.16	18966.79	22735.26	119.87	25660.23
7	यातायात	111489.53	88281.09	79.18	103767.75	83875.32	80.83	144331.71
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	28501.30	27872.77	97.79	32800.80	29763.97	90.74	37522.86
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	25043.21	59187.55	236.34	61044.41	9989.75	16.36	61299.31
10	समाजिक सेवायें	605941.95	559961.94	92.41	683381.75	524030.82	76.68	839969.11
11	सामान्य सेवायें	9331.46	6246.48	66.94	13142.43	2763.90	21.03	44760.23
	योग	**1094702.76**	**1028143.49**	**93.92**	**1323000.00**	**1008100.00**	**76.20**	**1671025.01**

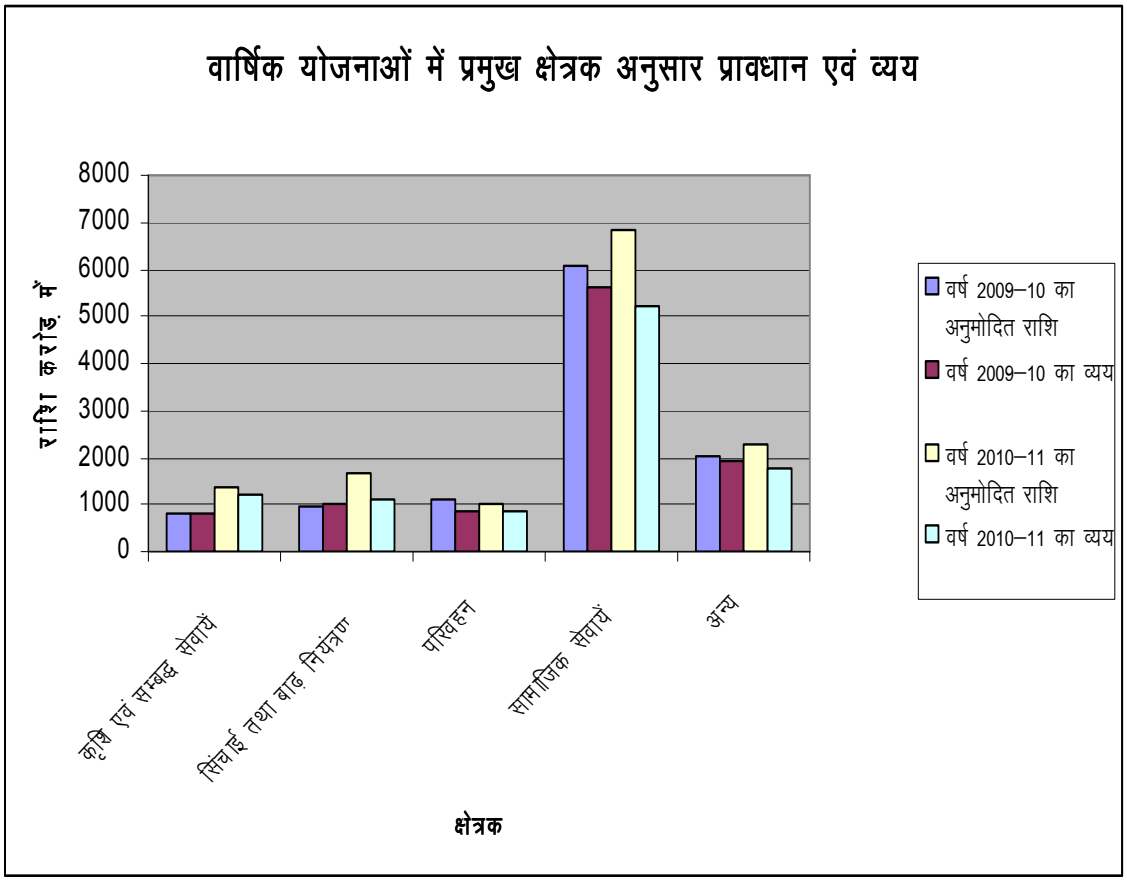

4. जिला वार्षिक योजना

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है। वर्ष 2012–13 के संदर्भ में सभी जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत योजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें संबंधित विभाग की वार्षिक कार्य योजना में समायोजन करने का प्रयास किया जा रहा है ।

5. संयुक्त राष्ट्र–भारत सरकार तथा राज्य शासन अभिसरण कार्यक्रम :-

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं (यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएनएफपीए) के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुरूप राज्य के पांच जिलों (महासमुंद, कांकेर, कोरबा, सरगुजा एवं जशपुर) में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण में सहयोग देने के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत यूएनडीपी तथा यूनिसेफ द्वारा सभी पांच जिलों में दो तकनीकी सहायक तथा दो राज्य स्तर पर उपलब्ध कराये गये है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

1. एकीकृत एवं सभी को जोड़ने वाली जिला योजना को अपनाना ।
2. सरकारी एवं अन्य संसाधनों का जिलों द्वारा अधिकतम उपयोग ।

3. सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं का स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ीकरण।
4. मैनेजमेंट एवं योजना बनाने में मॉनिटरिंग का उपयोग ।

कार्यक्रम की उपलब्धियां :–

1. प्रशिक्षण संस्थाओं का एक दिवसीय (15 दिसम्बर 2009) परिचर्चा कार्यक्रम तथा तीन दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (14–16 जुलाई 2010) आयोजित किया गया।
2. प्रशिक्षकों का पॉच दिवसीय जिला स्तर पर प्रशिक्षण तथा जनपद स्तरीय 1200 ग्राम पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।
3. कार्य क्षेत्रों के जिलों में विभागों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम – 350 प्रतिभागी ।
4. आकड़ों के एकत्रीकरण एवं इनका उपयोग योजना बनाने व मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकी अधिकारियों का प्रशिक्षण – 65 प्रतिभागी
5. जिला योजना समिति के सदस्यों का केरल भ्रमण कार्यक्रम ।
6. नगरीय निकायों के 65 प्रतिनिधियों का कर्नाटक भ्रमण कार्यक्रम।
7. जेंडर सब प्लान रायपुर एवं कोरबा जिला में आयोजित।
8. ग्राम/नगर (वार्ड) सूचक पत्रक का आकड़े संकलन हेतु महासमुंद एवं राजनांदगांव जिलों का चयन ।
9. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का चयन कर मानव संसाधन उपलब्ध कराकर जिला योजना पर तीन माह का प्रशिक्षण अक्टूबर 2011 से प्रारंभ किया गया है ।
10. प्लान प्लस पर प्रशिक्षण –राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से महासमुंद जिले में अधिकारियों का प्रशिक्षण ।
11. 12वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार विमर्श हेतु 05 अक्टूबर 2011 को एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया ।
12. विकेन्द्रीकृत जिला योजना पर सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिलाध्यक्षों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का एक दिवसीय संवेदीकरण सह परिचर्चा कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2011 को आयोजित किया गया ।

विकेन्द्रीकृत जिला योजना पर राज्य योजना आयोग, ग्रामीण विकास संस्थान, प्रशासनिक अकादमी एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों का अध्ययन भ्रमण 10–14 जनवरी 2012 की अवधि में संपन्न हुआ ।

भाग–दो

सांख्यिकी तालिकाएँ

:: विषय सूची ::

भाग–दो (सांख्यिकी तालिकाएँ)

1.	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में	1-3
2.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	4
3.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	5
4.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	6
5.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	7
6.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर	8
7.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	9
8.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर	10
9.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	11
10.	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	12
11.	प्रमुख फसलों का उत्पादन	13
12.	प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन	14
13.	सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र	15
14.	प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य	16
15.	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य	17
16.	महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	18
17.	महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य	19
18.	महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य	20
19.	सड़को की लम्बाई	21
20.	कुल पंजीकृत वाहन	22
21.	छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	23
22.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	24
23.	प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ	25
24.	जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	26
25.	प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति	27

तालिका– 1.1

छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
भौगोलिक क्षेत्रफल	**वर्ग कि. मी.**		137898
प्रशासनिक संरचना			
जिला	संख्या	2010–11	27
तहसीलें	–,,–	–,,–	149
विकास खण्ड	–,,–	–,,–	146
आदिवासी विकास खण्ड	–,,–	–,,–	85
कुल ग्राम	–,,–	2010–11	20306
कुल जनसंख्या	हजार	जनगणना 2011 *	25540
पुरूष	–,,–	–,,–	12828
स्त्री	–,,–	–,,–	12712
ग्रामीण	–,,–	जनगणना 2001**	16648
नगरीय	–,,–	–,,–	4186
अनुसूचित जाति	–,,–	–,,–	2419
अनुसूचित जनजाति	–,,–	–,,–	6617
जनसंख्या वृद्धि दर (1991–2001)	प्रतिशत	जनगणना 2011*	22.59
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	–,,–	189
स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां	–,,–	991
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद–त्वरित अनुमान)			
प्रचलित भावों पर	रूपये	2010–2011	41167
स्थिर (2004–2005) भावों पर	–,,–	–,,–	27156
कृषि वर्ष 2009–2010			
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	–,,–	4697
कुल बोया गया क्षेत्र	–,,–	–,,–	5672
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1355
कुल सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1605
कृषि जोत (कृषि संगणना)			
कृषि जोतों की संख्या	लाख	2005–2006	34.61
कृषि जोतों का क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	–,,–	52.10
कृषि जोतों का औसत आकार	हेक्टेयर	–,,–	1.51

* जनगणना 2011 के अनन्तिम आंकड़े

* * ग्रामीण, नगरीय, अनु.जाति, अनु.जनजाति के आंकड़े जनगणना 2011 में उपलब्ध नहीं है।

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
कृषि उत्पादन (वास्तविक)			
अनाज	हजार मेट्रिक टन	2010–2011	6995
खाद्यान्न	–,,–	–,,–	7544
तिलहन	–,,–	–,,–	201
धान	–,,–	–,,–	9957
गेंहूं	–,,–	–,,–	122
मक्का	–,,–	–,,–	190
चना	–,,–	–,,–	240
तुअर	–,,–	–,,–	24
स्त्रोतः–आयुक्त भू–अभिलेख			
पशु संगणना 2007			
गौवंश पशु	हजार में	2007	9486
भैंस वंशीय पशु	–,,–	–,,–	1603
भेंड़/भेंड़ी	–,,–	–,,–	140
बकरा/बकरी	–,,–	–,,–	2766
सूअर	–,,–	–,,–	412
अन्य पशु	–,,–	–,,–	3319
कुक्कूट	–,,–	–,,–	14245
विद्युत			
अधिष्ठापित उत्पाद क्षमता	मेगावॉट	2010–2011	1924.70
उत्पादन	मि.यू.	–,,–	14057.69
उपभोक्ताओं की संख्या	हजार	–,,–	3305
घरेलू विद्युत उपभोक्ता	–,,–	–,,–	2793
विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	–,,–	19177
एक बत्ती कनेक्शन	हजार	–,,–	1154.43
मत्स्योत्पादन			
मछली उत्पादन	हजार मीट्रिक टन	2010–2011	228.21
वन			
वनों का कुल क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी. में	2010–2011	59772
आरक्षित वन	–,,–	–,,–	25782
संरक्षित वन	–,,–	–,,–	24036
अवर्गीकृत	–,,–	–,,–	9954
परिवहन			
कुल सड़कों की लंबाई	कि.मी.	दिस., 2010	33448.75
पंजीकृत वाहन	हजार	मार्च, 2011	2766.00

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
साक्षरता			
कुल	प्रतिशत	जनगणना 2011 *	71.04
पुरूष	—,,—	—,,—	81.45
स्त्री	—,,—	—,,—	60.59
शैक्षणिक संस्थायें			
पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2010—11	38160
माध्यमिक विद्यालय	—,,—	—,,—	16224
हाई स्कूल उ. मा. विद्यालय	—,,—	—,,—	2260
माध्यमिक (10+2) विद्यालय	—,,—	—,,—	2788
सामान्य शैक्षणिक महाविद्यालय	—,,—	—,,—	172
तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थाएं	—,,—	2010—11	142
विश्व विद्यालय(केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित)	—,,—	2010—11	07
स्वास्थ्य सेवाएं			
जिला चिकित्सालय	संख्या	दिस. 2011	18
सिविल अस्पताल	—,,—	—,,—	17
सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	149
प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	755
उप स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	5111
जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय	संख्या	—,,—	07
आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक औषधालय	—,,—	—,,—	693
आयुष विंग,स्पेस्लाइस्ड थेरेपी सेन्टर, स्पेशिलिटि क्लीनिक, आयुष केन्द्र	—,,—	—,,—	460
नियोजन			
पंजीकृत बेरोजगार	हजार	दिस. 2011	134
जीवित पंजी पर दर्ज व्यक्ति	—,,—	—,,—	1391
नौकरी दिलाये गये व्यक्ति	संख्या	—,,—	2032
प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
कार्यालय/शाखाएँ	संख्या	मार्च, 2011	1382
जमा राशि	करोड़	—,,—	57284
ऋण राशि	—,,—	—,,—	29983

* जनगणना 2011 के अनन्तिम आंकड़े

तालिका– 2.1

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (P)	2010-11 (Q)	2011-12 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	705744	890805	967892	1295565	1314267	1485535	1853618	2067447
2	वन उद्योग	257701	262491	290518	311445	326370	372440	395501	407520
3	मत्स्य उद्योग	52465	59822	72536	75227	87008	114055	188920	212064
4	खनन तथा उत्खनन	536715	678985	810723	976239	1208213	993630	1283480	1455093
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1552625**	**1892104**	**2141668**	**2658477**	**2935858**	**2965660**	**3721519**	**4142124**
5	**विनिर्माण**	**1047925**	**918164**	**1490190**	**1801186**	**2021248**	**1715392**	**1985622**	**2308038**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	935064	791703	1335169	1619746	1821725	1500950	1742501	2030319
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	112861	126461	155021	181440	199523	214442	243121	277719
6	निर्माण कार्य	327428	430685	644367	668015	795653	891944	1105522	1353885
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	210074	212490	235546	295678	746910	693581	693825	779630
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1585427**	**1561339**	**2370103**	**2764879**	**3563811**	**3300917**	**3784969**	**4441553**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**231187**	**254911**	**316602**	**375366**	**443310**	**538270**	**589268**	**675705**
8.1	रेलवे	54939	57299	76116	84313	93384	118888	115825	131924
8.2	परिवहन	128850	151953	187102	230940	280105	337440	378813	430323
8.3	स्टोरेज	5127	5176	6229	7518	9175	11023	12601	14882
8.4	संचार	42271	40482	47155	52596	60646	70919	82029	98575
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**409082**	**508972**	**575003**	**708245**	**899635**	**865637**	**929624**	**1046627**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**427193**	**481569**	**561058**	**667536**	**814650**	**948572**	**1156555**	**1402261**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	111485	124964	157240	178150	215834	276052	378387	501308
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	315708	356605	403818	489386	598816	672520	778168	900953
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**580716**	**639215**	**723055**	**851007**	**1039954**	**1307141**	**1574739**	**1845365**
11.1	लोक प्रशासन	165767	200130	205799	228362	297182	368467	427444	556046
11.2	अन्य सेवाएँ	414949	439085	517256	622645	742772	938674	1147296	1289319
स	**उप–योग**	**1648178**	**1884667**	**2175718**	**2602155**	**3197549**	**3659619**	**4250186**	**4969957**
कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)		**4786229**	**5338110**	**6687489**	**8025511**	**9697218**	**9926196**	**11756674**	**13553634**
जनसंख्या (लाख में)		223	227	232	236	241	245	250	255
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (रूपयों में)		21463	23516	28825	34006	40237	40515	47027	53152

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत – आर्थिक एवं सॉख्यिकी संचालनालय

तालिका– 2.2

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (P)	2010-11 (Q)	2011-12 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	705744	832472	873831	974345	835891	918539	1133189	1216448
2	वन उद्योग	257701	255423	262794	273137	273002	278015	289224	295237
3	मत्स्य उद्योग	52465	57568	60191	60898	69342	73514	99714	111929
4	खनन तथा उत्खनन	536715	571913	640056	671729	740486	781246	816873	872391
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1552625**	**1717375**	**1836872**	**1980108**	**1918721**	**2051314**	**2339000**	**2496005**
5	**विनिर्माण**	**1047925**	**855197**	**1290532**	**1453736**	**1489014**	**1333263**	**1437908**	**1555326**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	935064	736177	1155549	1304310	1335891	1169096	1262676	1367087
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	112861	119019	134983	149426	153123	164167	175232	188239
6	निर्माण कार्य	327428	408127	574353	556165	595234	655756	803074	972889
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	210074	206128	204466	227750	497366	452769	415385	431363
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1585427**	**1469451**	**2069351**	**2237650**	**2581614**	**2441788**	**2656367**	**2959578**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**231187**	**249364**	**296819**	**333814**	**371151**	**406881**	**451231**	**511346**
8.1	रेलवे	54939	58269	70727	73814	80957	91972	93854	102791
8.2	परिवहन	128850	142907	163381	185585	204699	221259	243826	272982
8.3	स्टोरेज	5127	4881	5513	6055	6749	7153	8119	9518
8.4	संचार	42271	43307	57198	68360	78746	86497	105432	126055
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**409082**	**433713**	**494142**	**556069**	**640277**	**665724**	**641405**	**678323**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**427193**	**467343**	**524998**	**567975**	**619021**	**703956**	**810876**	**945089**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	111485	134604	173825	198957	229633	294546	372310	474080
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	315708	332738	351174	369018	389388	409410	438566	471009
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**580716**	**603528**	**637634**	**688760**	**767427**	**852455**	**1017730**	**1181975**
11.1	लोक प्रशासन	165767	189468	183538	187376	222301	246056	281755	361299
11.2	अन्य सेवाएँ	414949	414060	454097	501385	545126	606399	735975	820677
स	**उप–योग**	**1648178**	**1753948**	**1953594**	**2146618**	**2397876**	**2629017**	**2921242**	**3316734**
कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)		**4786229**	**4940774**	**5859816**	**6364377**	**6898211**	**7122119**	**7916609**	**8772317**
जनसंख्या (लाख में)		223	227	232	236	241	245	250	255
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (रूपयों में)		21463	21766	25258	26968	28623	29070	31666	34401

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत – आर्थिक एवं सॉख्यिकी संचालनालय,

तालिका– 2.3

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (P)	2010-11 (Q)	2011-12 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	639982	816587	881435	1197268	1205741	1362527	1714194	1909417
2	वन उद्योग	254303	259541	287128	308006	322149	368901	390773	402161
3	मत्स्य उद्योग	45776	52148	63528	65860	74775	99811	172335	193266
4	खनन तथा उत्खनन	447709	557755	662793	793736	962973	801739	1079619	1224874
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1387770**	**1686032**	**1894883**	**2364871**	**2565638**	**2632978**	**3356921**	**3729718**
5	**विनिर्माण**	**820238**	**635345**	**1140835**	**1412066**	**1544940**	**1310927**	**1517467**	**1763892**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	738012	543771	1025411	1273572	1393360	1148013	1332765	1552905
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	82226	91574	115424	138494	151580	162914	184702	210987
6	निर्माण कार्य	314677	413553	617370	638396	757549	849228	1052579	1289047
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	94882	93923	88145	105034	437190	405975	406118	456342
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1229797**	**1142821**	**1846350**	**2155496**	**2739679**	**2566130**	**2976164**	**3509281**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**198855**	**220767**	**279181**	**334400**	**393500**	**484011**	**530022**	**608072**
8.1	रेलवे	38565	40787	59270	65999	72250	96938	93028	105900
8.2	परिवहन	119837	141278	174865	217013	263068	317740	356035	404321
8.3	स्टोरेज	4962	4982	5982	7196	8781	10530	11984	14178
8.4	संचार	35491	33719	39064	44193	49401	58803	68975	83673
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**401430**	**499427**	**563604**	**694453**	**880989**	**842942**	**901999**	**1015092**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**386594**	**434610**	**507174**	**604227**	**738307**	**860015**	**1053827**	**1284992**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	109306	122480	154344	175031	212412	272193	374036	496341
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	277288	312130	352830	429196	525895	587822	679791	788651
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**534231**	**582792**	**662379**	**781337**	**962759**	**1218461**	**1472833**	**1729034**
11.1	लोक प्रशासन	133773	160773	165177	182239	249027	313929	365675	485535
11.2	अन्य सेवाएँ	400458	422019	497202	599098	713732	904532	1107158	1243499
स	**उप–योग**	**1521110**	**1737596**	**2012338**	**2414418**	**2975555**	**3405429**	**3958680**	**4637190**
कुल योग (अ+ब+स) (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)		**4138676**	**4566449**	**5753571**	**6934785**	**8280872**	**8604537**	**10291765**	**11876189**
जनसंख्या (लाख में)		223	227	232	236	241	245	250	255
प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)		18559	20117	24800	29385	34360	35121	41167	46573

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत – आर्थिक एवं सॉख्यिकी संचालनालय,

तालिका– 2.4

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (P)	2010-11 (Q)	2011-12 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	639982	761507	796216	891150	764903	827063	1035464	1112047
2	वन उद्योग	254303	252593	259748	270234	269384	275379	285462	291402
3	मत्स्य उद्योग	45776	50114	51455	51689	58849	61783	86599	97266
4	खनन तथा उत्खनन	447709	457117	505982	513021	542841	617770	643596	687254
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1387770**	**1521330**	**1613401**	**1726093**	**1635977**	**1781995**	**2051121**	**2187969**
5	**विनिर्माण**	**820238**	**585475**	**966800**	**1104456**	**1077915**	**965495**	**1041251**	**1126263**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	738012	499128	867401	992140	965395	844859	912485	987939
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	82226	86346	99399	112316	112520	120636	128766	138324
6	निर्माण कार्य	314677	391698	549178	529410	566600	624210	764441	926087
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	94882	93564	71866	65854	265475	241671	221717	230245
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1229797**	**1070736**	**1587844**	**1699719**	**1909990**	**1831376**	**2027409**	**2282595**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**198855**	**217011**	**262291**	**297798**	**329024**	**362754**	**404852**	**462434**
8.1	रेलवे	38565	42758	55228	58065	64189	75413	77501	86642
8.2	परिवहन	119837	132634	151851	172862	189141	203805	224244	251015
8.3	स्टोरेज	4962	4695	5290	5782	6433	6779	7677	8994
8.4	संचार	35491	36924	49922	61089	69261	76757	95430	115784
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**401430**	**424610**	**483727**	**544126**	**625527**	**648612**	**621552**	**655290**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**386594**	**422945**	**476862**	**515361**	**560702**	**640370**	**741546**	**869497**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	109306	132238	171152	196172	226694	291355	368845	470317
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	277288	290706	305711	319189	334008	349015	372702	399180
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**534231**	**549709**	**582352**	**628117**	**704954**	**783873**	**942409**	**1099217**
11.1	लोक प्रशासन	133773	151922	146647	147436	184192	204914	237339	313349
11.2	अन्य सेवाएँ	400458	397787	435706	480682	520762	578959	705070	785868
स	**उप–योग**	**1521110**	**1614275**	**1805233**	**1985402**	**2220207**	**2435609**	**2710359**	**3086439**
कुल योग (अ+ब+स) (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)		**4138676**	**4206341**	**5006477**	**5411215**	**5766174**	**6048980**	**6788889**	**7557003**
जनसंख्या (लाख में)		223	227	232	236	241	245	250	255
प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (रूपयों में)		18559	18530	21580	22929	23926	24690	27156	29635

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत – आर्थिक एवं सॉख्यिकी संचालनालय,

तालिका – 2.5

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से)
प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	21.86	-1.52	14.35	11.53
2	2006-07	13.19	51.80	15.44	25.28
3	2007-08	24.13	16.66	19.60	20.01
4	2008-09	10.43	28.90	22.88	20.83
5	2009-10(P)	1.02	-7.38	14.45	2.36
6	2010-11(Q)	25.49	14.66	16.14	18.44
7	2011-12(A)	11.30	17.35	16.94	15.28

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन
(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य
($) = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका – 2.6

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से)
प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों (2004–2005) के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	10.61	-7.32	6.42	3.23
2	2006-07	6.96	40.82	11.38	18.60
3	2007-08	7.80	8.13	9.88	8.61
4	2008-09	-3.10	15.37	11.70	8.39
5	2009-10(P)	6.91	-5.42	9.64	3.25
6	2010-11(Q)	14.02	8.79	11.12	11.16
7	2011-12(A)	6.71	11.41	13.54	10.81

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

($) = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका – 2.7

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से)
प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	21.49	-7.07	14.23	10.34
2	2006-07	12.39	61.56	15.81	26.00
3	2007-08	24.80	16.74	19.98	20.53
4	2008-09	8.49	27.10	23.24	19.41
5	2009-10(P)	2.62	-6.33	14.45	3.91
6	2010-11(Q)	27.50	15.98	16.25	19.61
7	2011-12(A)	11.11	17.91	17.14	15.40

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

($) = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका – 2.8

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों (2004–2005) के आधार पर

(प्रति ात में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	9.62	-12.93	6.12	1.63
2	2006-07	6.05	48.29	11.83	19.02
3	2007-08	6.98	7.05	9.98	8.08
4	2008-09	-5.22	12.37	11.83	6.56
5	2009-10(P)	8.93	-4.12	9.70	4.90
6	2010-11(Q)	15.10	10.70	11.28	12.23
7	2011-12(A)	6.67	12.59	13.88	11.31

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

($) = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका – 3.1

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र								
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	3777.7	3829.0	3843.8	3854.3	3905.3	3902.9	3928.8	3837.7	3937.8
1.2	गेहूँ	93.8	106.1	99.2	97.1	93.2	95.0	94.8	109.1	103.7
1.3	ज्वार	9.3	9.1	8.4	8.5	6.0	7.7	5.3	5.6	5.7
1.4	मक्का	94.0	98.6	97.9	101.6	100.1	100.1	99.3	101.7	104.9
1.5	कोदो–कुटकी	212.9	205.4	194.2	177.7	161.1	151.9	145.5	137.1	127.9
1.6	जौ	4.0	4.4	4.0	3.6	3.5	3.4	3.1	3.1	2.3
1.7	छोटे अनाज	57.7	56.4	56.8	50.4	49.1	64.6	54.3	44.30	39.2
2.0	**दालें**									
2.1	चना	175.6	204.7	233.3	242.7	231.4	243.5	237.5	263.9	250.5
2.2	तुअर	55.7	52.3	52.5	50.7	53.8	50.4	49.2	52.9	54.5
2.3	उड़द	122.5	121.3	119.5	117.6	114.5	114.9	110.8	107.2	107.1
2.4	मूग–मोठ	16.5	18.1	16.4	17.1	16.6	16.2	16.2	16.5	16.3
2.5	कुल्थी	57.5	56.7	55.4	53.9	52.8	53.0	51.6	51.1	50.9
2.6	लाख (तिवड़ा)	330.1	460.9	449.4	458.1	425.4	428.6	387.6	327.5	359.2
3.0	**गन्ना**	9.1	11.2	12.3	14.5	19.2	19.3	16.0	14.7	15.4
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	34.3	36.3	34.1	32.8	33.1	31.7	30.5	30.6	29.6
4.2	रामतिल	72.0	74.4	73.1	72.8	72.8	71.9	70.9	68.1	69.4
4.3	तिल	24.8	25.1	24.3	24.6	21.3	21.2	20.0	19.6	20.5
4.4	सोयाबीन	15.2	20.8	32.3	46.8	64.5	72.9	81.8	83.7	95.8
4.5	अलसी	67.6	75.0	71.1	70.8	64.6	55.9	47.6	44.8	37.0
4.6	राई सरसों	47.5	55.3	54.5	57.2	54.5	51.4	52.0	52.3	50.2

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका – 3.2
प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे.टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2002-03	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	2634.9	5567.6	4586.8	5267.5	5441.5	5635.0	6021.8	6520.9	9956.6
1.2	गेहूँ	98.6	108.6	85.2	85.2	94.0	104.6	97.4	118.92	121.7
1.3	ज्वार	5.8	7.6	4.9	5.8	5.2	7.2	6.3	6.8	8.2
1.4	मक्का	122.6	135.0	140.0	109.6	123.5	157.1	139.9	145.36	190.5
1.5	कोदो–कुटकी	29.4	50.9	38.6	29.3	30.0	39.2	24.9	22.83	26.0
1.6	जौ	3.1	4.3	3.5	3.0	2.8	4.0	2.8	2.3	1.2
1.7	छोटे अनाज	13.5	16.8	12.5	13.1	6.9	16.8	9.5	9.3	8.9
2.0	**दालें**									
2.1	चना	113.1	197.3	119.7	172.2	193.5	212.4	190.3	230.18	239.6
2.2	तुअर	24.1	31.5	26.9	22.5	22.9	26.3	28.4	27.61	23.9
2.3	उड़द	29.4	35.1	32.6	33.9	34.5	35.1	32.4	29.20	30.6
2.4	मूँगमोठ	4.0	4.8	3.9	4.3	4.3	4.2	4.0	3.94	4.2
2.5	कुल्थी	13.9	18.4	16.4	17.6	16.6	16.9	16.1	14.13	14.6
2.6	लाख (तिवड़ा)	170.3	278.8	175.3	208.3	225.2	553.0	211.0	193.19	223.6
3.0	**गन्ना**	10.0	13.3	16.5	19.0	20.3	27.3	22.0	35.35	18.4
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	38.1	40.2	38.1	35.5	37.7	40.0	37.7	45.06	35.9
4.2	रामतिल	11.5	13.1	12.1	12.3	12.8	12.8	12.6	10.90	12.0
4.3	तिल	6.4	7.1	7.3	7.3	6.4	6.7	6.1	8.64	6.9
4.4	सोयाबीन	8.3	18.4	31.0	41.9	64.2	83.6	79.9	77.83	112.4
4.5	अलसी	19.7	23.1	16.3	17.5	16.2	17.1	13.0	13.00	9.8
4.6	राई सरसों	15.6	22.8	20.6	18.2	21.8	20.6	19.7	21.68	20.8

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका – 3.3

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	चावल	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999-2000	1337	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	988	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	1402	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	683	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	1531	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1232	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	1367	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	1425	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	1451	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1198	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1179	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	1686	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका – 3.4

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरे	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	1999–2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000–2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001–2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002–2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003–2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004–2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005–2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006–2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007–2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008–2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009–2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010–2011	895112	45605	26092	388442	1355251

स्त्रोतः– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका – 4.1
प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य

(रूपये प्रति क्विंटल)

फसल/किस्म	विपणन वर्ष				
	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	4	5	6	7	8
धान–सामान्य	645+100	850+50	950+100	1000+50	1080
धान– ग्रेड–ए	675+100	880+50	980+100	1030+50	1110
ज्वार, बाजरा आदि	600	860	840	-	980
मक्का	620	840	840	880	980
गेंहूँ	1000	1000	1150	1100	-
चना	1600	-	-	-	-
मूंगफली	1550	-	-	-	2700
तुअर	1550+40	-	-	-	3200
उड़द	1700+40	-	-	-	3300
मूंग	1700+40	-	-	-	3500
सूर्यमुखी	1510	-	-	-	2800
राई एवं सरसों	1800	-	-	-	1050
सोयाबीन काली/पीली	910	-	-	-	1650
	1050	-	-	-	1690

रबी फसलें – गेहूँ, चना एवं राई व सरसों ।

खरीफ फसलें– धान, ज्वार, बाजरा व मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी ।

विपणन वर्ष– गेंहूँ, चना, राई व सरसों (अप्रैल–मार्च), अन्य फसलें (अक्टूबर से सितंबर) ।

स्त्रोत – संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़

तालिका – 5.1

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा

उत्पादन एवं मूल्य

(उत्पादन मेट्रिक टन, मूल्य लाख रूपयों में)

वर्ष	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा उत्पादन एवं मूल्य							
	इन्गाट्स		प्रापजी राडस		रोल्ड उत्पादन		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2000-2001	7361	5806	36621	30337	36267	34398	80249	70541
2001-2002	20805	17382	23433	21443	25305	28843	69543	67668
2002-03	20490	12922	47490	29947	27510	18272	95490	61141
2003-04	13149	11834	48243	44865	35696	35696	97088	92395
2004-05	6342	5707	34551	32132	31803	31803	72696	69642
2005-06	46462	47251	63302	645255	50391	58456	160155	750962
2006-07	184482	249832	72948	112263	57572	93366	315002	455461
2007-08	195785	234496	101183	135962	61693	92397	358661	462855
2008-09	172342	195528	127041	158150	57398	79991	356781	433669
2009-10	54173	52307	148280	159901	65972	82040	268425	294248
2010-11	27927	31418	160665	202207	66706	87963	255298	321588
2011-12	5877	6706	123915	150094	53972	72984	183764	229784

स्त्रोत –भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा छत्तीसगढ़ ।

तालिका – 5.2

महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(हजार मेट्रिक टन में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	50,226	557	20016	695	13954	12979
2001-02	53,677	556	18660	855	13149	13887
2002-03	56758	611	19781	918	13626	10630
2003-04	61505	888	23361	1005	13833	13342
2004-05	69253	1111	23118	1043	14855	23503
2005-06	76358	1332	26084	1109	15088	98734
2006-07	83241	1593	28731	1120	14972	100835
2007-08	90172	1794	30997	1295	14172	63218
2008-09	101913	1674	29997	1318	15789	59778
2009-10	109959	1646	26476	1207	16488	59015
2010-11*	113832	2115	31718	1282	19274	63630

स्त्रोत – संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ

* अनंतिम

तालिका – 5.3
महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य

(लाख रू. में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	300026	2529	49042	1816	18495	10
2001-02	286880	1445	63231	2320	17022	11
2002-03	355239	2188	69834	2351	15145	9
2003-04	334587	2774	84162	2430	15492	13
2004-05	417436	2900	131138	2329	17090	35
2005-06	489378	3861	237338	2524	19316	148
2006-07	532010	5487	326767	2617	21402	184
2007-08	581204	7083	468950	2944	19394	146
2008-09	678736	5574	590643	3612	22082	213
2009-10	732257	5511	432696	3159	22515	219
2010-11*	758121	7445	748862	2718	28911	241

स्त्रोत – संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ
*** अनंतिम**

तालिका – 5.4

महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य

(रूपयों में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	597	454	245	261	133	77
2001-02	534	260	339	271	129	79
2002-03	525	358	353	256	111	85
2003-04	544	312	360	242	112	97
2004-05	603	261	567	223	115	149
2005-06	641	290	910	228	128	150
2006-07	639	345	1137	234	143	182
2007-08	645	395	1513	227	137	231
2008-09	666	333	1969	274	140	356
2009-10	666	335	1634	262	137	371
2010-11*	666	352	2361	212	150	379

स्त्रोत – संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ
* अनंतिम

तालिका – 6.1

सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राज्यमार्ग	मुख्य जिला मार्ग	अन्य जिला ग्रामीण मार्ग	कुल सड़कों की लम्बाई (लो.नि.वि.)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
1	2	3	4	5	7	6
2000-2001	1,827	2,197	3,532	27,526	35,082	0.00
2001-2002	1,827	3,611	2,118	27,526	35,082	0.00
2002-2003	1,827	3,611	2,118	28,768	36,324	683.47
2003-2004	2225	3213	2118	28768	36324	1071.77
2004-2005	2225	3213	4814	24678	34930	921.87
2005-2006	2225	3213	4817	24756	35728	2004.98
2006-2007	2228	3213	4818	25811	36066	3031.86
2007-2008	2228	3213	4818	25122	35381	2676.38
2008-2009	2228	3213	4818	25133	35392	2427.09
2009-2010	2228	3213	4814	25133	35407	4020.44
2010-2011	2226	5240	10539.80	15442.95	33448.75	1570.72
2011-12 (Nov)	2226	5240	10539	13798	31803	645.18

स्त्रोत – मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

तालिका – 6.2

कुल पंजीकृत वाहन

(हजार में)

वर्ष (31 मार्च,)	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / थ्री–व्हीलर	यात्री वाहन (बस)	माल वाहन (ट्रक)	द्विपहिया वाहन	अन्य (टेक्टर ट्रोली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1	2	3	4	5	6	7	8
1999	29	7	10	32	585	50	713
2000	31	7	12	35	643	53	781
2001	34	8	14	36	707	58	857
2002	38	10	15	39	793	65	960
2003	42	11	17	52	881	75	1078
2004	50	11	19	57	991	85	1215
2005	59	13	23	66	1719	97	1375
2006	68	14	24	73	1247	111	1540
2007	78	16	27	85	1396	126	1728
2008	90	18	31	97	1553	139	1928
2009	104	20	36	107	1745	155	2167
2010	121.6	22.5	38.5	116.8	1964.71	171.36	2435
2011	146.92	26.29	42.33	127.61	2232.93	189.95	2766.03

स्त्रोत : परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

तालिका– 7.1

छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन
नियोजन क्षेत्र

(31 मार्च की स्थिति)

गणना वर्ष	शासकीय विभाग (नियमित)	नगरीय स्थानीय निकाय	ग्रामीण स्थानीय निकाय	विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं विशेष क्षेत्र	विश्व विद्यालय	योग
1	2	3	4	5	6	7
1999	177988	14102	23535	468	1300	217393
2000	177890	13107	23864	396	1288	216545
2001	182352	12913	24181	399	2092	221937
2002	174273	12871	25795	395	2323	215657
2003	174423	14514	31083	184	2228	222432
2004	175124	15472	35122	14	2536	228268
2005	174453	12552	38500	426	2296	228227
2006	175347	13358	47380	557	2439	239080
2007	178165	13779	59400	363	2940	254647
2008	189434	14983	126090	686	2940	334133

स्त्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकी, संचालनालय छत्तीसगढ़

तालिका– 8.1

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

(राशि लाख रू.)

विवरण	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
1	2	3	4	5	6	7	8
बैक संख्या	06	06	06	06	06	06	06
शाखाएँ	198	198	198	198	198	198	198
सदस्य (हजार)	52	55.5	18440	20083	20010	43590	44741
अंश पूँजी							
(1) कुल	5201.10	5993.42	9968.17	8290.37	8492.46	14458.20	15784.63
(2) शासकीय	505.24	467.29	3333.13	799.14	768.43	1059.11	1152.03
अमानतें	141025.46	149694.46	159766.10	186593.36	178687.47	262492.96	228648.34
कार्यशील पूँजी	172365.20	184035.17	209180.69	252957.21	240832.13	369911.59	376708.016
ऋण वितरण							
(अ) कुल	55018.24	57854.84	83330.61	79891.90	17148.56	185577.84	142035.87
(ब) अल्पकालीन	49549.52	52186.33	62249.42	71394.13	60975.30	118389.16	129425.24
(स) मध्यकालीन	4742.61	5185.69	2743.62	8497.77	9173.26	67188.68	12610.63
ऋण बकाया							
(अ) कुल	66972.52	17608.13	81189.96	87938.90	80670.15	104698.91	107714.83
(ब) अल्पकालीन	39570.63	44941.20	62325.84	64279.32	57209.12	57699.58	71696.22
(स) मध्यकालीन	24903.04	24387.52	17958.62	23964.54	23461.03	46999.33	36018.61
कालातीत ऋण	29050.22	31605.24	41939.18	53937.66	50543.71	41840.02	45961.70
लाभ							
(अ) बैंक संख्या	06	06	05	05	04	04	05
(ब) राशि	775.58	1711.34	2827.01	3376.83	2824.72	6166.59	5141.65
हानि							
(अ) बैंक संख्या	-	-	01	01	02	2	1
(ब) राशि	-	-	707.35	156.38	144.43	733.77	10.39

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

टीपः–जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित रायगढ़ बन्द होने के कारण बैंक की संख्या आलोच्य वर्ष में 06 हेा गई है ।

तालिका– 8.2

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ

विवरण	इकाई	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
समितियाँ	संख्या	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333
सदस्य संख्या	हजार	1932	1964	2099	2128	2109	1440	1415
अनुसूचित जाति	–,,–	296	303	301	329	340	291	246.6
अनुसूचित जन जाति	–,,–	549	613	638	643	639	359	417.5
कुल ऋणी सदस्य	–,,–	1081	1126	1240	1249	1305	909	935.6
अनुसूचित जाति	–,,–	116	164	173	190	201	336	233.1
अनुसूचित जन जाति	–,,–	365	327	320	238	245	179	227.1
कुल अंशपूंजी	लाख रू.	8313.42	8671.06	26224.85	24492.11	24071.23	12919.16	13346.01
कुल ऋण वितरण	–,,–	49941	87082	50397.13	46334.79	45343.97	98680.41	97694.59
(अ) अल्पकालीन	–,,–	42037	33899	45114.91	32085.10	32701.09	93671.97	95718.24
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	3904	1615	5282.22	14528.72	12642.88	5008.44	1976.35
कुल ऋण बकाया	–,,–	6770	52745	53968.97	55058.34	31021.80	96624.38	89365.75
(अ) अल्पकालीन	–,,–	42915	29027	31237.37	30785.54	25231.20	79191.57	76135.00
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	23614	18431	22631.60	23999.35	5790.60	17432.81	13230.75
कालातीत ऋण	–,,–	25113	26883	24813.94	284206.05	263104.03	29223.53	25563.10

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका– 8.3

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2010–11
1	2	3
1	**बैकों की संख्या**	12
2	**शाखाओं की संख्या**	84
3	**सदस्य (हजार)**	163893
4	**अंश पूँजी**	
	(1) कुल	1695.85
	(2) शासन	519.33
5	**अमानतें**	1582.05
6	**कार्यशील पूँजी**	27367.07
7	**ऋण वितरण**	
	(अ) कुल	1511.14
	(ब) अल्पकालीन	55.94
	(स) मध्यकालीन	------
	(द) दीर्घकालीन	1455.20
8	**ऋण बकाया**	
	(अ) कुल	15300.24
	(ब) अल्पकालीन	36.72
	(स) मध्यकालीन	------
	(द) दीर्घकालीन	15263.52
9	**कालातीत ऋण**	4386.31
10	**लाभ**	
	(अ) बैंक संख्या	02
	(ब) राशि	19.49
11	**हानि**	
	(अ) बैंक संख्या	10
	(ब) राशि	3809.21

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका– 9.1

प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमाराशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1998–1999	1046	5602	2070	36.95
1999–2000	1045	6116	2379	38.91
2000–2001	1042	7458	2966	39.77
2001–2002	1036	9605	4219	43.93
2002–2003	1039	11443	4474	39.10
2003–2004	1319	15454	9101	58.89
2004–2005*	1331	17605	11269	64.01
2005–2006*	1334	22053	12684	57.52
2006–2007*	1356	26014	15420	58.27
2007–2008*	1416	31618	19094	60.39
2008–2009*	1500	39437	23043	57.99
2009–2010*	1590	49379	27943	56.59
2010–2011 *	1705	59032	33022	55.94
2011–2012 (सित.)*	1756	62586	33836	54.06

स्त्रोत – भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

* राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति छ.ग. 22, 34, 38, 40एवं 44वीं बैठक प्रकाशन,